भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

(आर्थिक क्षेत्र–गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)
31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

रिपोर्ट 01.07.2014 को राज्य सदन के पटल पर रखी गई है

उत्तर प्रदेश सरकार
2014 का प्रतिवेदन संख्या–4

विषय–सूची

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन		iii
	अध्याय-I		
	प्रस्तावना	**1**	**1-5**
	इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में	1.1	1
	लेखापरीक्षिती की रूपरेखा	1.2	1-2
	लेखा परीक्षा का प्राधिकार	1.3	2
	कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश का संगठनात्मक ढाँचा	1.4	2
	लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन	1.5	2-3
	लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूलियाँ	1.6	3
	विशिष्ट लेखा परीक्षा आपत्तियाँ	1.7	3-4
	लेखा परीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता	1.8	4-5
	अध्याय–II		
	उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की समीक्षा	**2.1**	**7-22**
	कार्यकारी साराँश	--	7-8
	प्रस्तावना	2.1.1-2.1.3	8-10
	लेखा परीक्षा उद्देश्य	2.1.4	10
	लेखा परीक्षा मानदण्ड	2.1.5	10
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं विधियाँ	2.1.6	10
	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	2.1.7-2.1.28	11-21
	राज्य का क्षतिपूरक वनीकरण निधि	2.1.8	11
	वन भूमि का विपथन एवं क्षतिपूरक वनीकरण	2.1.9-2.1.12	11-13
	क्षतिपूरक वनीकरण निधि का संग्रहण	2.1.13-2.1.19	13-17
	क्षतिपूरक वनीकरण धनराशियों का उपयोग	2.1.20-2.1.25	17-20
	अनुश्रवण प्रक्रिया	2.1.26 to 2.1.27	20-21
	राज्य कैम्पा के खातों एवं लेखा परीक्षा की स्थिति	2.1.28	21
	निष्कर्ष	2.1.29	21
	संस्तुतियाँ	2.1.30	21-22
	स्मारकों के निर्माण की समीक्षा	**2.2**	**23-52**
	कार्यकारी साराँश	--	23-24
	प्रस्तावना	2.2.1-2.2.3	24-26
	लेखा परीक्षा उद्देश्य	2.2.4	26
	लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि	2.2.5	26
	लेखापरीक्षा की कसौटियाँ	2.2.6	26-27
	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	2.2.7-2.2.40	27-52
	वित्तीय प्रबन्धन	2.2.8-2.2.12	27-30
	नियोजन	2.2.13-2.2.17	30-33
	परियोजनाओं का निष्पादन	2.2.18-2.2.37	33-48
	पर्यावरण सम्बंधी मुद्दे	2.2.38-2.2.39	48-52
	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	2.2.40	52
	निष्कर्ष	2.2.41	52
	संस्तुतियाँ	2.2.42	52
	अध्याय–III		
	अनुपालन लेखापरीक्षा	**3**	**53-69**
	वन विभाग		
	अभिवहन शुल्क की कम वसूली	3.1	53-54

	विवरण	सन्दर्भ	
		प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
	अध्याय–III		
	पेड़ों की जड़ों के गैर विक्रय के कारण हानि	3.2	54-55
	आयतन गुणांक के निर्धारण में विलम्ब के कारण रायल्टी का अल्प प्रभारण	3.3	55-56
	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग		
	यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण	3.4	56-65
	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग		
	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण सेस की कटौती न करना।	3.5	66-67
	शासकीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रणालीगत चूक	3.6	67-69
क्रम	**परिशिष्ट**		
1.	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा प्रस्तरों के विवरणों को प्रदर्शित करती हुई विवरणी	1.8.2	71
2.	प्रभागों द्वारा एकत्रित धनराशि का विवरण दर्शाती हुई विवरणी	2.1.13	72
3.	प्रभागों द्वारा उ0प्र0 राज्य कैम्पा को निधि प्रेषित करने में विलम्ब का विवरण	2.1.15	73
4.	उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को निधि प्रेषित करने में विलम्ब का विवरण	2.1.15	74
5.	वार्षिक प्रचालन योजना के अनुमोदन के बिना अवध वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण राशि के उपयोग का विवरण	2.1.16	75
6.	10 मीटर चौड़ी पट्टी के समतुल्य भूमि के मूल्य को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.18	76
7.	निवल वर्तमान मूल्य की अधिक वसूली को दर्शाने वाली विवरणी	2.1.19	77
8.	एकत्रित निधि के संयोजन के बिना निधि के आवंटन का विवरण	2.1.21	78
9.	विभागवार स्वीकृत लागत एवं कार्यदायी संस्थावार कोषों का आवंटन को दर्शाती विवरणी	2.2.3	79
10.	पीएफएडी/ईएफसी द्वारा प्राप्त एवं स्वीकृत प्राक्कलन को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.9	80
11.	ईए द्वारा अनुमोदित दरों के अनुपालन न करने के कारण ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.11	81
12.	ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ के कारण अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.11	82
13.	पौधों की खरीद में दरों की भिन्नता के कारण किए गए अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.11	83
14.	अधिक वैट के भुगतान के विवरण को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.12	84
15.	ईए द्वारा किये गये परामर्श सम्बन्धी अनुबन्ध एवं सहमत शुल्क और उसके अनुसार किये गये भुगतान को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.13 एवं 2.2.14	85
16.	पुनरावृत्तिक कार्य पर परामर्शदाता को किये गये अधिक भुगतान को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.14	86
17.	ढाँचों के ध्वस्तीकरण और उन पर किये गये व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.19	87
18.	ईए द्वारा किये गये दरों के विश्लेषण में पाई गई कमियों को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.21	88-89
19.	पत्थर सम्बन्धी कार्यों के विभिन्न मदों हेतु ईए द्वारा अनुमोदित साथ–ही–साथ लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित दरों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.21	90
20.	उच्चतर दरों के अन्तिमीकरण के कारण आधिक्य व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.21	91-93
21.	विभेदित विशिष्टियों की दरों में अन्तर न करने के कारण किये गये अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.22	94
22.	ईए द्वारा अनुमोदित दर से अधिक दर पर बीपीआरआईपी को भुगतान करने के कारण किये गये अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाली विवरणी	2.2.31	95
23.	कार्य को निम्न दरों पर न कराने के परिणामस्वरूप किये गए अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.31	96
24.	कुछ पौधों के मूल्यों में भिन्नता प्रदर्शित करने वाली विवरणी	2.2.33	97
25.	पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए बनायी गयी समितियों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी	2.2.40	98
26.	2005–06 से 2007–08 की अवधि के दौरान अभिवहन शुल्क की कम वसूली को दर्शाती विवरणी	3.1	99
27.	यूकेलिप्टस वृक्षों पर रायल्टी की कम वसूली को दर्शाती विवरणी	3.3	100-101
28.	ठेकेदारों के बिलों से काटे जाने वाले सेस को दर्शाने वाली विवरणी	3.5	102
29.	संक्षेपण की शब्दावली	--	103-104

प्राक्कथन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के निष्पादन लेखा परीक्षा तथा अनुपालन लेखा परीक्षा के विशिष्ट परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो कि 2012–13 के दौरान किये गये नमूना लेखा परीक्षा में संज्ञान में आए थे, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये थे, परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में नहीं की जा सकी थी; वर्ष 2012–13 के बाद की अवधि के मामलों को भी यथा आवश्यकता सम्मिलित किया गया है।

लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

.

अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित विभागों, स्वायत्त निकायों सहित, के निष्पादन समीक्षाओं एवं संव्यवहारों की अनुपालन लेखा परीक्षा से प्रकटित प्रकरणों से सम्बन्धित है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित लेखा परीक्षा निष्कर्ष, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के माध्यम से अलग से प्रतिवेदित किये जाते हैं।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों को राज्य विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखा परीक्षा मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि प्रतिवेदित प्रेक्षणों की महत्वपूर्णता का स्तर संव्यवहारों की प्रकृति, परिमाण एवं महत्ता के अनुरूप होना चाहिए। लेखा परीक्षा परिणामों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाही करने तथा संस्थाओं के समुन्नत वित्तीय प्रबन्धन हेतु नीति व दिशा–निर्देश निर्धारण में सक्षम करने की अपेक्षा की जाती है, जो कि बेहतर शासन में योगदान करता है।

अनुपालन लेखा परीक्षा का आशय भारत के संविधान, लागू अधिनियमों, नियमों व विनियमों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु लेखापरीक्षित इकाइयों के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों से सम्बन्धित संव्यवहारों की जाँच से है।

निष्पादन समीक्षा किसी संस्था, कार्यक्रम अथवा योजना के मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी संचालन की सीमा का एक स्वतंत्र मूल्यांकन अथवा जाँच है।

यह अध्याय लेखापरीक्षिती की रूपरेखा, लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन तथा लेखा परीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता का उल्लेख करता है। इस प्रतिवेदन का अध्याय–II निष्पादन समीक्षाओं के प्रेक्षणों से सम्बन्धित है तथा अध्याय–III विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखा परीक्षा से सम्बन्धित है।

1.2 लेखापरीक्षिती की रूपरेखा

आर्थिक क्षेत्र में, सचिवालय स्तर पर, 18 विभाग, जो कि मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों/सचिवों, के अधीन है जिनकी सहायता हेतु विशेष सचिव, उपसचिव, निदेशक एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी कार्यरत हैं तथा 73 स्वायत्त निकाय हैं जो महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ की लेखा परीक्षा परिधि में आते हैं।

सरकार के वर्ष 2012–13 एवं विगत दो वर्षों की अवधि के व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **सारणी 1.1** में दी गयी है।

सारणी 1.1: 2010–13 की अवधि के लिए व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(करोड़ ₹ में)

विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
	अयोजनागत	अयोजनेत्तर	कुल	अयोजनागत	अयोजनेत्तर	कुल	अयोजनागत	अयोजनेत्तर	कुल
सामान्य सेवायें	987.34	47,031.83	48,019.17	601.73	52,345.19	52,946.92	787.54	59,119.18	59,906.72
सामाजिक सेवायें	15,829.56	23,737.14	39,566.70	17,609.59	29,781.35	47,390.94	21,064.75	32,235.57	53,300.32
आर्थिक सेवायें	4,222.63	11,502.40	15,725.03	4,404.60	13,887.61	18,292.21	4,025.62	17,311.74	21,337.36
सहायता अनुदान	-	4,364.71	4,364.71	---	5,255.10	5,255.10	--	6,179.24	6,179.24
योग (1)	21,039.53	86,636.08	1,07,675.61	22,615.92	1,01,269.25	1,23,885.17	25,877.91	1,14,845.73	1,40,723.64
पूँजीगत परिव्यय (2)	19,581.08	691.72	20,272.80	20,735.10	838.86	21,573.96	22,608.51	1,225.78	23,834.29

विवरण	2010-11			2011-12			2012-13		
	अयोजनागत	अयोजनेत्तर	कुल	अयोजनागत	अयोजनेत्तर	कुल	अयोजनागत	अयोजनेत्तर	कुल
ऋण एवं अग्रिम भुगतान (3)	617.28	350.94	968.22	414.48	561.09	975.57	383.75	619.49	1,003.24
लोक ऋणों का भुगतान (4)	---	7,383.08	7,383.08	---	8,287.61	8,287.61	--	8,909.04	8,909.04
समेकित निधि से किया गया कुल भुगतान (1+2+3+4)	41,237.89	95,061.82	1,36,299.71	43,765.50	1,10,956.81	1,54,722.31	48,870.17	1,25,600.04	1,74,470.21
आकस्मिकता निधि	---	39.90	39.90	---	309.64	309.64	--	262.45	262.45
लोक लेखा संवितरण	**---**	**1,17,472.99**	**1,17,472.99**	**---**	**1,30,970.76**	**1,30,970.76**	**--**	**1,29,471.51**	**1,29,471.51**
योग	**41,237.89**	**2,12,574.71**	**2,53,812.60**	**43,765.50**	**2,42,237.21**	**2,86,002.71**	**48,870.17**	**2,55.334.00**	**3,04,204.17**

1.3 लेखा परीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) द्वारा प्राप्त किया जाता है। महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों एवं स्वायत्त निकायों की लेखा परीक्षा डीपीसी अधिनियम की धारा 13, 14, 15, 19 एवं 20 के अन्तर्गत की जाती है। विभिन्न लेखा परीक्षाओं हेतु सिद्धान्तों और कार्य प्रणाली, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखा परीक्षा मानकों तथा लेखा तथा लेखा परीक्षा विनियम, 2007 में नियत किये गये है।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश का संगठनात्मक ढाँचा

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के निर्देशों के अन्तर्गत, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश द्वारा आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र के अधीन विभागों, स्वायत्त निकायों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा सम्पन्न की जाती है। आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों, स्वायत्त निकायों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा सम्पादन हेतु महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश को तीन उप–महालेखाकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती हैं।

1.5 लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन

लेखा परीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों के जोखिम के आंकलन से प्रारम्भ होती है जो कि व्यय, क्रियाकलापों की विकटता/जटिलता, वित्तीय अधिकारों की प्रत्यायोजित स्तर, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा सम्बन्धित हितधारकों की प्राथमिकताओं पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में पूर्व लेखा परीक्षा के परिणामों पर भी विचार किया जाता है।

प्रत्येक इकाई की लेखा परीक्षा की समाप्ति पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई/विभाग के प्रमुख को निर्गत किये जाते हैं। इकाइयों से लेखा परीक्षा के प्रेक्षणों के उत्तर निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति से एक माह के अन्दर प्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखा परीक्षा प्रेक्षण या तो निस्तारित कर दिये जाते हैं या पुनः अनुपालन की कार्यवाही का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रक्रमणित किया जाता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान, विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों के 498 इकाइयों में से 52 इकाइयों की लेखा परीक्षा, 492 दल–दिवसों का उपयोग करके की गयी। ऑडिट प्लान

में उन इकाइयों का आच्छादन किया गया जो कि आंकलन के आधार पर, सार्थक जोखिम हेतु आलोचनीय थे।

1.6 लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूलियाँ

वर्ष 2012–13 के दौरान लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, ₹ 9.70 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा वसूली करने हेतु स्वीकार की गयी जिनके विरुद्ध ₹ 7.60 करोड़ की धनराशि वसूल की गई।

1.7 विशिष्ट लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन समीक्षाएँ तथा छः अनुपालन लेखा परीक्षा प्रस्तरों के परिणाम शामिल है। विशिष्ट लेखा परीक्षा आपत्तियाँ निम्न वर्णित हैः

1.7.1 उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की समीक्षा

उ0प्र0 राज्य कैम्पा गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के विपथन के विरूद्ध समतुल्य गैर–वन भूमि प्राप्त करने में विफल रहा। गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भमि का विपथन भारत सरकार की अनुमति के बिना किया गया। क्षतिपूरक वनीकरण एवं निवल वर्तमान मूल्य के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सियों से एकत्रित धनराशि तदर्थ कैम्पा को समय से अन्तरित नहीं की गयी। तदर्थ कैम्पा को सम्पूर्ण धनराशि अन्तरित करने के बजाय प्रभागों ने बिना वार्षिक परिचालन योजना के अनुमोदन के एकत्रित धनराशि में से व्यय किया। कुछ प्रकरणों में निवल वर्तमान मूल्य नहीं/अधिक वसूला गया। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त धनराशि का 46.49 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया। उचित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी।

1.7.2 स्मारकों के निर्माण की समीक्षा

लखनऊ में चार स्मारकों तथा नोएडा में एक स्मारक के निर्माण की लेखा परीक्षा में, परियोजनाओं के निष्पादन में विभिन्न अनियमितताएं दृष्टिगत हुयीं। नियोजन में कमी जैसे कि लगातार परिवर्धन और संशोधन, ड्राईंग एवं डिजाईन में परिवर्तन एवं परिणामस्वरूप पुनः निष्पादन के फलस्वरूप परियोजना के परिव्यय में वृद्धि हो गयी। बिना किसी उचित अनुमोदन के पूर्व स्थित संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। ध्वस्त सामग्री से की गयी वसूली के सम्बंध में उचित दस्तावेज का अभाव था। परामर्शदाताओं की नियुक्ति में कमियों, परामर्शीय अनुबंधों में कमियों और उसमें दिये गये शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ। प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने में कमी एवं दरों के अनुचित विश्लेषण के परिणामस्वरूप ऊँची दरें निर्धारित की गयी। प्रशासकीय विभागों द्वारा कार्यदायी संस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्यदायी संस्था द्वारा की गयी सकल अनियमितताएं रोकी नहीं जा सकीं एवं अतिरिक्त/निष्फल व्यय हुआ। सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्यावरणीय पहलुओं का उचित रूप में पालन नहीं किया गया।

1.7.3 संव्यवहारों की अनुपालन लेखा परीक्षा

- वन उपज के आवागमन के अनुश्रवण हेतु उचित प्रणाली के अभाव तथा सामंजस्य की कमी के कारण वन विभाग ने ₹ 639.77 करोड़ के अभिवहन शुल्क की कम वसूली की।

(प्रस्तर 3.1)

- पेड़ो की जड़ों के विक्रय न करे जाने के कारण वन विभाग को ₹ 36.13 लाख के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

(प्रस्तर 3.2)

- 45 सेमी से अधिक व्यास के वृक्षों के लिए पातन चक्र में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ आयतन गुणांक का पुनरीक्षण न करने के कारण वन विभाग ने 45 सेमी से अधिक व्यास के यूकेलिप्टस वृक्षों पर ₹ 27.37 लाख की रायल्टी का कम प्रभारण किया।

(प्रस्तर 3.3)

- आईआईडीडी/शासन द्वारा अंशधारिता के त्याग करने में उचित कर्मठता का अभाव सार्वजनिक निजी सहभागिता के रूप में निवेश के सिद्धान्त के विरुद्ध था। चार स्थलों पर भूखण्डों का अधिग्रहण मूल्य पर आवंटन एवं स्टाम्प शुल्क से छूट रियायती अनुबन्धी को अनुचित लाभ सिद्ध हुए। पुनः आईआईडीडी/शासन द्वारा केवल संचालन एवं रखरखाव लागत की पूर्ति हेतु टोल दरों के निर्धारण में उचित कर्मठता के अभाव से रियायती अनुबन्धी को पहले से प्राप्त संतोषजनक 26 प्रतिशत आईआरआर के ऊपर टोल संग्रह के रूप में अनुचित लाभ मिला।

(प्रस्तर 3.4.10 से 3.4.13)

- ठेकेदारों के बिलों से ₹ 3.35 करोड़ की सेस कटौती करने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं कानपुर विकास प्राधिकरण असफल रहे।

(प्रस्तर 3.5)

- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बच्चों के आरक्षण तथा शुल्क में रियायत से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विकसित करने हेतु ठोस कदम उठाने में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, कानपुर विकास प्राधिकरण एवं आगरा विकास प्राधिकरण असफल रहे।

(प्रस्तर 3.6)

1.8 लेखा परीक्षा के प्रति सरकार की अनुक्रियाशीलता

1.8.1 प्रारूप निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं अनुपालन लेखा परीक्षा प्रस्तरों के प्रति अनुक्रियता की कमी

लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के प्रति ध्यान आकर्षित करने तथा प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने हेतु प्रारूप निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा अनुपालन लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अग्रसारित किये जाते हैं। यह उनके व्यक्तिगत संज्ञान में लाया जाता है कि इन प्रस्तरों के भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों, जो कि विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं, में संभाव्य सम्मिलित के दृष्टिगत, प्रकरण पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वाँछनीय है।

मई 2013 से सितम्बर 2013 के दौरान, दो निष्पादन समीक्षाएँ तथा छः अनुपालन लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से प्रेषित किये गये। एक निष्पादन समीक्षा तथा एक अनुपालन लेखा परीक्षा प्रस्तर के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त हुई जिसे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यथोचित सम्मिलित किया गया है। एक निष्पादन समीक्षा तथा पाँच अनुपालन लेखा परीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

1.8.2 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन

आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत सरकारी विभागों तथा स्वायत्त निकायों की आवधिक लेखा परीक्षा निरीक्षणों की व्यवस्था महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश द्वारा की जाती है। इन निरीक्षणों का अनुसरण निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) से किया जाता है। अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान देखी गयी अनियमितताओं पर प्रत्येक प्रस्तर की एक प्रति, अगले उच्चतर अधिकारी तथा शासन को, लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का निरीक्षण सुगम बनाने तथा उनके निस्तारण हेतु, प्रेषित

किया जाता है। कार्यालय प्रमुखों तथा अगले उच्चतर अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे लेखा परीक्षा प्रेक्षणों का अनुपालन करें तथा त्रुटियों को तुरन्त ठीक करें एवं अपने अनुपालन महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश को प्रतिवेदित करें। सितम्बर 2013 को 1,420 आईआर में निहित 4,637 प्रस्तर अनिस्तारित थे। इनमें से 539 आईआर में निहित 1,366 लेखा परीक्षा प्रेक्षण पाँच वर्षों से अधिक अवधि से अनिस्तारित हैं। अनिस्तारित आईआर एवं प्रस्तरों का विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

अध्याय-II

निष्पादन लेखा परीक्षा

अध्याय–II

2.1 उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की समीक्षा

कार्यकारी साराँश

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (ii) यह प्रावधानित करती है कि कोई भी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, वन भूमि अथवा उसके किसी भाग को गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए प्रयोग को निर्देशित करने हेतु कोई आदेश नहीं देगी। वन भूमि का गैर–वानिकी प्रयोग हेतु विपथन सामान्यतः विकासवादी क्रियाकलापों को सुगम बनाने हेतु किया जाता है और जब भी वन भूमि का गैर–वानिकी प्रयोग हेतु विपथन किया जाता है तो क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य भूमि प्रदान करना एवं उसके लिए धन प्रदान करने जैसी शर्ते आरोपित की जाती है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया (अक्टूबर 2002) कि एक क्षतिपूरक वनीकरण निधि बनायी जाये जिसमें प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जाये। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में पाया (मई 2006) कि क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) अभी भी प्रचालन में नहीं आया था व कैम्पा के प्रचालन के आने तक एक तदर्थ निकाय (तदर्थ कैम्पा के रूप में ज्ञात) के गठन हेतु आदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्यमान प्राकृतिक वनों व वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा, पुनरूत्पादन तथा प्रबन्धन एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उ0प्र0 राज्य कैम्पा) का गठन किया (अगस्त 2010)।

मुख्य लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

वन भूमि का विपथन एवं क्षतिपूरक वनीकरण

वन भूमि के गैर–वानिकी प्रयोग हेतु विपथन के सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेन्सियों से ₹ 615.31 करोड़ मूल्य की 8,790.18 हेक्टेयर गैर–वन भूमि नहीं प्राप्त की गयी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन भूमि के विपथन के सभी योग्य प्रकरणों में समतुल्य गैर–वन भूमि प्राप्त हो।

(प्रस्तर 2.1.9)

भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदन के बिना 438.936 हेक्टेयर वन भूमि, गैर–वानिकी प्रयोगों हेतु प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा प्रयोग की गयी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर–वानिकी प्रयोगों हेतु वन भूमि का विपथन जीओआई की पूर्व अनुमति तथा लागू प्रभारों की वसूली के बिना ना हो।

(प्रस्तर 2.1.10)

क्षतिपूरक वनीकरण निधि का संग्रह

उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की गयी धनराशि का समाधान नहीं किया गया जिसके कारण ₹ 58.58 करोड़ का अन्तर उत्पन्न हुआ।

(प्रस्तर 2.1.14)

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने प्रयोक्ता एजेन्सियों से प्राप्त राजस्व तदर्थ कैम्पा को एक से 394 दिनों के विलम्ब से अन्तरित की गयी। इसी प्रकार वन विभाग के प्रभागों द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सियों से एकत्रित धनराशि उ0प्र0 राज्य कैम्पा को एक से 805 दिनों के विलम्ब से अन्तरित की गयी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रयोक्ता एजेन्सियों से एकत्रित धनराशि तदर्थ कैम्पा को समय से अन्तरित की गयी।

(प्रस्तर 2.1.15)

प्रयोक्ता एजेन्सियों से भूमि के प्रीमियम के रूप में वसूल की गयी धनराशि ₹ 16.23 करोड़, तदर्थ कैम्पा को अन्तरित नहीं की गयी तथा इसे अनियमित रूप से राज्य की राजस्व प्राप्ति के रूप में माना गया।

(प्रस्तर 2.1.17)

10 मीटर पट्टी के समतुल्य भूमि के मूल्य हेतु ₹ 54.11 करोड़ की माँग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.1.18)

एक प्रयोक्ता एजेन्सी से ₹ 3.01 करोड़ के निवल वर्तमान मूल्य की वसूली नहीं की गयी एवं विपथित वन भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण प्रयोक्ता एजेन्सियों से ₹ 80.58 लाख की अधिक वसूली की गयी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रयोक्ता एजेन्सियों से निवल वर्तमान मूल्य की वसूली मार्गदर्शिका/मापदण्ड के अनुसार हो।

(प्रस्तर 2.1.19)

क्षतिपूरक वनीकरण निधि का उपयोग

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने, तदर्थ कैम्पा द्वारा अवमुक्त धनराशि का मात्र 53.51 प्रतिशत उपयोग किया जिसके कारण उ0प्र0 राज्य कैम्पा के पास ₹ 52.50 करोड़ संचित हो गये।

(प्रस्तर 2.1.20)

अनुश्रवण प्रणाली

उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु कोई स्वतंत्र प्रणाली विकसित नहीं की गयी।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैम्पा के अन्तर्गत वनीकरण की योजना के कार्यान्वयन हेतु उचित अनुश्रवण तथा मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाये।

(प्रस्तर 2.1.27)

प्रस्तावना

2.1.1 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (ii) यह प्रावधानित करती है कि कोई भी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, वन भूमि अथवा उसके किसी भाग को गैर–वानिकी उद्देश्यों[1] के लिए प्रयोग को निर्देशित करने हेतु कोई आदेश नहीं देगी। वन भूमि का गैर–वानिकी प्रयोग हेतु विपथन सामान्यतः विकासवादी क्रियाकलापों जैसे ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, सड़कों, रेलमार्गो, विद्यालयों, अस्पतालों, ग्रामीण विद्युतीकरण, दूरसंचार, पेयजल सुविधाओं, खनन आदि को सुगम बनाने हेतु किया जाता है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) को लागू करने हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के नियम 4.2 के अनुसार, वन भूमि के विपथन हेतु वानिकी निर्बाधन (क्लीयरेन्स) दो चरणों में दिया जायेगा। प्रथम चरण में प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जायेगी,

[1] "गैर–वानिकी उद्देश्यों" से तात्पर्य (अ) चाय, कॉफी, मसाले, रबर, ताड़, तेल युक्त पौधे, बागवानी फसलों अथवा औषधीय पौधों की खेती; (ब) पुर्नवनारोपण के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य, किन्तु वनों व वन्य जीवों के संरक्षण, विकास एवं प्रबन्धन से सम्बन्धित कार्य को छोड़कर, जैसे जाँचा चौकियों, फायर लाईनो, बेतार संचार की स्थापना व फैन्सिंग, पुलों व पुलियों, बान्धों, वॉटर होल्स, खाई के निशान, सीमा के निशान, पाईप लाईनों अथवा समान्य अन्य उद्देश्यों का निर्माण; हेतु किसी वन भूमि अथवा उसके किसी भाग का तोड़ना अथवा समाशोधन करना है।

जिसमें सामान्यतः हस्तान्तरण, नामान्तरण तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन/सुरक्षित वन घोषणा से सम्बन्धित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु समतुल्य भूमि एवं क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु निधि की शर्ते नियत की जायेगी तथा नियत शर्तो के सम्बन्ध में राज्य सरकार से अनुपालन आख्या प्राप्त होने पर अधिनियम के अन्तर्गत औपचारिक अनुमोदन निर्गत किया जायेगा।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया (अक्टूबर 2002) कि एक क्षतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) स्थापित की जायेगी जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण, वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य, जलग्रह क्षेत्र संसाधन योजना निधियाँ आदि के प्रति प्रयोक्ता एजेन्सियों से प्राप्त सभी धन जमा किया जायेगा। इन निधियों का उपयोग कृत्रिम पुनरूत्पादन (रोपण), सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरूत्पादन, वन सुरक्षा एवं अन्य सम्बन्धित गतिविधियों में होना था।

तदर्थ कैम्पा (ऐड–हॉक कैम्पा) का गठन

2.1.2 भारत सरकार (जीओआई) ने क्षतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य आदि के प्रति प्राप्त धन के प्रबन्धन हेतु क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण (कैम्पा) का गठन किया[2] (अप्रैल 2004)।

मई 2006 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि कैम्पा अभी तक प्रचालन में नहीं आया था तथा यह आदेशित किया कि कैम्पा के प्रचालन में आने तक एक तदर्थ निकाय (तदर्थ कैम्पा) का गठन किया जाये। तदर्थ कैम्पा के गठन के बाद 30 अक्टूबर 2002 से राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्राप्त सभी धन तदर्थ कैम्पा को हस्तान्तिरत किये जाने थे।

राज्य कैम्पा का गठन

2.1.3 भारत सरकार (जीओआई) ने जुलाई 2009 में 'राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण पर निर्देशिका' बनाई जिसका उद्देश्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कैम्पा की स्थापना करना एवं क्षतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) आदि के लिए प्राप्त धन, जो कि वर्तमान में तदर्थ कैम्पा के पास उपलब्ध था, का उपयोग करने के लिए एक ऐसी वित्त पोषण प्रणाली स्थापित करना था जिससे वन एवं वृक्ष आच्छादान में वृद्धि एवं वन्य जीव का संरक्षण एवं प्रबन्धन हो सके। यह मार्गदर्शिका भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित की गयी (जुलाई 2009) एवं जीओआई द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित की गयी (जुलाई 2009)।

मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य कैम्पा निम्न को बढ़ावा देने को अधिदिष्ट था:

- विद्यमान प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनरूत्पादन एवं प्रबन्धन,
- संरक्षित क्षेत्रों के समेकन सहित संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर तथा बाहर वन्य जीव तथा इनके आवास का संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रबन्धन,
- क्षतिपूरक वनीकरण, एवं
- पर्यावरण सेवाएँ, अनुसन्धान, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण।

उपरोक्त मार्गदर्शिका के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) ने 'उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन तथा नियोजन प्राधिकरण' (उ0प्र0 राज्य कैम्पा)[3] की स्थापना की (अगस्त 2010)।

---

[2] भारत के असाधारण राजपत्र में एस0ओ0 525 (ई) के माध्यम से प्रकाशित आदेश संख्या 5–1/98–एफसी दिनांक 23 अप्रैल 2004।

[3] सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत सोसाईटी।

राज्य कैम्पा एक त्रिस्तरीय समिति पदानुक्रम, जिसमें शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी), संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति समाविष्ट है, के माध्यम से कार्य करती है।

उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की समीक्षा सम्बन्धित, अधिनियमों, नियमों एवं मार्गनिर्देशों का जीओयूपी तथा उ0प्र0 कैम्पा द्वारा अनुपालन की समीक्षा हेतु की गयी है।

लेखा परीक्षा उद्देश्य

2.1.4 उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की इस समीक्षा का उद्देश्य यह जाँच करना था कि:

- क्या गैर–वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि का विपथन वर्तमान कानून के अनुसार अनुमत किया गया था और इस सम्बन्ध में सभी शर्तों का पालन किया गया था;
- क्या गैर–वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि के भागों के विपथन के परिणामस्वरूप वन भूमि के संरक्षण, वनीकरण तथा परिरक्षण के लिए किए गए उपाय वर्तमान विधान, नियमों तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय निर्णयों/आदेशों के प्रावधानों के अनुसार थे; और
- क्या क्षतिपूरक वनीकरण निधियों का संग्रहण, उपयोग, अनुश्रवण, लेखांकन तथा सुरक्षा के प्रबन्ध, लागू विधान, नियमों तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों/आदेशों के अनुपालन में था।

लेखा परीक्षा मानदण्ड

2.1.5 उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की समीक्षा निम्नलिखित सूत्रों से लिए गये मानदण्डों पर निर्धारित की गई थी:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972
- 1988 तक किए गए संशोधनों के साथ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- 2004 तक किए गए संशोधनों के साथ वन (संरक्षण) नियम, 2003
- अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जीओआई द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गनिर्देश एवं आदेश

लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं विधियाँ

2.1.6 उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की यह समीक्षा 2006–07 से 2011–12[4] के छः वर्षो की अवधि को आच्छादित करते हुए सम्पादित की गई। हमने 79 वन प्रभागों, जहाँ धन अवमुक्त किया गया, में से 39 वन प्रभागों एवं उ0प्र0 राज्य कैम्पा के मुख्यालय की लेखा परीक्षा सम्पादित की।

हमने 4 दिसम्बर 2012 को हुए एन्ट्री कान्फ्रेन्स में विभाग को लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या की। 4 सितम्बर 2013 को एक एक्ज़िट कान्फ्रेन्स वन विभाग के प्रमुख सचिव, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 राज्य कैम्पा के साथ आयोजित की गयी। उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की समीक्षा के अन्तिमीकरण में उ0प्र0 राज्य कैम्पा/शासन के उत्तर एवं विचारों का यथोचित ध्यान रखा गया है।

---

[4] भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मई 2006 से धनराशि तदर्थ कैम्पा के पास जमा की जानी थी, अतः 2006–07 से अवधि का अच्छादन किया गया।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण

2.1.7 उत्तर प्रदेश में क्षतिपूरक वनीकरण के निष्पादन की समीक्षा के परिणामस्वरूप निकल कर आये लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में की गयी हैं:

राज्य का क्षतिपूरक वनीकरण निधि

उ0प्र0 राज्य कैम्पा का अनियमित गठन

2.1.8 उ0प्र0 राज्य कैम्पा का पंजीकरण (अगस्त 2010) एक सोसाइटी के रूप में, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत किया गया। राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद की चौथी बैठक में यह निर्णय लिया गया (जनवरी 2012) कि राज्य कैम्पा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कार्य नहीं करेंगी तथा जहाँ भी राज्यों ने राज्य कैम्पा को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशिका के अनुरूप इन्हें भंग करना चाहिए तथा इन राज्यों को आगे धन की अवमुक्ति इन सोसाइटियों के भंग करने पर निर्भर होगी।

हमने देखा कि सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत राज्य कैम्पा को भंग करने के राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद के निर्णय के बावजूद उ0प्र0 राज्य कैम्पा, अभी तक सोसाइटी के रूप में कार्य कर रही है। यह भी देखा गया कि तदर्थ कैम्पा द्वारा उ0प्र0 राज्य कैम्पा को नियमित रूप से धन अवमुक्त किया जा रहा है।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने कहा (अगस्त 2013) कि राज्य कैम्पा मार्गनिर्देशिका में यह कहीं उल्लेखित नहीं है कि राज्य कैम्पा को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए। उसने पुनः कहा कि राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद के निर्णय के बाद उ0प्र0 राज्य कैम्पा को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अन्तर्गत गठित करने हेतु जीओआई को प्रस्ताव[5] भेजा गया है। एक्ज़िट कान्फ्रेन्स के दौरान शासन ने कहा कि प्राधिकरण की वैधानिक स्थिति में समस्या तदर्थ कैम्पा के स्पष्ट निर्देशों के अभाव के कारण है।

अतः राज्य कैम्पा के पंजीकरण के स्वरूप के सम्बन्ध में राज्यों को तदर्थ कैम्पा से स्पष्ट निर्देशों के अभाव में उ0प्र0 राज्य कैम्पा सोसाइटी के रूप में सतत कार्य कर रही है।

वन भूमि का विपथन एवं क्षतिपूरक वनीकरण

विपथित वन भूमि के बदले गैर–वन भूमि की अप्राप्ति

2.1.9 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करने हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का उपबन्ध 3.2 यह प्रावधानित करता है कि क्षतिपूरक वनीकरण समतुल्य गैर–वन भूमि पर किया जायेगा।

वन विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार सितम्बर 2013 तक 40,969.35 हैक्टेयर वन भूमि, गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु विपथित की गयी थी। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1982 को लागू करने हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार 14,025.24[6] हैक्टेयर वन भूमि प्राप्य थी, किन्तु इसके सापेक्ष मात्र 5,235.06 हैक्टेयर भूमि

---

[5] पत्रांक 498 दिनांक 19 फरवरी 2013।

[6] **(अ) गैर–वानीकी उद्देश्यों हेतु विपथित कुल वन भूमि——40,969.35 हैक्टेयर**
घटाया : छूट प्राप्त श्रेणियां जिनके लिए समतुल्य भूमि प्राप्त करना आवश्यक नहीं था–
(i) एक हैक्टेयर तक के परियोजनाएं——220.20 हैक्टेयर
(ii) फायरिंग रेंज ——25,885.64 हैक्टेयर
(iii) 220 केवी तक की पारेषण लाईने——328.694 हैक्टेयर
(iv) ऑप्टिकल फाइबर केबल——15.519 हैक्टेयर
(v) लिंक रोड एवं अन्य सुविधायें——181.7932 हैक्टेयर
(vi) केन्द्र सरकार के विभाग——310.2563 हैक्टेयर
(ब) कुल छूट प्राप्त श्रेणियाँ——26,944.11 हैक्टेयर
(स) वन भूमि विपथन के सापेक्ष प्राप्य गैर–वन भूमि (अ–ब)——14,025.24 हैक्टेयर

प्राप्त हुई। अतः 8,790.18 हेक्टेअर गैर–वन भूमि (प्राप्य गैर–वन भूमि का 62.67 प्रतिशत) प्राप्त नहीं हुई। अप्राप्त गैर–वन भूमि का मूल्य ₹ 615.31 करोड़[7] आंकलित हुआ है।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने कहा (अगस्त 2013) कि मार्गदर्शिका के दृष्टिगत वन भूमि विपथन के सभी मामलों में गैर–वन भूमि प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि विपथित वन भूमि के बदले मात्र 5,662.04 हैक्टेयर गैर–वन भूमि प्राप्त करनी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करने हेतु निर्गत मार्गदर्शिका के उपबन्ध 3.2 (vi) से (ix) में उन परिस्थितयों का वर्णन है जिनमें समतुल्य गैर–वन भूमि प्रदान करने से छूट प्रदान की गयी है[8] तथा लेखा परीक्षा ने ऐसे सभी छूटों को ध्यान में रखते हुए 14,025.24 हैक्टेयर प्राप्य गैर–वन भूमि की गणना की है। इसके अतिरिक्त वन भूमि के विपथन के सापेक्ष 5,662.04 हैक्टेयर प्राप्य गैर–वन भूमि की गणना के विवरण मॉगे (अप्रैल 2014) जाने के बावजूद अभी तक वांछित है।

जीओआई के अनुमोदन के बिना वन भूमि का गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु उपयोग

2.1.10 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 (ii) यह प्रावधानित करती है कि कोई भी राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, वन भूमि अथवा उसके किसी भाग को गैर–वानिकी उद्देश्यों के लिए प्रयोग को निर्देशित करने हेतु कोई आदेश नहीं देगी।

कुछ दृष्टान्त जहाँ जीओआई के अनुमोदन के बिना वन भूमि का प्रयोग गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु किया गया है की चर्चा नीचे की गयी है:

- राज्य के सिंचाई विभाग ने चार सिंचाई परियोजनाओं[9] में 70.836 हैक्टेयर वन भूमि पर जीओआई की अनुमोदन लिए बिना कार्य सम्पादित किया। फरवरी 2006 एवं जुलाई 2008 के मध्य भेजे गये प्रस्ताव पर जीओआई का कार्योत्तर अनुमोदन सितम्बर 2013 तक प्रतिक्षित था।

  उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2013) कि सिंचाई विभाग को दण्डात्मक प्रावधानों पर सहमति सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। लेकिन यह प्रस्ताव अगस्त 2013 तक प्रतीक्षित था।

- राज्य के सिंचाई विभाग ने, बिना जीओआई के अनुमोदन, 1974–75 से 1991–92 के दौरान 368.10 हैक्टेयर वन भूमि का प्रयोग शहजाद बाँध के निर्माण हेतु किया। चूँकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 परियोजना के पूर्ण होने से पूर्व प्रभाव में आ चुका था अतः जीओयूपी ने जुलाई 2000 में वन भूमि के विपथन के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव भेजा जिसके सापेक्ष जीओआई ने जून 2001 में प्रथम चरण का अनुमोदन दिया। परियोजना का अन्तिम अनुमोदन अभी प्रतिक्षित है।

---

[7] सोनभद्र जिले में कृषि भूमि के सम्बन्ध में उपलब्ध सर्किल रेट ₹ 7.00 लाख के आधार पर गणित, जो कि भूमि की विभिन्न श्रेणियों, जिनके लिए सर्किल रेट निर्धारित किये जाते है, में से न्यूनतम है।

[8] प्राकृतिक रूप से विकसित वृक्षों का कटान पुर्नरोपण के लिए पुर्नउपयोग हेतु; एक हैक्टेयर तक की भूमि सम्मिलित करने वाले प्रस्ताव; तीन मीटर से नीचे भूमिगत खनन, पहले से ही टूटे/खनन हेतु प्रयोग किये गये क्षेत्र हेतु खनन पट्टे का नवीनीकरण, डम्पिंग अथवा ओवरबर्डन आदि; केन्द्र सरकार/केन्द्र सरकार के उपक्रम की परियोजनाएं, नदी तट से उपखनिजों का उत्खनन, लिंक रोड, छोटे जलकार्य, सूक्ष्म सिंचाई कार्य, विद्यालय भवन, चिकित्सालय, अस्पताल, लघु ग्रामीण औद्योगिकशाला, 220 केवी तक के पारेषण लाईनों को बिछाना, मलबेरी पौधारोपण, टेलिफोन/ऑप्टिकल लाईनों को बिछाना तथा फील्ड फायरिंग रेंज।

[9] थाना माईनर–2.155 हैक्टेयर, सुनौरी राजबहा–0.287 हैक्टेयर, पावा राजबहा–1.200 हैक्टेयर एवं उतारी बान्ध–67.194 हैक्टेयर।

इसके अतिरिक्त, ₹ 43.11 करोड़[10] की माँग (अप्रैल 2002) के विरूद्ध सिंचाई विभाग ने मात्र ₹ 2.10 करोड़ जमा किये (जनवरी 2005) तथा ₹ 41.01 करोड़ सितम्बर 2013 तक अप्राप्त थी।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2013) कि जीओआई द्वारा अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों के साथ परियोजना पर सैद्धान्तिक अनुमोदन पूर्व में ही दी जा चुकी है तथा सिंचाई विभाग से सैद्धान्तिक अनुमोदन में नियत शर्तों का अनुपालन करने हेतु कहा गया है।

नियम विरूद्ध खनन पट्टे की अनुमति

2.1.11 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को लागू करने हेतु निर्गत मार्गदर्शिका का उपबन्ध 4.16 यह प्रावधानित करता है कि, खनन पट्टों की अनुमति/नवीनीकरण हेतु वन–भूमि के विपथन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमोदन, सामान्यतः खनन एवं खनिजों (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 अथवा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि के सह–संयोजन में दी जाये, किन्तु 30 वर्ष से अधिक न हो।

हमने रेनूकूट वन प्रभाग की लेखा परीक्षा के दौरान पाया कि जीओआई ने उपर्युक्त मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में नादर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, दुद्धि चुआ एवं खड़िया को 40 वर्षों (4 जनवरी 1991 से 3 जनवरी 2013) हेतु खनन पट्टे का अनुमोदन दिया।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने कहा (अगस्त 2013) कि सरकार ने अनुमोदन पत्र यथोचित विचार करके निर्गत किया है अतः उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता। उसने पुनः कहा कि प्रयोक्ता को तद्नुसार 40 वर्षो का पट्टा किराया भुगतान करना है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 30 वर्षों से अधिक हेतु खनन पट्टे का अनुमोदन मार्गदर्शिका के विरूद्ध है।

विपथन हेतु अनुमोदन प्राप्त किये बिना राज्य में सड़क किनारें वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु पहुॅच मार्गो का निर्माण

2.1.12 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2(ii) के अनुसार जीओआई के अनुमोदन के बिना कोई वन भूमि गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त नहीं की जा सकती। जीओआई की वन सलाहकार समिति ने देखा (अगस्त 2012) कि जीओआई की अनुमति के बिना सुरक्षित वन क्षेत्र के किनारें पेट्रोल पम्पों, होटलों एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों हेतु पहुॅच मार्गो का निर्माण किया जा रहा हैं एवं राज्य सरकारों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

हमने देखा कि जीओआई की वन सलाहाकार समिति के निर्देशों के बावजूद अगस्त 2013 तक ऐसे मामलों को चिन्हित करने के कोई प्रयास नहीं किया गया हैं जिनमें कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी हो।

लेखा परीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए, उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि प्रभागीय वन अधिकारियों को सर्कुलर का पालन करने के निर्देश दे दिये गये हैं (अक्टूबर 2012)।

क्षतिपूरक वनीकरण निधि का संग्रहण

2.1.13 लेखा परीक्षा में सम्मिलित प्रभागों[11] द्वारा 2002–2012 की अवधि के दौरान ₹ 427.31 करोड़[12] संग्रहित किये गये जिसका विवरण **परिशिष्ट–2** में है। क्षतिपूरक

---

[10] क्षतिपूरक वनीकरण– ₹ 2.31 करोड़, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण–₹ 6.93 करोड़ एवं निवल वर्तमान मूल्य– ₹ 33.87 करोड़।

[11] 79 वन प्राभागों में से 39 वन प्रभाग ।

वनीकरण धनराशि के संग्रहण में देखी गयी कमियों की चर्चा अग्रेतर प्रस्तरों में की गयी है:

उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को हस्तान्तिरत धनराशि का समाधान न करना

2.1.14 उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने प्रयोक्ता एजेन्सियों से मार्च 2012 तक ₹ 584.52 करोड़[13] की धनराशि एकत्रित की जिसे समय–समय पर तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किया गया । तदर्थ कैम्पा के लेखों में ₹ 643.10 करोड़ की प्राप्ति दर्शायी गयी।

हमने देखा कि प्राप्तियों के उपयुक्त अभिलेख रखने तथा आवधिक समाधान के सम्बन्ध में तदर्थ कैम्पा के 2006 व 2007 में जारी निर्देशों के बावजूद कोई समाधान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त धनराशि तथा उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा हस्तान्तिरत धनराशि की स्थिति में ₹ 58.58 करोड़[14] का अन्तर हो गया।

इस प्रकार उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा हस्तान्तिरत धनराशि तथा तदर्थ कैम्पा द्वारा प्राप्त धनराशि में अन्तर वित्तीय नियंत्रणों में कमी दर्शाती है।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने स्वीकार किया (अगस्त 2013) कि तदर्थ कैम्पा को वर्ष 2006–07 हेतु अन्तरित धनराशियों का समाधान जनवरी 2013 तक ही किया गया है एवं तदर्थ कैम्पा से अगले समाधान की तारीख की माँग की गई है।

तदर्थ कैम्पा को धन हस्तान्तरण में विलम्ब

2.1.15 मई 2006 में तदर्थ कैम्पा के गठन का निर्देश देते समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि कैम्पा के लिए एकत्रित एवं राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास पड़ा सभी राजस्व, तदर्थ कैम्पा द्वारा संचालित बैंक खातों में अन्तरित कर दिया जाये।

हमने देखा कि प्रभागों से उ0प्र0 राज्य कैम्पा एवं उ0प्र0 राज्य कैम्पा से तदर्थ कैम्पा को धनराशि के अन्तरण में विलम्ब था जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

- वन विभाग के प्रभागों ने 238 मामलों में 32 प्रयोक्ता एजेन्सियों से एकत्रित ₹ 109.45 करोड़, उ0प्र0 राज्य कैम्पा को एक से 805 दिनों की देरी[15] से अन्तरित किये गये (**परिशिष्ट–3**) ।

- उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने 419 मामलों में 41 प्रयोक्ता एंजेन्सियों से एकत्रित (प्रभागों से प्राप्त) ₹ 130.47 करोड़, तदर्थ कैम्पा को एक से 394 दिनों की देरी[16] से अन्तरित किये गये (**परिशिष्ट–4**) ।

धनराशि के अन्तरण में विलम्ब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

तदर्थ कैम्पा को धन का अन्तरण न करना

2.1.16 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (अक्टूबर 2002 एवं मई 2006) के अनुसार, 30 अक्टूबर 2002 से राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सियों से क्षतिपूरक वनीकरण, वन भूमि का निवल मूल्य आदि के रूप में एकत्रित समस्त धनराशि तदर्थ कैम्पा को हस्तान्तिरत की जानी थी। तदर्थ कैम्पा, राज्य कैम्पा

---

[12] क्षतिपूरक वनीकरण–₹ 122.92 करोड़, निवल वर्तमान मूल्य–₹ 237.64 करोड़ अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण–₹ 0.70 करोड़, दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण–₹ 0.40 करोड़, जलग्रह क्षेत्र संसाधन–₹ 0.35 करोड़ एवं अन्य–₹ 65.29 करोड़।

[13] क्षतिपूरक वनीकरण–₹ 147.50 करोड़, निवल वर्तमान मूल्य–₹ 356.09 करोड़ एवं वन्य जीव व अन्य–₹ 80.93 करोड़।

[14] तदर्थ कैम्पा के लेखों के अनुसार प्राप्तिः ₹ 643.10 करोड़ घटाया उत्तर प्रदेश राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को अन्तरित धनराशिः ₹ 584.52 करोड़ = ₹ 58.58 करोड़।

[15] आच्छादित प्रकरण मई 2006 में तदर्थ कैम्पा के गठन के पश्चात् के हस्तान्तरण के हैं। यहाँ पर प्रतिवेदित विलम्ब हस्तान्तरण हेतु व्यवस्था करने के लिए 14 दिन की अवधि प्रदान करने के पश्चात् गणित की गयी है।

[16] आच्छादित प्रकरण मई 2006 में तदर्थ कैम्पा के गठन के पश्चात् के हस्तान्तरण के हैं। यहाँ पर प्रतिवेदित विलम्ब हस्तान्तरण हेतु व्यवस्था करने के लिए 14 दिन की अवधि प्रदान करने के पश्चात् गणित की गयी है।

को वनीकरण हेतु धनराशि राज्य कैम्पा की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजनाओं (एपीओ) के आधार पर करता है। तत्पश्चात् राज्य कैम्पा क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य एपीओ में अनुमोदित स्थल विशेष योजनाओं के अनुसार करता है।

हमने राज्य कैम्पा की लेखा परीक्षा में देखा कि अवध वन प्रभाग ने नवम्बर 2004 से जून 2006 के मध्य चार परियोजनाओं हेतु प्रयोक्ता एजेन्सियों से ₹ 81 लाख की धनराशि एकत्रित की किन्तु उसे तदर्थ कैम्पा को अन्तरित करने के बजाय, ₹ 12.69 लाख की धनराशि व्यय कर दी एवं ₹ 68.31 लाख की शेष धनराशि तदर्थ कैम्पा को अन्तरित कर दी **(परिशिष्ट –5)**। तदर्थ कैम्पा को ₹ 12.69 लाख की धनराशि अन्तरित न करना एवं बिना एपीओ के अनुमोदन के उसका उपयोग अनियमित था।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने कहा (अगस्त 2013) कि मई 2006 तक धनराशि तदर्थ कैम्पा को अन्तरित करने हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं दिये गये थे इसलिए धनराशि चालू वनीकरण परियोजनाओं में प्रयुक्त कर ली गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अक्टूबर 2002 एवं मई 2006 के स्पष्ट आदेशों के दृष्टिगत, क्षतिपूरक वनिकरण, निवल वर्तमान मूल्य आदि के रूप में प्राप्त समस्त धनराशि तदर्थ कैम्पा को हस्तान्तरित की जानी थी। इसके अतिरिक्त नमूना जाँचे गये अन्य प्रभागों ने क्षतिपूरक वनीकरण के रूप में एकत्रित समस्त धनराशि अन्तरित की थी।

प्रीमियम को तदर्थ कैम्पा में न जमा करना

2.1.17 वन भूमि के गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए जीओआई के अनुमोदन पत्रों[17] में अन्य बातों के अतिरिक्त यह प्रावधान रहता है कि प्रयोक्ता एजेन्सियों को सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा लगाई गयी किसी अतिरिक्त शर्त का पालन करना होगा। जीओयूपी ने वन भूमि के विपथन का अनुमोदन करते समय एक अतिरिक्त शर्त (कुछ मामलों में) लगाई कि प्रयोक्ता एजेन्सियों को पट्टा शुल्क के साथ विपथित की जाने वाली भूमि हेतु सम्बन्धित जिलों के प्रचलित सर्किल रेट[18] के आधार पर प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। चूँकि प्रचलित सर्किल रेट के अनुसार प्रीमियम भी वन भूमि के गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु विपथन के विरूद्ध वसूल किया जाता है इसलिए इसे भी तदर्थ कैम्पा को अन्तरित किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि जून 2006 से जून 2011 के दौरान छः मामलों[19] में वसूल की गयी प्रीमियम की धनराशि ₹ 16.23 करोड़ तदर्थ कैम्पा को अन्तरित नहीं की गयी एवं उसे अनियमित रूप से जीओयूपी के राजस्व मद में रख लिया गया।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि प्रीमियम एवं पट्टा शुल्क से सम्बन्धित शर्ते वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 से शासित नहीं है बल्कि ये पत्रांक सं0 6450/14–3–930/17 दिनांक 2 जुलाई 1979 के अनुसार जीओयूपी द्वारा लगायी गयी राज्य शर्ते है अतः राजस्व प्राप्ति को अपने पास रखना अनियमित कार्य नहीं है।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि वन भूमि के गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु विपथन के एवज में एकत्र की गई समस्त धनराशि तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की जानी है।

अकर्मण्यता के कारण हानि

2.1.18 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण/चौड़ीकरण हेतु वन भूमि के विपथन की स्वीकृति देते समय जीओयूपी द्वारा एक अतिरिक्त शर्त, कि प्राधिकरण राजमार्ग के किनारे भूमि की 10 मीटर चौड़ी पट्टी

---

[17] लेखा परीक्षा में नमूना जाँचे गये छः प्रकरणों के सम्बन्ध में।

[18] जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित।

[19] रेनूकूट में पाँच प्रकरण ₹ 13.93 करोड़ व कैमूर में एक प्रकरण ₹ 2.30 करोड़।

उपलब्ध करायेगा तथा उस पर पौधारोपण हेतु लागत का भुगतान भी करेगा, लगाई जाती है।

राजमार्गो से लगे हुये बाजारों एवं घनी आबादी में भूमि उपलब्ध कराने में कठिनाई को देखते हुये, जीओयूपी ने इस शर्त में छूट दी (नवम्बर 2005) और यह प्राविधानित किया कि भूमि की 10 मीटर चौड़ी पट्टी के बराबर भूमि उसी जिले में कहीं और उपलब्ध करायी जा सकती हैं। जीओयूपी ने अपने आदेश (दिसम्बर 2007) के द्वारा पुनः रियायत दी और यह प्रावधानित किया कि एनएचएआई, भूमि की 10 मी चौड़ी पट्टी के बराबर भूमि का बाजार मूल्य वनीकरण की लागत के साथ भुगतान करेगा। जीओयूपी ने अपने आदेश (नवम्बर 2009) द्वारा शर्तो में पुनः रियायत दी और यह प्रावधानित किया कि 14 जनवरी 2009 तक एनएचएआई द्वारा प्रदान की गयी भूमि या उसकी लागत के अलावा इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त माँग नहीं की जायेगी।

हमने देखा कि दिसम्बर 2007 के शासनादेश के बावजूद, 15 मामलों **(परिशिष्ट–6)** में, जहाँ नवम्बर 2004 से जून 2007 तक स्वीकृति प्रदान की गई थी, भूमि की 10 मी0 चौड़ी पट्टी के मूल्य के बराबर ₹ 54.11 करोड़ की मॉग एनएचएआई से नहीं की गई। परियोजनाएँ 2009–10 में पूरी हो गयी थी तथा नवम्बर 2009 के शासनादेश के कारण अब कोई माँग नहीं की जा सकती। अतः सम्बन्धित प्रभागों की अर्कमण्यता के कारण उ0प्र0 राज्य कैम्पा इन परियोजनाओं में सम्मिलित 652.31 हैक्टेयर भूमि के संबंध में ₹ 54.11 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा **(परिशिष्ट–6)**।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि प्रयोक्ता एजेन्सियों द्वारा 10 मी0 चौड़ी पट्टी के बराबर भूमि/समतुल्य धनराशि उपलब्ध कराने की शर्त को नवम्बर 2009 के शासनादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया था, अतः क्षतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि वसूल करने का कोई कारण नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनएचएआई को भूमि नवम्बर 2009 के शासनादेश के पूर्व उपलब्ध कराई गयी थी तथा सम्बन्धित प्रभाग 23 महीनों तक (दिसम्बर 2007 से अक्टूबर 2009) दिसम्बर 2007 के शासनादेशानुसार धनराशि की मँाग करने में विफल रहे जिससे ₹ 54.11 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

निवल वर्तमान मूल्य की वसूली

2.1.19 निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) वन भूमि के गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु विपथन के समय हितधारकों या प्रयोक्ताओं को हुए वन सम्पदा के मूल्य के हानि को प्रदर्शित करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर 2002 के अपने आदेश में कहा कि भूमि की छत्र सघनता (कैनोपी डेन्सिटी) के आधार पर एनपीवी[20] ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर वन भूमि की दर से वसूल की जायेगी। मार्च 2008 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एनपीवी की दरें संशोधित की जो विभिन्न कारकों के आधार पर ₹ 4.38 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 10.43 लाख प्रति हैक्टेयर के मध्य थी।

हमने एनपीवी के नहीं/अधिक वसूली के प्रकरण देखे जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

- ललितपुर वन प्रभाग ने जखलौन पम्प कैनाल हेतु वन भूमि के विपथन, जिसके लिए सैद्धान्तिक सहमति फरवरी 2001 में दी गयी थी किन्तु अंतिम स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है, के प्रकरण में प्रयोक्ता एजेन्सी[21] से ₹ 3.01 करोड़[22] की एनपीवी की वसूली नहीं की।

---

[20] 0.1 से कम छत्र घनत्व हेतु–₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर, 0.1 से 0.4 छत्र घनत्व हेतु–₹ 7.5 लाख प्रति हैक्टेयर व 0.4 से अधिक छत्र घनत्व हेतु–₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर।

[21] 32.718 हैक्टेयर x ₹ 9.20 लाख = ₹ 3.01 करोड़।

[22] राज्य का सिंचाई विभाग।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने लेखा परीक्षा दृष्टान्त की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2013) कि प्रयोक्ता एजेन्सी से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की दर से एनपीवी जमा करने हेतु कहा गया है।

- तीन वन प्रभागों[23] ने विपथित वन भूमि के गलत श्रेणीकरण के कारण प्रयोक्ता एजेन्सियों[24] से ₹ 80.58 लाख की एनपीवी की अधिक वसूली की (मार्च 2006 से अप्रैल 2006 तक) **(परिशिष्ट–7)**।

  उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि ₹ 5.80 लाख प्रति हैक्टेयर से ₹ 9.20 लाख प्रति हैक्टेयर की सीमा एक वृहद वर्णक्रम के रूप में उल्लिखित की गयी थी एवं प्रचुर सावधानी के कारण अधिकतम दर पर एनपीवी वसूल की गयी है।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनपीवी की गणना हेतु छत्र सघनता का आधार अक्टूबर 2002 में ही नियत कर दिया गया था, अतः वसूली योग्य निवल वर्तमान मूल्य की सही धनराशि कि गणना सम्बंधित छत्र सघनता हेतु उपयुक्त दरों को ध्यान में रखते हुए की जा सकती थी।

क्षतिपूरक वनीकरण धनराशियों का उपयोग

उ0प्र0 राज्य कैम्पा में धनराशियों का संचय

2.1.20 राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण, एनपीवी आदि के रूप में एकत्रित समस्त धनराशि तदर्थ कैम्पा को अन्तरित की जाती है। इसके उपरान्त तदर्थ कैम्पा अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के आधार पर राज्य कैम्पा को वनीकरण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त करती है। तदोपरान्त राज्य कैम्पा एपीओ में अनुमोदित स्थल विशेष योजनाओं के आधार पर क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य सम्पादित करती है।

2006–07 से 2012–13 की अवधि के दौरान उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को अन्तरित धनराशि, तदर्थ कैम्पा द्वारा उ0प्र0 राज्य कैम्पा को अवमुक्त धनराशि तथा उसके विरूद्ध उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी 2.1: धनराशि के अन्तरण का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	तदर्थ कैम्पा को अन्तरित धनराशि	उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा से प्राप्त धनराशि	उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा व्यय की गयी धनराशि	उ0प्र0 राज्य कैम्पा के पास संचित धनराशि
2006–07	303.37	शून्य	शून्य	शून्य
2007–08	91.21	शून्य	शून्य	शून्य
2008–09	35.97	शून्य	शून्य	शून्य
2009–10	16.90	शून्य	शून्य	शून्य
2010–11	95.23	47.10	38.62	8.48
2011–12	41.84	35.35	21.81	13.54
2012–13	36.64	30.48	शून्य	30.48
कुल	**621.16**	**112.93**	**60.43**	**52.50**

(स्रोतः उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा दी गयी सूचनाएँ)

जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है तदर्थ कैम्पा द्वारा अवमुक्त ₹ 112.93 करोड़ की धनराशि में से उ0प्र0 राज्य कैम्पा मात्र ₹ 60.43 करोड़ (53.51 प्रतिशत) ही उपयोग कर सका जिससे उ0प्र0 राज्य कैम्पा के पास ₹ 52.50 करोड़ (46.49 प्रतिशत) संचित हो गये, परिणामस्वरूप एपीओ में प्रावधानित क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य नहीं हो सका।

---

[23] बहराईच, नजीबाबाद एवं बाराबंकी।

[24] भारतीय रेल, पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के एपीओ के विरूद्ध धनराशि मार्च 2011 एंव फरवरी 2012 में अवमुक्त की गयी थी तथा तदोपरान्त धनराशि एपीओ क्रियान्वित करने हेतु प्रभागों को अवमुक्त की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मार्च 2011 एवं फरवरी 2012 में अवमुक्त धनराशि मार्च 2013 तक अप्रयुक्त थी।

वार्षिक प्रचालन योजना का निधीकरण

2.1.21 तदर्थ कैम्पा अनुमोदित वार्षिक प्रचालन योजनाओं (एपीओ) के आधार पर राज्य कैम्पा को धनराशि अवमुक्त करता है। राज्य कैम्पा मार्गदर्शिका का उपबन्ध 12(2) यह प्रावधानित करता है कि राज्य कैम्पा धनराशि की प्राप्ति के उपरान्त वनीकरण का कार्य, जिसके लिये क्षतिपूरक वनीकरण निधि में धनराशि जमा की गयी थी, परियोजना की समाप्ति के एक वर्ष अथवा दो उपज मौसमों में, जो भी उपयुक्त हो के अन्दर सम्पादित कर लेगा।

हमने देखा कि उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने प्रभागों द्वारा एकत्रित एवं क्षतिपूरक वनीकरण निधि में जमा की गयी धनराशि के संयोजन के बिना क्षतिपूरक वनीकरण धनराशि आवंटित (2009–10 से 2010–11) की **(परिशिष्ट–8)**। उदाहरणार्थ, फतेहपुर एवं फिरोजाबाद प्रभागों द्वारा क्रमशः ₹ 5.09 लाख एवं ₹ 29.17 लाख की क्षतिपूरक वनीकरण धनराशि की प्राप्ति के विरूद्ध क्रमशः ₹ 96.84 लाख एवं ₹ 49 लाख आवंटित किया गया। सात जिलों[25] को क्षतिपूरक वनीकरण से प्राप्त कुल धनराशि का पाँच प्रतिशत से भी कम आवंटित की गयी **(परिशिष्ट–8)**। यह इंगित करता है कि उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने सम्बन्धित प्रभागों द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण धनराशि की वास्तविक प्राप्ति पर ध्यान दिये बिना धनराशि आवंटित की।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि क्षतिपूरक वनीकरण निधि का आवंटन जिलों में वन भूमि के विपथन एवं उसके बाद उस जिले में वन भूमि के विपथन के सापेक्ष गैर–वन/निम्नीकृत वन भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अतः धनराशि के आवंटन एवं धनराशि की उपलब्धता में कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं है।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक प्रभाग द्वारा एकत्रित धनराशि वन भूमि के विपथन के प्रसार को इंगित करती है और इसलिए उसी प्रसार हेतु क्षतिपूरक वनीकरण आवश्यक है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि धनराशि का आवंटन धनराशि एकत्रीकरण के अनुपात में हो। अतः धनराशि का आवंटन राज्य कैम्पा मार्गदर्शिका के उपबन्ध 12(2) के अनुरूप नहीं था।

इस प्रकार उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने धनराशि आवंटित करते समय, जिसमें विपथित वन भूमि का प्रसार एक मुख्य मानदण्ड था, उपयुक्त कर्मठता नहीं दिखाई।

वनीकरण पर अधिक व्यय

2.1.22 फैजाबाद वन प्रभाग ने ₹ 281 प्रति नग की दर से 17,207 रीइनफोर्सड सीमेन्ट कॉन्क्रीट (आरसीसी) खम्बे खरीदे जबकि अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार मात्र ₹ 242.69 प्रति नग अनुमन्य था। अतः प्रभाग ने ₹ 6.59 लाख[26] का अधिक व्यय किया।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि आरसीसी खम्बों हेतु आदर्श दर काफी पहले नवम्बर 2007 में निर्धारित की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर कार्य करने से पूर्व कोई संशोधित प्राक्कलन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था।

---

[25] बुलंदशहर वन प्रभाग, कैमूर वन प्रभाग, मेरठ वन प्रभाग, मिर्जापुर वन प्रभाग, रेनूकूट वन प्रभाग, सहारनपुर वन प्रभाग एवं शाहजहाँपुर वन प्रभाग।

[26] 17,207 x (281.00–242.69) = ₹ 6.59 लाख।

कार्य सम्पादन हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करना

2.1.23 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (जुलाई 2009) तदर्थ कैम्पा से प्राप्त धनराशि से कार्य सम्पादित करते समय महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) के वृहद दिशानिर्देशों का पालन करना था एवं न्यूनतम मजदूरी दर सुनिश्चित करते हुये कार्य को मुख्यतः ग्रामीण बेरोजगारों को आवंटित करना था। मनरेगा के दिशानिर्देशों में प्रावधानित था कि कार्य जॉब कार्ड धारी ग्रामीणों को ही दिया जाना था और भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में करना था।

हमने लेखा परीक्षा में नमूना जाँचे गये सभी वन प्रभागों में देखा कि मजदूरों को मस्टर रोल के माध्यम से नगद भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त ₹ 120 प्रतिदिन (मार्च 2011 तक) एवं ₹ 125 प्रति दिन (अप्रैल 2012 से) की निर्धारित दर के बजाय ₹ 100 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि भुगतान वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–VII में दिये गये प्रक्रिया, जो मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल के माध्यम से करने की अनुमति देता है, के अनुसार किया गया है तथा दरें अप्रैल 2013 से संशोधित कर दी गयी है। यह तथ्य स्पष्ट है कि मनरेगा के दिशानिर्देशों, जिसके अनुसार भुगतान बैकों के माध्यम से निर्धारित दरों पर किया जाना था, की अवहेलना करके, मजदूरों को निम्न दर पर नगद भुगतान किया गया।

उपयोगिता प्रमाणपत्रों में अनियमितता

2.1.24 उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने 300 सौर बत्तियों कि स्थापना हेतु ₹ 23,351 प्रति बत्ती की दर से ₹ 70.05 लाख अवमुक्त किये (सितम्बर 2011)।

हमने देखा कि प्रभागों ने सौर बत्तियां गैर परम्परागत ऊर्जा विकास एजेन्सी (नेडा) से ₹ 16,251 प्रति बत्ती (कुल लागतः ₹ 23,351 प्रति बत्ती घटाया अनुदानः ₹ 7,100 प्रति बत्ती) की अनुदानित दर पर खरीदी किन्तु ₹ 16,251 प्रति बत्ती के स्थान पर ₹ 23,351 प्रति बत्ती की दर से व्यय उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये। अतः ₹ 7,100 प्रति बत्ती अनियमित रूप से प्रयुक्त दिखाये गये।

एक्ज़िट कांफ्रेस के दौरान शासन ने बताया कि कुछ मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र संशोधित किये गये हैं। यह तथ्य विद्यमान है कि उपयोगिता प्रमाणपत्र वास्तविक प्रयुक्त धनराशि पर आधारित नहीं थे।

ब्याज धारित खाते खोलने मे देरी के कारण ब्याज की हानि

2.1.25 जीओआई द्वारा जुलाई 2009 में निर्गत राज्य कैम्पा मार्गदर्शिका के उपबन्ध 10.3 के अनुसार राज्य कैम्पा में प्राप्त धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के ब्याज धारित खातों में रखी जायेगी तथा संचालन समिति द्वारा अनुमोदित एपीओ के अनुसार कार्य हेतु समय–समय पर आहरित की जायेगी। पुनः राज्य कैम्पा मार्गदर्शिका के उपबन्ध 16(3) में यह प्रावधानित है कि राज्य कैम्पा उचित खाते एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख रखेगा तथा खातों का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

हमने देखा कि उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने वन प्रभागों को धनराशि संवितरित करते समय इस आशय का कोई निर्देश जारी नहीं किया तथा 2009–10 के एपीओ में अनुमोदित कार्यो के सम्पादन हेतु ₹ 6.01 करोड़[27] अवमुक्त किये (25 मार्च 2011)। इन प्रभागों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज धारित खाता खोलने के बजाय धनराशि को राजकीय खाते में 'वन जमा' (खाता संख्या–8443) के अधीन रखा। प्रभागों ने हालांकि अगस्त 2011 में धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत खाते में हस्तान्तरित कर दी। इस प्रकार

[27] अवध वन प्रभाग–₹ 2.12 करोड़, गोरखपुर वन प्रभाग–₹ 2.40 करोड़ एवं फैजाबाद वन प्रभाग–₹ 1.49 करोड़।

ब्याज धारित खाता खोलने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 14.20 लाख[28] के ब्याज की हानि हुई।

हमने आगे देखा कि उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने 25 मार्च 2011 को बस्ती वन प्रभाग को ₹ 6.70 करोड़ अवमुक्त किये जो कि अलग बचत खाते के स्थान पर राजकीय खाते में 'वन जमा' (खाता संख्या–8443) के अधीन रखी गई। आगे सामान्य राजकोष पद्धति से व्यय भी किया गया। चूँकि धनराशि अलग बैंक खाते में नहीं रखी गयी थी व अलग रोकड़ बही नहीं रखी गयी थी इसलिए सम्पूर्ण धनराशि उ0प्र0 राज्य कैम्पा के खातों से बाहर रही।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि जीओयूपी ने ब्याज धारित खाता खोलने के निर्देश जुलाई 2011 में निर्गत किये।

उत्तर पुष्टि करता है कि जुलाई 2009 की राज्य कैम्पा मार्गदर्शिका दो वर्षों के उपरान्त लागू की गयी जिससे ₹ 14.20 लाख के ब्याज की हानि हुई।

अनुश्रवण प्रक्रिया

अपर्याप्त अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

2.1.26 राज्य कैम्पा मार्गदशिका के उपबन्ध 14 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले शासी निकाय द्वारा राज्य कैम्पा की कार्यपद्धति हेतु एक वृहद नीति संरचना बनायी जानी थी तथा समय–समय पर कार्यप्रणाली की समीक्षा की जानी थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति को एपीओ अनुमोदित करने थे और राज्य कैम्पा द्वारा अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता की प्रगति का अनुश्रवण करना था तथा इसे छः माह में एक बार बैठक करनी थी। प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति को एपीओ बनाना था, राज्य कैम्पा को उसके उद्देश्य एवं मूल सिद्धान्तों को लागू करने हेतु सभी कदम उठाने थे एवं राज्य कैम्पा द्वारा अवमुक्त धनराशि से सम्पादित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करना था।

हमने देखा कि अगस्त 2010 से अब तक (अगस्त 2013) शासी निकाय की दो बैठकें, संचालन समिति की चार बैठकें[29] एवं कार्यकारी समिति की दस बैठकें हुईं। इस प्रकार राज्य कैम्पा की इन निकायों की बैठकें निर्धारित समयावधि में नहीं हुईं (संचालन समिति हेतु छः माह में एक बार) जिसके कारण एपीओ बनाने, कैम्पा निधि से सम्पादित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति एवं धनराशि की उपयोगिता का अनुरक्षण राज्य कैम्पा मार्गदर्शिका के अनुसार नहीं हो सका।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने सिर्फ तथ्यों की पुष्टि की (अगस्त 2013) और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली का अभाव

2.1.27 राज्य कैम्पा मार्गदर्शिका का उपबन्ध 17(1) यह प्रावधानित करता है कि धनराशि के उचित एवं प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित और लागू की जायेगी।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा की लेखा परीक्षा में हमने देखा कि उसने अभी तक (फरवरी 2014) सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कोई स्वतंत्र प्रणाली विकसित नहीं की है। यद्यपि अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में क्रमशः ₹ 35 लाख एवं ₹ 65 लाख आवंटित किये गये थे, तथापि फरवरी 2014[30] तक इस उद्देश्य से उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया।

---

[28] 7 प्रतिशत की दर से गणित जो कि ऑटो स्वीप सुविधा युक्त बचत खाते पर उपलब्ध ब्याज दर है।

[29] वांछित छः बैठकों के सापेक्ष।

[30] लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार 2012–13 के दौरान कोई धनराशि आवंटित नहीं की गयी चूँकि 2010–11 एवं 2011–12 में आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं हुआ था।

इस प्रकार उचित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली के अभाव ने ऊपर दी गयी अनियमितताओं के न पता लग पाने में योगदान दिया, अतः कोई मध्यवर्ति कार्यवाही नहीं की गयी।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने, अपनाई गयी प्रणाली का विवरण दिये बिना, बताया (अगस्त 2013) कि पौधारोपण के तीन वर्ष के पश्चात् मूल्यांकन किया जाना है अतः धनराशि आगे के वर्षों में उपयोग की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन वर्ष बाद मूल्यांकन का जो मानक उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा उद्घृत किया गया है, वह मात्र पौधारोपण कार्य हेतु है तथा उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा सम्पादित किये जा रहे किसी अन्य सम्बन्धित कार्य हेतु नहीं है। इसके अतिरिक्त धनराशि के उचित उपयोग के लिए सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना था।

राज्य कैम्पा के खातों एवं लेखा परीक्षा की स्थिति

उपयुक्त एवं प्रभावी लेखा प्रक्रिया का अभाव

2.1.28 राज्य कैम्पा मार्गदर्शिका के उपबन्ध 16(3) के अनुसार, राज्य कैम्पा उपयुक्त लेखे एवं सम्बन्धित अभिलेख रखेगा और सम्बन्धित महालेखाकार की सलाह से निर्धारित प्रारूप में लेखों का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

हमने देखा कि राज्य कैम्पा ने खातों के प्रारूप के निर्धारण हेतु महालेखाकार से सम्पर्क नहीं किया था। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा मई 2012[31] में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों हेतु लेखों का एक एकीकृत प्रारूप निर्दिष्ट किया गया था जो कि अभी तक लागू नहीं किया जा सका है।

उ0प्र0 राज्य कैम्पा ने बताया (अगस्त 2013) कि उसका गठन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत हुआ है अतः सोसाईटी के उपनियम लागू किये गये है।

उत्तर बचावपूर्ण है क्योंकि सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम किसी भी रूप में लेखों एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों के रखरखाव हेतु एक उचित एवं प्रभावी प्रक्रिया विकसित करने में बाधा उत्पन्न नहीं करता है।

निष्कर्ष

2.1.29 उ0प्र0 राज्य कैम्पा गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भूमि के विपथन के विरूद्ध समतुल्य गैर–वन भूमि प्राप्त करने में विफल रहा। गैर–वानिकी उद्देश्यों हेतु वन भमि का विपथन भारत सरकार की अनुमति के बिना किया गया। क्षतिपूरक वनीकरण एवं निवल वर्तमान मूल्य के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सियों से एकत्रित धनराशि तदर्थ कैम्पा को समय से अन्तरित नहीं की गयी। तदर्थ कैम्पा को सम्पूर्ण धनराशि अन्तरित करने के बजाय प्रभागों ने बिना वार्षिक परिचालन योजना के अनुमोदन के एकत्रित धनराशि में से व्यय किया। कुछ प्रकरणों में निवल वर्तमान मूल्य नहीं/अधिक वसूला गया। क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्राप्त धनराशि का 46.49 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया। उचित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली विकसित नहीं की गयी थी।

संस्तुतियाँ

2.1.30 शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- *वन भूमि के विपथन के सभी योग्य प्रकरणों में समतुल्य गैर–वन भूमि प्राप्त हो।*
- *गैर–वानिकी प्रयोगों हेतु वन भूमि का विपथन जीओआई की पूर्व अनुमति तथा लागू प्रभारों की वसूली के बिना ना हो।*

---

[31] महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) द्वारा उक्त उत्तर प्रदेश राज्य कैम्पा को जून 2012 में सूचित किया गया था।

- *प्रयोक्ता एजेन्सियों से क्षतिपूरक वनीकरण एवं निवल वर्तमान की धनराशि की वसूली मार्गदर्शिका/मापदण्ड के अनुसार हो।*
- *प्रयोक्ता एजेन्सियों से एकत्रित धनराशि तदर्थ कैम्पा को समय से अन्तरित की जाये।*
- *कैम्पा के अन्तर्गत वनीकरण की योजना के कार्यान्वयन हेतु उचित अनुश्रवण तथा मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाये।*

2.2 स्मारकों के निर्माण की समीक्षा

कार्यकारी साराँश

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में चार स्मारकों (डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, बौद्ध विहार शान्ति उपवन एवं ईको पार्क तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डन) के निर्माण की स्वीकृति दी तथा नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक स्मारक (राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन) के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की। इन स्मारको के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, मुख्य कार्यदायी संस्था (ईए) थी तथा उसे कुल वित्तीय स्वीकृति ₹ 4,558.01 करोड़ का 98.61 प्रतिशत आवंटित किया गया था।

मुख्य लेखापरीक्षा प्रेक्षण की चर्चा नीचे की गयी है।

वित्तीय प्रबंधन

व्यय वित्त समिति ने परियोजनाओं की आवश्यकता एवं औचित्यतता के पहलुओं की जाँच नहीं की।

इन परियोजनाओं की मूल वित्तीय व्यय स्वीकृति ₹ 943.73 करोड़ थी जिसको अंत में संशोधनोपरान्त ₹ 4,558.01 करोड़ कर दिया गया व वृद्धि 192 से 986 प्रतिशत तक रही।

ईए द्वारा अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण ₹ 10.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया।

ईए ने ₹ 4.05 करोड़ का अतिरिक्त/परिहार्य व्यय किया तथा स्रोत पर वैट ₹ 3.64 करोड़ की कटौती करने में विफल रहा।

हम संस्तुति करते हैं कि सरकार एवम् उनकी कार्यदायी संस्थाओं को सभी परियोजनाओं पर उचित वित्तीय एवं प्रशासकीय नियंत्रण बनाये रखना चाहिए।

(प्रस्तर 2.2.9 से 2.2.12)

नियोजन

विस्तृत परामर्श तथा वास्तुकला से सम्बंधित सेवाओं के लिए परामर्शदाता का चयन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा नहीं किया गया।

पुनरावृतिक कार्यों हेतु उच्च दरों पर तथा परियोजना लागत के गलत प्रगणन के कारण परामर्शदाता को ₹ 2.31 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया।

परियोजनाओं का कभी भी एक साथ परिरूपण नहीं किया गया जिसके पणिामस्वरूप ₹ 3,537.68 करोड़ के नयें कार्यों को कार्य में जोड़ा गया।

परियोजनाओं के ड्राईंग तथा डिजाईन में बहुतायत संशोधनों के कारण हाल ही में निर्मित ढाँचों को गिराना/ध्वस्त करना पड़ा तथा परिणामस्वरूप ₹ 29.62 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कार्य के अनुचित नियोजन के परिणामस्वरूप कार्यों के पुनः निष्पादन में ₹ एक करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन तथा उनकी कार्यदायी संस्थाओं को परियोजना के परिरूपण हेतु उचित नियोजन करना चाहिए जिससे अतिरिक्त व्ययों को रोका जा सके।

(प्रस्तर 2.2.13 से 2.2.17)

परियोजनाओं का निष्पादन

प्रशासकीय विभाग तथा ईए द्वारा पूर्व में मौजूदा ढाँचों के ध्वस्तीकरण से प्राप्त स्क्रैप सामग्री के पुनः उपयोग व मूल्य के सम्बंध में उचित अभिलेख नहीं रखे गये।

ईए द्वारा दरों के अनुमोदन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति से बिना अनुमोदन प्राप्त

किये बहुतायत मदों की दरों का निर्धारण स्वयं किया गया।

ईए पर्याप्त प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उच्च दरें प्राप्त हुईं तथा दरों के गलत विश्लेषण के कारण उन्हें पकड़ा नहीं जा सका, परिणामस्वरूप उच्च दरों पर कार्यों का आवंटन तथा ₹ 397.90 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ईए ने प्रारम्भ से दो भिन्न विशेषता वाले कार्यों को अलग नहीं किया तथा समग्र विशेषता के आधार पर ही उच्च दरों पर आवंटन के परिणामस्वरूप ₹ 18.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ईए ने दोनो, बेडौल आकार तथा कट आकार के मिर्जापुर बलुआ पत्थर की खरीद समान दरों पर समान अवधि के दौरान करी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.11 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

निविदा के अंतिमीकरण से पूर्व विवेक तथा उचित कर्मठता के अभाव में ₹ 18.37 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ईए ने विद्युत मदों के निम्नतर उपलब्ध दरों पर विचार नहीं किया तथा मदवार ऊँचे दरों पर आदेश दिया, परिणामस्वरूप ₹ 2.34 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

कला कार्यों के निष्पादन के देखभाल के लिए गठित समिति कभी भी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल नहीं हुई तथा न ही कला कार्यों के चयन प्रक्रिया में शामिल थी।

कांस्य भित्ति चित्र (म्यूरेल), फाउन्टेन तथा कैपिटल के खरीद पर क्रमशः गलत दरों का प्रगणन, अधिक दरों पर आवंटन तथा वास्तविक भार की अनदेखी करने के कारण ₹ 12.74 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन तथा उनकी कार्यदायी संस्थाओं को प्रचलित कानून, नियमों तथा नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.2.19 से 2.2.22, 2.2.26, 2.2.31, 2.2.32, 2.2.34 तथा 2.2.36)

पर्यावरण सम्बंधी मुद्दे

ईए ने अनापत्ति प्रमाण पत्र/पर्यावरण अनुमति के आवेदन से पूर्व ही लखनऊ में परियोजनाओं का निमार्ण कार्य आरम्भ कर दिया।

(प्रस्तर 2.2.38)

अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

परियोजनाओं का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के लिए शासन द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं किया गया था। इसके अलावा विभागों द्वारा गठित समितियां पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के उचित अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण में कमी रही।

हम संस्तुति करते हैं कि शासन तथा उनकी कार्यदायी संस्थाओं को विशिष्ट प्रकृति के कार्यों हेतु अपने अनुश्रवण तंत्र को दृढ़ करना चाहिए।

(प्रस्तर 2.2.40)

प्रस्तावना

2.2.1 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) द्वारा लखनऊ में चार स्मारकों के निर्माण की स्वीकृति (वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक)[32]प्रदान की गई। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण) ने भी नोएडा में एक स्मारक के निर्माण की स्वीकृति जीओयूपी को सूचित (27 अगस्त 2009) करते हुए प्रदान की।

परियोजनाओं की स्थिति

2.2.2 स्मारक परियोजनाओं से सम्बंधित भूमि क्षेत्र, उसके मुख्य भवनों, संस्वीकृति की तिथि तथा उनकों 'स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थानों, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबंधन,

[32] कृपया सारणी 2.2 की क्रम संख्या 5 देखें।

सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति' (एसएसपीयूपीएसएएस)[33] को सौंपने सम्बंधी सारांश नीचे दिया गया है।

सारणी 2.2 : निष्पादित कार्यों की प्रकृति तथा स्मारकों की स्वीकृत एवम् वास्तविक लागत का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ (सामाजिक परिवर्तन स्थल)	मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल, लखनऊ (स्मारक स्थल)	बौद्ध विहार शांति उपवन तथा ईको पार्क, लखनऊ (बौद्ध विहार)	मान्यवर श्री काशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डन, लखनऊ (ईको गार्डन)	राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल तथा ग्रीन गार्डन, नोएडा (प्रेरणा स्थल)	योग
1	उद्देश्य	मौजूदा डा0 बी0आर0 अम्बेडकर स्मारक तथा डा0 बी0आर0 अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन पुस्तकालय एवं संग्रहालय तथा इसके परिसर को दीर्घायुता, भव्यता और गुणात्मक सुधार प्रदान करना।	मान्यवर श्री काशीराम जी को उनके द्वारा समाज के दलित एवं पिछड़े वर्गों में संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किये गये संघर्ष हेतु श्रद्धांजलि अर्पितार्थ।	शारदा नहर के दायें किनारे का सुदृढ़ीकरण, सौन्दर्यीकरण एवं विकास हेतु तथा बौद्ध विहार शांति उपवन तथा ईको पार्क का निर्माण करवाने के लिए।	लखनऊ शहर में पर्यावरणीय सन्तुलन को बढ़ावा देने के लिए।	समय–समय पर दलित एवं पिछड़े वर्गों में जन्में संतों, गुरूओं तथा महापुरूषों का सम्मान करने के लिए।	.
2	ग्राहक संगठन	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग) एवं संस्कृति विभाग (संस्कृति विभाग)	आवास विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं संस्कृति विभाग	सिंचाई विभाग तथा संस्कृति विभाग	आवास विभाग	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा प्राधिकरण)	-
3	भू क्षेत्र (एकड़)	107.10	40.00	30.00	194.00	82.50	453.59
4	स्मारकों के मुख्य भवन	स्मारक, संग्रहालय, गैलरी, प्रतिबिम्ब स्थल, दृश्य स्थल, गौतम बुद्ध स्थल, सामाजिक परिवर्तन स्तम्भ, फोर कोर्ट तथा हाथी दीर्घा	मुख्य स्मारक भवन तथा हाथी दीर्घा	मुख्य बौद्ध विहार परिसर, ईको पार्क तथा प्रशासनिक ब्लाक	मुख्य ईको पार्क, रॉक गार्डन तथा ईको थिमेटिक ऑरनामेन्टल वर्क	सेन्ट्रल पार्क प्लाजा, हाथी दीर्घा, डॉ अम्बेडकर मूर्ति तथा कॉलम प्लाजा	-
5	संस्वीकृति की तिथि	4 अक्टूबर 2007	2 नवम्बर 2007	22 फरवरी 2008	16 सितम्बर 2009	10 अप्रैल 2008	-
6	सौंपने की तिथि	अक्टूबर 2011	सितम्बर 2011	सितम्बर 2011	नवम्बर 2011	परियोजना पूर्ण है तथा अक्टूबर 2013 में जनता के लिए खोल दी गयी है। जबकि, अभी तक सौंपी नहीं गयी है।	-

(स्रोतः विभागों तथा कार्यदायी संस्था के अभिलेखों से संकलित)

स्मारकों की परियोजनाओं के लिए बजट

2.2.3 जीओयूपी ने लखनऊ में चार स्मारकों के निर्माण के लिए वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान चार विभागों[34] को शामिल करते हुए बजटीय प्रावधान किया। नोएडा प्राधिकरण ने नोएडा में एक स्मारक के निर्माण के लिए वर्ष 2008–09 से 2011–12 के दौरान धनराशि उपलब्ध करवाई। स्मारक की परियोजनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न सरकारी विभागों तथा नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से मुख्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (आगे ईए के रूप में संदर्भित) तथा अन्य निर्माण एजेंसियों को प्रदान की गई धनराशि का विवरण **परिशिष्ट–9** में संक्षेप में दिया गया है।

परिशिष्ट–9 से यह देखा जा सकता है वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान कुल वित्तीय बजट ₹ 4,558.01 करोड़ का 98.61 प्रतिशत ईए को आवंटित किया गया था।

---

[33] लखनऊ विकास प्राधिकरण के सामान्य नियंत्रण के अधीन एक सोसाइटी के रूप में गठित तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1891/8–1–2009–01/बजट/2009 दिनांक 29.05.2009 के अंतर्गत, जीओयूपी द्वारा स्मारकों के प्रबंधन, सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु अधिकृत।

[34] आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग), संस्कृति विभाग (संस्कृति विभाग), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) तथा सिंचाई विभाग।

अन्य निर्माण एजेंसियों[35] के लिए नाममात्र धनराशि का आवंटन किया गया। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग) द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) ने नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया।

लेखा परीक्षा उद्देश्य

2.2.4 स्मारकों के निर्माण की समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया गया था;
- प्रभावी तथा दक्ष लागत नियंत्रण तंत्र मौजूद था;
- निर्माण कार्यों का नियोजन उचित रूप से तथा क्रियान्वयन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप मितव्ययिता, दक्षता एवम् प्रभाविता से किया गया था;
- पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों का समुचित ध्यान रखा गया था; तथा
- कार्यों का उचित पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण किया गया था।

लेखा परीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यविधि

2.2.5 स्मारकों के निर्माण की समीक्षा को परियोजनाओं के परिरूपण, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृतियों, निष्पादन तथा अनुश्रवण के दृष्टिगत रखते हुए, परीक्षण किया गया। इस उद्देश्य हेतु हमने शासकीय विभागों[36] तथा मुख्य कार्यदायी संस्था यथा, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (नोएडा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित परियोजना को शामिल करते हुए सभी परियोजनाओ हेतु) के अभिलेखो का परीक्षण[37] किया। इन्ट्री कॉन्फ्रेन्स 18 अप्रैल 2012 को कार्यदायी संस्था (ईए) के साथ हुई। एक्जिट कॉन्फ्रेन्स 16 अप्रैल 2013 तथा 26 अप्रैल 2013 को प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग); ईए/संबंधित विभागों के विशेष सचिव/प्रतिनिधियों के साथ हुई। स्मारकों के निर्माण की समीक्षा को शासन व ईए को जुलाई 2013 में निर्गमित किया गया। समीक्षा को अन्तिम रूप, सम्बंधित विभागों/ईए से प्राप्त उत्तरों (सितम्बर 2013 से जनवरी 2014) को विचारित करते हुए दिया गया। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने अपना उत्तर नहीं दिया।

सामाजिक परिवर्तन स्थल तथा स्मारक स्थल के निर्माण कार्यों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, जीओयूपी की, प्रतिवेदन संख्या 4 (वाणिज्यिक) के प्रस्तर 3.6 में भी समाहित किया गया था।

हमारी कार्यविधि में, लेखापरीक्षा उद्देश्यों को इण्ट्री कॉन्फ्रेन्स के दौरान ईए के उच्च प्रबंधन को वर्णित करना, अभिलेखों की जाँच करना, लेखा परिक्षिती कार्मिकों से पारस्परिक व्यवहार करना, लेखा परीक्षा की कसौटियों के अनुरूप आँकड़ों का विश्लेषण तथा प्रबन्धन के साथ चर्चा द्वारा लेखा परीक्षा आपत्तियों को प्रकट करना, समाहित था।

लेखापरीक्षा की कसौटियाँ

2.2.6 स्मारकों के निर्माण की लेखापरीक्षा निम्नलिखित स्रोतों से उत्पन्न कसौटियों के संदर्भ में मानचिन्हीकृत थी:

- प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय संस्वीकृतियों के नियम व शर्तें;

---

[35] लोक निर्माण विभागः ₹ 45.60 करोड़ (1 प्रतिशत); सिंचाई विभागः ₹ 3.07 करोड़ (0.07 प्रतिशत); उत्तर प्रदेश जल निगम की निर्माण एवं परिकल्प सेवा शाखाः ₹ 0.67 करोड़ (0.01 प्रतिशत); तथा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेडः ₹ 14.09 करोड़ (0.31 प्रतिशत)।

[36] आवास विभाग; लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा); संस्कृति विभाग; लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग।

[37] ईए के लेखों का परीक्षण अक्टूबर 2011 से जून 2012 तक तथा विभागों/लविप्रा के अभिलेखों का परीक्षण जुलाई 2012 से सितम्बर 2012 के मध्य रूक–रूककर, विभागों व ईए द्वारा जब व जैसे अभिलेख उपलब्धता के आधार पर, किया गया।

- शासन/व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के निर्देश;
- ईएफसी की भूमिका व क्रियाशीलता से संबंधित आदेश;
- ईए की कार्य नियमावली;
- कार्यों के आवंटन, परामर्शदाता की नियुक्ति व मोबलाईजेशन अग्रिम के संदर्भ में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश;
- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग(यूपीपीडब्ल्यूडी)/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की विशिष्टियां व दर अनुसूची; तथा
- पर्यावरण व करारोपण के सम्बंध में अधिनियम, नियम और दिशा निर्देश।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

2.2.7 वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, परियोजनाओं का निष्पादन तथा पर्यावरणीय मामलों से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षण जो कि हमारे लेखापरीक्षा में परिलक्षित हुई उनकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

वित्तीय प्रबन्धन

लागत नियंत्रण तंत्र

2.2.8 उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी), व्यय वित्त समिति[38] (ईएफसी) के माध्यम से परियोजनाओं तथा उनकी वित्तीय स्वीकृतियों के सभी पहलुओं के परीक्षण पर नियंत्रण करता है। सरकारी विभागों के प्रस्ताव पर, ईए को प्रारम्भिक आकलन (पीई)/विस्तृत आकलन (डीई) को तैयार कर परियोजना रचना तथा मूल्यांकन प्रभाग (पीएफएडी)[39] को जाँच करने हेतु सौंपना होता है। पीएफएडी द्वारा जाँच के उपरान्त पीई/डीई को अनुमोदन हेतु ईएफसी को भेजना होता है। ईएफसी मुख्यतः आवश्यकता, औचित्यता, वित्तीय और तकनीकी पहलुओं के संदर्भ में परियोजनाओं के परीक्षण व अनुमोदन हेतु उत्तरदायी[40] होती है। ईएफसी के अनुमोदन के पश्चात प्रशासकीय विभाग परियोजना हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करता है तथा वित्तीय स्वीकृति जारी करता है। ईए, शासकीय विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति तथा अपेक्षित धनराशि प्राप्ति के बाद ही परियोजनाओं का निष्पादन करता है। ईए को अपनी कार्य नियमावली में प्रावधानित लागत नियंत्रण को प्रयोग करना होता है।

कर्तव्यों के निर्वहन में ईएफसी की विफलता

2.2.9 ईए ने सम्बंधित विभागों के माध्यम से चार स्मारकों अर्थात सामाजिक परिवर्तन स्थल, स्मारक स्थल, ईको गार्डन तथा बौद्ध विहार के निर्माण के लिए 38 अनुमानों **(परिशिष्ट–10)** को मूल्यांकन हेतु ईएफसी के पास भेजा (सितम्बर 2007 से जनवरी 2011)। हमने पाया कि ईएफसी चार परियोजनाओं के सम्बंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहा जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

- इसने परियोजनाओं की आवश्यकता तथा औचित्य पहलुओं की जाँच नहीं की तथा उद्धृत किया कि आवश्यक अनुमोदन प्रशासकीय विभाग द्वारा पहले ही प्रदान कर दिया गया है इसलिए हमने उन पहलुओं पर टिप्पणी नहीं की है।
- उसने प्रस्तावित मात्राओं की जाँच नहीं की तथा यह कहा कि परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य विशेष प्रकृति के एवं अत्यधिक सजावटी प्रकृति के हैं; इसलिए अनुमानों में प्रस्तावित मात्राओं को अपरिवर्तित रखा गया तथा केवल दरों की जाँच की गयी।

---

[38] अध्यक्षः प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग; सदस्यः 1 प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग 2 प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग 3 प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासकीय विभाग 4 पीडब्ल्यूडी के प्रभारी या उनके प्रतिनिधि, जो कि अधिशासी अभियंता के पद से नीचे का न हो; सदस्य सचिवः निदेशक, पीएफएडी; विशेष आमंत्रितः संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रबन्ध निदेशक।

[39] व्यय वित्त समिति का सचिवालय।

[40] शासनादेश दिनांक 3 अप्रैल 1996 के संदर्भ में 24 जुलाई 1998 के साथ पढ़ने पर।

पीएफएडी/ईएफसी ने बताया (दिसम्बर 2013) कि संबंधित विभागों द्वारा अपने स्तर पर आवश्यकता तथा औचित्यतता के पहलुओं पर जाँच के उपरान्त प्रस्तावों को भेजा गया था और कार्यों के अनुमोदन पीएफएडी/ईएफसी द्वारा परियाजनाओं की तात्कालिकता एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इसके अलावा, कार्य की विशेष प्रकृति के कारण, मात्रा की गणना पीएफएडी के स्तर पर सम्भव नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पीएफएडी/ईएफसी ऐसी परियोजनाओं का परीक्षण व अनुमोदन करने वाली विशेषज्ञ संस्था होने के कारण कार्यों की विशेष प्रकृति के आधार पर अपनी जिम्मेदारियो को टाल नहीं सकती। उसके अतिरिक्त यह प्रथम बार नहीं था की ऐसे स्मारकों,[41] जो कि विशिष्ट प्रकृति का कार्य समाहित करते थे, का निर्माण प्रदेश में किया गया था। तात्कालिकता व वरीयता का तात्पर्य ये नहीं है कि प्रस्तावों का पूर्ण परीक्षण न किया जाय। यथोपरि यह तथ्य की 16 से 34 माह की अवधि में प्रति परियोजना औसतन आठ संशोधन ईएफसी द्वारा अनुमोदित किये गये, ईएफसी की विस्तृत परीक्षा की कमी को परिलक्षित कराता है।

परियोजना व्ययों में अत्यधिक वृद्धि

2.2.10 परियोजनाओं के प्रारम्भ से पूर्ण होने तक के वित्तीय व्यय को नीचे वर्णित सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी 2.3: प्रारम्भिक तथा अन्तिम स्वीकृत लागत, परियोजनाओं के वित्तीय बजट में वृद्धि तथा परियोजनाओं पर किये गये व्यय का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	सामाजिक परिवर्तन स्थल	स्मारक स्थल	बौद्ध विहार	ईको गार्डन	प्रेरणा स्थल	योग
1.	प्रारम्भिक स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	366.83	254.17	80.68	157.47	84.58[42]	943.73
2.	अन्तिम स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)	1362.62	742.45	458.76	1075.63	918.55	4558.01
3.	प्रारम्भिक स्वीकृत से ऊपर वृद्धि प्रतिशत	271.46	192.11	468.62	583.07	986.03	382.98
4.	जनवरी 2014 तक किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	1320.66	716.28	393.02	1057.83	685.78	4173.57

(स्रोतः ईए के अभिलेखों से संकलित)

उपरोक्त सरणी से यह स्पष्ट है कि सभी परियोजनाओं की मूल स्वीकृति ₹ 943.73 करोड़ थी जो कि निर्माण अवधि अक्टूबर 2007 से नवम्बर 2011 के दौरान संशोधित होकर ₹ 4,558.01 करोड़ हो गयी। परियोजना व्ययों में यह वृद्धि 192 से 986 प्रतिशत तक दर्ज की गयी।

अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त व्यय

2.2.11 अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण ईए द्वारा अतिरिक्त व्यय करने के विभिन्न दृष्टांत हमने पाये जिसपर नीचे चर्चा की गयी है:

- ईए ने 170 अनुबंधों से सम्बंधित 211 कार्य मदों का आवंटन अनुमोदित दरों पर होना सुनिश्चित नहीं किया जो कि 83 ठेकेदारों को ₹ 8.71 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान में परिमाणित हुआ।

  लेखा परीक्षा द्वारा मामला उठाने पर, ईए ने ₹ 6.80 करोड़ की वसूली की तथा शेष राशि **(परिशिष्ट–11)** का सत्यापनोपरान्त वसूली का आश्वासन दिया (सितम्बर 2013)।

- ईए ने कार्य के दो मदों[43] की दरों का अनुमोदन (8 नवम्बर 2007 तथा 10 अक्टूबर 2007) न्यूनतम प्राप्त बोली से उच्च दरों पर अनुमोदित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.28 लाख[44] का अतिरिक्त व्यय हुआ।

---

[41] डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मारक का कार्य 1995 में आरम्भ हुआ था।
[42] परियोजना के चहारदीवारी के निर्माण के लिए स्वीकृत प्रथम प्राक्कलन का मूल्य।

उत्तर में ईए ने अतिरिक्त भुगतान किये गये ₹ 9.28 लाख की वसूली का आश्वासन दिया।

- ईए ने तीन कार्य मदों का निष्पादन प्रचलित कमतर दरों पर नये अनुबंध करने के स्थान पर वर्तमान अनुबंधों की अनुबंधित मात्रा में विस्तार करके उच्च दरों पर किया परिणामतः ₹ 16.96 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

  लेखा परीक्षा द्वारा मामला इंगित किये जाने पर, ईए ने ₹ 16.96 लाख की वसूली ठेकेदारों से की।

- ईए ने 15 अनुबंधों की 33 मदों में अनुबंधों को पूर्व दिनांकित करते हुए उस तिथि पर कार्य को आवंटित किया जब दर ऊँची थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 68.81 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

  लेखा परीक्षा द्वारा मामला उठाये जाने पर, ईए ने ₹ 18.57 लाख की वसूली की तथा बताया की शेष राशि **(परिशिष्ट–12)** की वसूली नहीं की जा सकती है क्योंकि दरों में संशोधन से पूर्व ही कार्य पूर्ण किया जा चुका था।

- समान अवधि में समान आकार के बॉटल पाल्म, साईकस रेवोल्यूटा तथा डेट पाल्म की आपूर्ति के लिए भिन्न दरें दी गयीं जिसके परिणामस्वरूप ₹ 86.91 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

  लेखा परीक्षा द्वारा मामला उठाये जाने पर ईए ने ₹ 25.85 लाख की वसूली की तथा शेष राशि ₹ 61.06 लाख **(परिशिष्ट–13)** के सम्बंध में मौन रहा।

करों का अधिक/परिहार्य भुगतान तथा स्रोत पर वैट की कटौती न करना

2.2.12 ईए ने करों का अतिरिक्त/परिहार्य भुगतान किया तथा स्रोत पर मूल्य संवर्धित कर (वैट) की कटौती करने में विफल रहा जिसका सारांश नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी 2.4: कर मामलों पर लेखा परीक्षा प्रेक्षण

क्रम संख्या	लेखा परीक्षा प्रेक्षण	उत्तर/टिप्पणियाँ
1.	**मूल्य संवर्धित कर का परिहार्य भुगतानः** कार्य अनुबंधों में, ईए ने अलग से सामग्री हिस्से[45] पर वैट तथा श्रम हिस्से पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.72 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। **स्रोत पर वैट की कटौती नहीं:** यद्यपि ईए ने कार्य अनुबंधों पर ₹ 90.94 करोड़ का भुगतान किया था फिर भी वैट अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार स्रोत पर वैट की कटौती करने में विफल रहा। इस भूल के कारण वैट अधिनियम की धारा 34 (8) के अन्तर्गत न काटे गये कर के दो गुने दण्ड का दायित्व बन गया।	ईए ने बताया (सितम्बर 2013) की कांस्य मदें जैसे कि मूर्तियां, फाउन्टेन, दीपमाला तथा स्तम्भ कैपिटल आपूर्ति आदेश के माध्यम से लाया गया तथा खरीद मदें थीं। इसलिए वैट कुल मूल्य पर भुगतान किया गया था तथा स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की गयी थी। नोएडा प्राधिकरण ने ईए के उत्तर का समर्थन (जनवरी 2014) किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा चिन्हित किये गये ये कार्य आपूर्ति मात्र नहीं थे वरन् उनमें स्थल पर आपूर्ति व स्थापना या आपूर्ति व फैब्रीकेशन भी सम्मिलित था। आगे, टीडीएस की कटौती का उत्तर नहीं दिया गया।
2.	**उच्च दरों पर वैट का भुगतान** ईए ने वैट अधिनियम की अधिसूची–II में सूचीबद्ध विभिन्न मदों[46] का क्रय किया जिनपर वैट दर चार प्रतिशत परिभाषित की गयी थी, फिर भी आपूर्तिकर्ताओं को वैट का भुगतान चार प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत की दर पर किया गया परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को ₹ 76.94 लाख का अधिक वैट भुगतान किया गया।	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर, ईए ने ₹ 7.31 लाख की वसूली की तथा शेष राशि ₹ 69.63 लाख **(परिशिष्ट–14)** के लिए बताया (सितम्बर 2013) कि स्टेनलेस स्टील मदें/कपलॉक पाईप फैब्रीकेटेड मदें थीं और इसलिए कर का भुगतान 12.5 प्रतिशत की दर पर किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिन मदों पर हमारे द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है वे मदें वैट अधिनियम की अधिसूची–II में सूचीबद्ध है जिनपर कर केवल चार प्रतिशत की दर से देय था।

[43] ग्रेनाइट फ्री स्टेन्डिंग कॉलम की आपूर्ति तथा फिक्सिंग के लिए ₹ 7,730 प्रति घन फुट दरें अनुमोदित की गयी थी जबकि न्यूनतम बोली ₹ 7,700 प्रति घन फुट थी। गुम्बद तथा फाउन्टेन के कांस्यकार्य की आपूर्ति तथा स्थापना की दरें ₹ 1,110 प्रति किग्रा अनुमोदित की गयीं थी जबकि न्यूनतम बोली ₹ 1,100 प्रति किग्रा थी।

[44] 7,250.02 घन फुट ग्रेनाइट कार्य पर ₹ 2.18 लाख तथा 63,064 किग्रा कांस्य कार्य के क्रय पर ₹ 7.10 लाख।

[45] यूपी वैट नियमावली के नियम 9 के अनुसार।

[46] फ्लैट्स, एंगल्स, प्लेट्स तथा स्टेनलेस स्टील की रॉडस, आरसीसी पाईप तथा कॉलर, एमएस पाईप तथा पाईप्स।

3.	**सेवा कर का अनियमित भुगतान** स्मारकों का निर्माण स्मारकीय तथा सांस्कृतिक प्रकृति का था तथा वाणिज्य या उद्योग हेतु आशयित नहीं था। इसलिए, सेवा कर लागू नहीं था तदापि तीन कार्यों[47] के लिए विभिन्न मदों[48]पर ₹ 1.56 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया गया।	ईए ने बताया (सितम्बर 2013) की कुछ विशिष्ट मामलों में सेवा कर का भुगतान किया गया क्योंकि वे इरेक्शन कमीशनिंग व स्थापन सेवाओं के अर्न्तगत वर्गीकरण योग्य थे। पुनः, मामले को सेवा कर प्राधिकारियों को संदर्भित किया गया था जिन्होंने बताया कि सेवा कर देय था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा इंगित मामले स्मारकों के निर्माण हेतु वर्गीकृत थे न कि इरेक्शन कमीशनिंग व स्थापन सेवाओं से। पुनः, सेवा कर विभाग को संदर्भित प्रकरण, तैयार मिश्रित कंक्रीट की पम्पिंग का था तथा हमारे द्वारा उठाये गये मामले से सम्बन्धित नहीं था।

नियोजन

परामर्शदाताओं का चयन

2.2.13 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कार्यालय ज्ञापन[49] के अनुसार (25 नवम्बर 2002) परामर्शदाता का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से एक पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

हमने पाया कि चार परियोजनाओं[50] में वृहद परामर्श और वास्तुशिल्प सेवाओं के लिए परामर्शदाता का चयन सीवीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से नही किया गया था **(परिशिष्ट–15)**।

ईए द्वारा बताया (सितम्बर 2013) गया कि स्मारक स्थल के मामले में लविप्रा द्वारा एवं बौद्ध विहार के मामले में सिंचाई विभाग द्वारा परामर्शदाता का चयन किया गया था। शेष परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता का चयन ईए के मुख्यालय से किया गया था। नोएडा प्राधिकरण द्वारा बताया गया (जनवरी 2014) कि ईए द्वारा इस मुद्दे को स्पष्ट किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) द्वारा ईए के उत्तर पर विचार करने के लिए निवेदन किया गया (सितम्बर 2013) है।

इस प्रकार, यह तथ्य बना रहा कि चार परियोजनाओं में चयन सीवीसी के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया।

परामर्शदाताओं को किए गए भुगतानों के सम्बंध में कमियां

2.2.14 ईए द्वारा परामर्श पर ₹ 42.09 करोड़ खर्च किये गये जिसका विवरण **(परिशिष्ट–15)** में दिया गया है। परामर्शदाताओं को किए गए भुगतान के सम्बंध में विभिन्न कमियां जो हमने पायीं उनकी चर्चा नीचे की गयी है:

- बिना अनुबंध किये ₹ 6.08 करोड़ का भुगतान[51] किया गया।
- सामाजिक परिवर्तन स्थल, स्मारक स्थल तथा प्रेरणा स्थल के परामर्शी अनुबंधों में पुनरावृतिक[52] प्रकृति के कार्यों हेतु निम्नतर दरों पर शुल्क[53] भुगतान हेतु कोई उपबन्ध नहीं था। ऐसे उपबन्ध के अभाव में, परामर्शदाताओं को 1.50 प्रतिशत की पूर्ण दर से भुगतान किया गया। जिसके परिणामस्वरूप इन स्मारकों के मामलों में परामर्शदाताओं को ₹ 1.74 करोड़ **(परिशिष्ट–16)** का अधिक भुगतान किया गया।

---

47 सामाजिक परिर्वतन स्थल, स्मारक स्थल तथा प्रेरणा स्थल।

48 जल शोधन एवं दीर्घायुक्तता उपचार, लेमिनेटेड ग्लास की स्थापना, जियो टेक्सटाईल की आपूर्ति एवं स्थापना, चहारदीवारी में मुख्य छेद के कोर कटिंग, ड्रिलिंग एवं कोर कटिंग, पाईप डालना, कंक्रीट काटने एवं तोड़ने का कार्य, गुम्बद/वॉल्ट को खड़ा करना, प्रोटेक्टा फ्लेक्सी प्वाइंट को डालने का कार्य।

49 संख्या ओएफएफ 1 सीटीई 1।

50 स्मारक स्थल, ईको गार्डन, बौद्ध विहार और प्रेरणा स्थल।

51 ₹ 4.62 करोड़ आर्किटेक्ट ब्यूरो तथा ₹ 1.46 करोड़ डिजाईन एसोसिएट्स को।

52 ऐसे कार्य जिन के लिए एक मानकीकृत डिजाईन बने हैं और उनका प्रयोग अन्य दूसरे कार्य के लिए भी किया जाता है। इन परियोजनाओं में चहारदीवारी का कार्य, अशोकन कॉलम, कांस्य फाउन्टेन इत्यादि की पहचान पुनरावृतिक प्रकृति के कार्यों के रूप में की गयी है।

53 सामान्यता ईए द्वारा लागत के 0.25 प्रतिशत की दर से पुनरावृतिक प्रकृति के कार्य के लिए भुगतान किया जाता है।

- स्मारक स्थल के परामर्श सम्बंधी अनुबंध के पैरा 5[54] के अनुसार, परामर्श शुल्क की गणना करने के लिए जीओयूपी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में से निर्धारित मदों को घटाने के बाद परियोजना लागत ली जायेगी। ईए, स्मारक स्थल की परियोजना लागत की गणना में ₹ 38.13 करोड़ तक की सम्बन्धित कटौतियाँ करने में विफल रहा जो कि ₹ 0.57 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान में परिमाणित हुआ।

लेखापरीक्षा की आपत्तियों के आधार पर ईको गार्डन और प्रेरणा स्थल के लिए वास्तुविद को दिए जाने वाले परामर्श शुल्क को ईए द्वारा पुनरीक्षित किया गया और परामर्श शुल्क के लिए व्यय को ₹ 0.95 करोड़ से घटा दिया गया। शेष परियोजनाओं के लिए, ईए द्वारा बताया गया (सितम्बर 2013) कि पुनरावृतिक प्रकृति का कोई कार्य नहीं था और शुल्क की गणना सही तरीके से की गयी है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जो कार्य लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में लाये गयें हैं, वे पुनरावृतिक प्रकृति के हैं। अग्रेतर, ईए के द्वारा गणना किये गये परामर्श शुल्क में से परामर्शीय अनुबंध के पैरा 5 के अनुसार कटौतियां नहीं की गयीं थी।

अतिरिक्त कार्यों का समामेलन

2.2.15 परियोजनाओं का परिरूपण कभी भी पूर्णरूपेण नहीं किया गया; वरन् समय–समय पर अतिरिक्त कार्यों को विभिन्न स्तरों पर जोड़ा गया। विभाग, ईए तथा परामर्शदाता, परियोजनाओं के आरम्भ से ही परियोजनाओं के उचित परिरूपण में विफल रहे, यह कार्य निष्पादन के दौरान सभी पाँच स्मारकों में नये कार्यों की बढ़ोत्तरी में परिणत हुआ जो कि नीचे वर्णित है:

सारणी 2.5: परियोजनावार अतिरिक्त कार्यों तथा वित्तीय व्ययों में वृद्धि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	स्मारक का नाम	अतिरिक्त नये कार्यों की संख्या	अतिरिक्त वित्तीय व्यय
1.	सामाजिक परिवर्तन स्थल	11	957.99
2.	स्मारक स्थल	8	449.48
3.	ईको गार्डन	3	918.16
4.	बौद्ध विहार	8	378.08
5.	प्रेरणा स्थल	19	833.98
	योग		**3537.68**

(स्रोत : ईए द्वारा दी गयी सूचनाओं से संकलित)

सिंचाई विभाग ने स्वीकार (नवम्बर 2013) किया कि अतिरिक्त कार्यों के समामेलन के कारण सात संशोधन किये गये थे। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग) ने बताया (दिसम्बर 2013) कि नये कार्यों के समामेलन के कारण संशोधन किये गये थे। नोएडा प्राधिकरण ने बताया (जनवरी 2014) कि आवश्यकतानुसार नये कार्यों को जोड़ा गया। संस्कृति विभाग ने इस सम्बंध में विशिष्ट टिप्पणी (अक्टूबर 2013) नहीं की।

ड्राइंग तथा डिजाइन में परिवर्तन

2.2.16 परियोजनाओं का नियोजन पहलू काफी हद तक परामर्शदाता द्वारा संचालित था तथा परियोजनाओं के ड्राइंग एवं डिजाइन में बार–बार संशोधन किये गये। इन बारम्बार संशोधनों के परिणामस्वरूप हाल ही में निर्मित ढाँचों को तोड़ना/ध्वस्त करना पड़ा जिससे ₹ 29.62 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जो कि नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है :

---

[54] अन्य परामर्श अनुबंधों (जहाँ 1.5 प्रतिशत की दर से परियोजना लागत पर शुल्क देय था) का पैरा 5 यह प्रदत्त करता है कि परियोजना लागत पर आनेवाली अनुमोदित लागत से निम्नलिखित मदों को घटाना, अनुमोदित आकस्मिक प्रभार, अनुमोदित सेन्टेज/पर्यवेक्ष प्रभार, बाह्य शक्ति के लिए मान्य भुगतान, संयोजन, मल व्यवस्था, जल आपूर्ति इत्यादि की तथा निगम मानचित्रों का विकास प्राधिकरण को अनुमोदन इत्यादि तथा किसी भी प्रकार के अनुमान्य/योग्य करों जैसा कि लागू हो और सरकारी एजेन्सी को सीधे कराया गया कोई अन्य भुगतान। उपरोक्त परियोजना लागत किसी भी शर्तों पर अनुमोदित लागत से अधिक नही होनी चाहिए। मिट्टी भरने की लागत को ईएफसी द्वारा अनुमोदित कराने की आवश्यकता थी तथा वस्तुशिल्प सेवाओं के लिए कोई अन्य मदों की आवश्यकता/अनुमोदन नहीं थी।

सारणी 2.6: ड्राईंग तथा डिजाईन में परिवर्तन के कारण निष्फल व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

स्मारक का नाम	निर्माण अवधि	ध्वस्तीकरण की अवधि	ध्वस्त किये गये ढाँचों के निर्माण की लागत	वसूल किये गये सामग्री की लागत	ध्वस्त करने की लागत	निष्फल व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) (कॉलम 4– कॉलम 5 + कॉलम 6)
सामाजिक परिवर्तन स्थल	अक्टूबर 2007 से अप्रैल 2010	जून 2008 से अगस्त 2010	12.69	4.33	0.99	9.35
स्मारक स्थल	अप्रैल 2008 से मार्च 2009	अप्रैल 2008 से मार्च 2011	13.88	5.04	2.49	11.33
ईको गार्डन	अप्रैल 2008 से जुलाई 2011	अप्रैल 2010 से मार्च 2012	2.52	0.13	0.78	3.17
बौद्ध विहार	जुलाई 2000 से अगस्त 2009	जनवरी 2009 से फरवरी 2011	4.93	1.29	0.71	4.35
प्रेरणा स्थल	उपलब्ध नहीं	जुलाई 2008 से अक्टूबर 2009	2.98	1.57	0.01	1.42
योग						**29.62**

(स्रोत : ईए द्वारा दी गयी सूचनाओं से संकलित)

इस प्रकार, उचित नियोजन के अभाव में ₹ 29.62 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। यह कोषों के अप्रभावी उपयोग तथा विभागों/ईए द्वारा अनुश्रवण की कमी को भी दर्शाता है।

सिंचाई विभाग ने स्वीकार (नवम्बर 2013) किया कि बौद्ध विहार के कार्य की ड्राईंग/डिजाईन में बार–बार परिवर्तन किये गये थे। आवास विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि ईए ने उच्च अधिकारियों के आदेशों के कारण अतिरिक्त कार्य प्रस्तावित किये। उपरोक्त उत्तर नियोजन की कमी की हमारी आपत्ति को समर्थन देते हैं।

कार्य के पुनः निष्पादन के कारण परिहार्य व्यय

2.2.17 लेखापरीक्षा के दौरान कार्यों के अनुचित नियोजन के कारण पुनः कार्य निष्पादन के विभिन्न दृष्टान्तों को हमने देखा जो कि ₹ एक करोड़ के अतिरिक्त व्यय के रूप में परिणित हुए इनकी चर्चा नीचे की गयी है:

- ईए ने सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ के फोर कोर्ट क्षेत्र में भारी वाहनों के आवाजाही के कारण हुए नुकसान की मरम्मत के लिए ₹ 0.44 करोड़ की लागत से 40 मिमी मोटी ग्रेनाइट फर्श का पुनः निर्माण कार्य (नवम्बर 2008 से अगस्त 2009) करवाया जिन कार्यों में भारी वाहनों की आवाजाही जरूरी थी उन कार्यों के पूर्ण होने पर फर्श कार्य की योजना बना कर इस लागत से बचा जा सकता था।

  आवास विभाग ने स्वीकार (नवम्बर 2013) किया कि फर्श भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हुआ तथा इस मुद्दे पर अग्रेतर टिप्पणी सम्भव नहीं है।

- ईए ने प्रेरणा स्थल, नोएडा में डिजाईन में परिवर्तन के कारण एक अतिरिक्त प्रवेश द्वार के निर्माण हेतु 3,761.84 घन फुट मिर्जापुर बलुआ पत्थर की चहारदीवारी को ध्वस्त कर दिया। कुल ध्वस्त सामग्री में से 1,410.72 घन फुट पत्थर पुनः प्रयोग में लाया गया तथा बाकी ध्वस्तीकरण (₹ 7.56 लाख) और पत्थर को पुनः लगाने की श्रम लागत (₹ 15.05 लाख) के परिहार्य व्यय के साथ अप्रयुक्त रहा।

  नोएडा प्राधिकरण ने ईए के उत्तर का समर्थन (जनवरी 2014) किया जिसने बताया (सितम्बर 2013) कि प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए केवल 838.73 घन फुट चहारदीवारी को ध्वस्त किया गया था, जो कि बाद की तारीख में स्वीकृत हो गया था तथा बाकी मात्रा का ध्वस्तीकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में किया गया। उत्तर यह पुष्टि करता है कि द्वार के निर्माण हेतु उचित नियोजन (प्लानिंग) द्वारा द्वार के लिए चहारदीवारी के ध्वस्तीकरण से बचा जा सकता था तथा अन्य तोड़–फोड़ पर्यावरण नियमों के प्रारम्भिक उल्लंघन के कारण हुई थी जिसे बाद में माननीय न्यायालय द्वारा पालन कराया गया।

- ईए ने प्रेरणा स्थल, नोएडा में ₹ 37.04 लाख खर्च कर 2,849.55 घन फुट चहारदीवारी का निर्माण करवाया। निर्मित चहारदीवारी को परियोजना के परामर्शदाता द्वारा ड्राइंग में परिवर्तन करने पर ध्वस्त (नवम्बर 2008) कर दिया गया तथा संशोधित ड्राइंग के अनुसार एक नई चहारदीवारी ₹ 37.04 लाख की लागत से ध्वस्त बलुआ पत्थर का पुनः उपयोग किये बिना, निर्मित करवाया गया। इस प्रकार निर्माण के पूर्व निश्चित ड्राईंग व डिजाईन न होने के कारण ₹ 33.62 लाख[55] का परिहार्य व्यय किया गया।

  नोएडा प्राधिकरण ने स्वीकार (जनवरी 2014) किया कि लेआउट में परिवर्तन के कारण चहारदीवारी को ध्वस्त किया गया था।

परियोजनाओं का निष्पादन

2.2.18 व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने आगणनों (सितम्बर 2007 से जनवरी 2011) को स्वीकृति देते समय यह अनुशंसा की थी कि पत्थर/संगमरमर मूर्तियों, हाथियों, पेडस्टल आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन सम्बंधित वित्तीय नियमों के तहत प्रशासकीय विभाग/ईए द्वारा स्वयं की जिम्मेदारी पर न्यूनतम दरों तथा न्यूनतम आवश्यकता के साथ करना होगा।

हमने पाया कि सरकारी विभाग/कार्यदायी संस्था के स्तर पर पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण के अभाव में परियोजनाओं के निष्पादन में ईएफसी की अनुशंसाओं का पालन नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप गलत दर विश्लेषण, उच्च दरों पर सिविल, विद्युत एवं बागवानी कार्यों तथा कांस्य म्यूरल फाउन्टेन आदि हेतु कला कार्यों का गैर मितव्ययी एवं अकुशल निष्पादन हुआ जिनकी चर्चा निम्नवर्ती प्रस्तरों में नीचे की गई है:

पूर्व विद्यमान ढाँचों का ध्वस्तीकरण

2.2.19 ईएफसी ने यह अनुशंसा की (सितम्बर 2007 से जून 2010) कि प्रशासनिक विभाग ध्वस्तीकरण के दौरान प्राप्त स्क्रैप सामग्री के मूल्य में से ह्रास मूल्य या स्क्रैप सामग्री के पुनः प्रयोग की सम्भाविताओं को निर्णीत करते हुए कोषागार में जमा कराएगा। लखनऊ में चार स्मारकों के निर्माण की गतिविधियाँ प्रारम्भ होने हेतु परियोजनाओं के लिए साइट खाली करने के लिए परिसर में पूर्व में मौजूद ढांचों को ध्वस्त किया गया। ध्वस्त ढांचों तथा उनपर किए गये व्यय का विवरण **(परिशिष्ट–17)** में दिया गया है।

परिशिष्ट–17 से यह देखा जा सकता है कि :

- जमा (15 मई 2010) की गई ₹ 61 लाख की धनराशि को छोड़कर, ईएफसी द्वारा किए गये अनुशंसाओं के विपरीत न तो प्रशासनिक विभाग न ही ईए द्वारा, चार स्मारकों में ध्वस्तीकरण से प्राप्त पुनः प्रयोज्य तथा स्क्रैप सामग्री के मूल्यों के उचित अभिलेख रखे गये।

  ईको गार्डन के लिए, ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि ईए द्वारा बेचे गये स्क्रैप सामग्री को छोड़कर सभी प्रयोग्य सामग्री कारागार विभाग द्वारा ले ली गयी थी। कारागार विभाग ने ईए के दावे को खारिज करते हुए यह कहा (अक्टूबर 2013) कि ईए स्क्रैप सामग्री के निस्तारण तथा उसके अभिलेख बनाने के लिए जिम्मेदार था।

  उत्तर विरोधाभासी तथा अस्वीकार्य है क्योंकि कारागार विभाग द्वारा प्राप्त कार्येत्तर अनुमोदन महानिदेशक, कारागार की जिम्मेदारी निर्धारित करता था कि वह ईए की सहायता से अभिलेख/खाते सुनिश्चित करे।

  बौद्ध विहार के लिए, जो कि परिकल्प नगर को ध्वस्त कर निर्मित किया गया था, सिंचाई विभाग ने स्वीकार (नवम्बर 2013) किया कि परिकल्प नगर की सभी इमारतें सुरक्षित थीं तथा उन्होंने अपने उपयोगी जीवनकाल को पूरा नहीं किया था तथा

[55] निर्माण लागत (₹37.04 लाख)+ध्वस्तीकरण लागत (₹ 0.85 लाख)–व्यर्थ पत्थर की लागत (₹ 4.27 लाख)

इन इमारतों को ध्वस्त करने के परिणामस्वरूप, भूमि की लागत को छोड़ते हुए ₹ 118.47 करोड़ का नुकसान हुआ। अग्रेतर, इस हेतु जाँच करने के लिए गठित समिति[56] ने भी पाया कि ध्वस्तीकरण का कार्य अधिकारातीत तथा अनुचित था। ईए ने बताया की स्क्रैप का निस्तारण उसके द्वारा नहीं किया गया था। उत्तर यथोचित प्रक्रियाओं के पालन न होने की पुष्टि करता है।

सामाजिक परिवर्तन स्थल के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग) ने बताया (दिसम्बर 2013) कि स्क्रैप सामग्री अनुपयोगी थी इसलिए उसे भरने के कार्य में इस्तेमाल किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भराई का स्थान व भराई के आयतन से संबंधित अभिलेख उक्त के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया।

- ईको गार्डन तथा बौद्ध विहार में ध्वस्तीकरण प्रशासकीय विभाग के लिखित निर्देश (28 अगस्त 2009 तथा 21 नवम्बर 2008) के आधार पर किया गया था; औपचारिक प्रक्रिया जैसे कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों का पालन नहीं किया गया तथा आवश्यक स्वीकृतियां/अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किए गए (फरवरी 2014)।

  ईको गार्डन के लिए, कारागार विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि शासन द्वारा वांछित सभी अभिलेख महानिदेशक, कारागार द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये जिसके कारण स्वीकृति नहीं दी गयी। बौद्ध विहार के लिए, सिंचाई विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि ध्वस्तीकरण के कार्यों की जाँच के लिए बनाई गई समिति ने पाया कि ध्वस्तीकरण अधिकारातीत तथा अनुचित था।

  ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि ध्वस्तीकरण ग्राहक के निर्देश पर किया गया तथा स्वीकृति एवं धनराशि की प्राप्ति के प्रयास किये गये। उत्तर हमारे प्रेक्षण की पुष्टि करता है।

हमने आगे निम्नलिखित देखा :

- ईएफसी के निर्देशों (27 मार्च 2008) के अनुपालन में आवास विभाग ने सामाजिक परिवर्तन स्थल में गैलरी का निर्माण शुरू करने के लिए पुरानी इमारतों के ध्वस्तीकरण की दरों को अन्तिम रूप देने के लिए एक तकनीकी समिति (टीसी) का गठन (28 अप्रैल 2008) किया। ईए ने तीन पार्टियों[57] से प्राप्त निविदाओं को टीसी को प्रस्तुत किया (29 अप्रैल 2008) जिसने मैगलिंक इंफ्रा प्रोजेक्टस (प्रा) लिमिटेड (एमआईपीपीएल) की न्यूनतम उद्धृत दर ₹ 2.10 करोड़ को अनुमोदित किया (29 अप्रैल 2008)।

  हमने देखा कि तकनीकी समिति को कोटेशन प्रस्तुत करने से पूर्व ही, ईए ने कार्य का आशय पत्र (एलओआई) एमआईपीपीएल को जारी (24 अप्रैल 2008) कर दिया। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने तकनीकी समिति के गठन से पूर्व ही एमआईपीपीएल को विस्फोटक के माध्यम से ध्वस्तीकरण के लिए अनुमति आदेश[58] जारी (26 अप्रेल 2008) कर दिए थे। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह इंगित होता है कि तकनीकी समिति का गठन केवल औपचारिकता थी पार्टी तथा दरों का चयन पहले ही कर लिया गया था। तदोपरि विस्फोट 21 अप्रैल से 15 मई 2008 के दौरान किया गया जोकि दर्शाता है कि कार्य एलओआई जारी करने से पूर्व प्रारम्भ कर दिया गया था। यह आवास विभाग के द्वारा अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की विफलता को दर्शाता है।

  ईए ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए यह बताया (सितम्बर 2013) कि कार्य की तात्कालिकता एवं एमआईपीपीएल द्वारा न्यूनतम कोटेशन को देखते हुए उनको कार्य प्रदान किया गया था तथा कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गयी थी।

---

[56] एसएटी रिजवी समिति।

[57] मैगलिंक इन्फ्रा प्रोजेक्ट (प्रा) लिमिटेड, तिरूपुर, तमिलनाडु (एमआईपीपीएल), डीलक्स अर्थमूवर्स एण्ड कॉन्ट्रेक्टर तथा श्री वारी कन्स्ट्रक्शनस कम्पनी।

[58] कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा विस्फोटक नियमावली 1983 के नियम 155 (8) (पप) के तहत जारी।

आवास विभाग ने स्वयं द्वारा गठित टीसी द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना एलओआई निर्गमन के लिए कोई कारण नहीं उपलब्ध (दिसम्बर 2013) कराया।

सिविल तथा पत्थर कार्य

दरों के निर्धारण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन

2.2.20 ईएफसी की अनुशंसाओं (10 सितम्बर 2007) के आधार पर आवास विभाग ने विभिन्न पत्थर कार्यों की दरें जो कि दरों की अनुसूची (एसओआर) में उपलब्ध नहीं थी, तय करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन करने के लिए लविप्रा (नोडल एजेंसी) तथा ईए को आदेश[59] (4 अक्टूबर 2007) दिया। इसी प्रकार ईएफसी/शासन ने लखनऊ में अन्य संबंधित विभागों की अन्य परियोजनाओं के लिए दरों के अनुमोदन के लिए एचएलसी के गठन की अनुशंसा[60] की थी।

जीओयूपी के आदेश के अनुपालन में, एक एचएलसी [61] का गठन (25 अक्टूबर 2007) किया गया जिसमें लविप्रा ने भी अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत (31 अक्टूबर 2007) किया। ईए की सम्बंधित इकाईयों के परियोजना प्रबंधकों को बाद में विशेष प्रकृति के निर्माण के लिए विस्तृत बाजार सर्वेक्षण करना था तथा एचएलसी को उचित कार्यवाही हेतु सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।

अग्रेतर, ईए की कार्य नियमावली के पैरा 102 ए के अनुसार शहर की सभी इकाईयों परियोजना प्रबंधक तथा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के वित्तीय सलाहकार द्वारा मनोनीत एक अकाउन्ट्स का व्यक्ति संयुक्त क्रय समिति के सदस्य होंगे।

परियोजना प्रबंधकों की समिति ने प्राप्त कोटेशनों के आधार पर पत्थर कार्यों के 20 मदों की अन्तिम दरों की अनुशंसा (8 नवम्बर 2007) की। जिसको एचएलसी द्वारा अनुमोदित (14 नवम्बर 2007) कर दिया गया।

हमने पाया कि:

- आवास विभाग के अतिरिक्त, किसी विभाग ने किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन नहीं किया।
- उपर्युक्त 20 मदों के अतिरिक्त ईए ने लखनऊ में सभी चार परियोजनाओं के लिए 365 मदों की दरें बिना एचएलसी की अनुमति के अपने स्तर पर निर्धारित[62] करी। इस प्रकार, यह उच्च स्तरीय समिति जो कि एक बैठक (14 नवम्बर 2007) के उपरान्त क्रियाशील नहीं थी के द्वारा जिम्मेदारियों से पूर्णतः विमुख होना था। आवास विभाग ने उच्च स्तरीय समिति के कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया। ईए द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दरों की प्राप्ति में विफलता तथा दरों के विश्लेषण में कमी के कारण विभिन्न मदों की दरों को उच्च दरों पर निर्धारित किया गया। जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।
- ईए की समिति में लेखा/वित्त शाखा से कोई सदस्य नहीं था। इसलिए दरें वित्त शाखा द्वारा अमूल्यांकित रहीं।

आवास विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि एचएलसी से दरों के अग्रेतर अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाद में न्यूनतम बाजार दरों/अनुसूचित दरें उपलब्ध थी। ईए ने स्वीकार (सितम्बर 2013) किया कि एचएलसी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया तथा कार्यों को कार्य नियमावली के अनुसार करवाया गया। सिंचाई विभाग ने स्वीकार (नवम्बर 2013) किया कि उसके द्वारा कोई एचएलसी का गठन नहीं किया गया तथा बताया कि सक्षम प्राधिकारी से दरों की अनुमति की जिम्मेदारी ईए की थी।

---

[59] आदेश संख्या 4004/आठ–1–07–50 एलडीए दिनांक 4 अक्टूबर 2007।

[60] आदेश संख्या 4232/आठ/–1–07–71 विविध/07–टीसी–4 दिनांक 2 नवम्बर 2007; 718/आठ–277–सी–04–03–डब्ल परि/08 दिनांक 22 फरवरी 2008।

[61] सदस्यः वित्तीय सलाहकार, महाप्रबन्धक (तकनीकी), महाप्रबन्धक (सोडिक), महाप्रबन्धक (मध्य जोन), ईए के संबंधित इकाई प्रभारी (प्रस्तुतकर्ता) साथ ही साथ लविप्रा के अधिकृत प्रतिनिधि।

[62] 10 अक्टूबर 2007 से 25 अप्रैल 2011 के दौरान।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इन मामलों में एचएलसी बनाना एवं जब तक कि दरें दर अनुसूची में सम्मिलित न हो जायें, तब तक सभी दरों के लिए उसकी अनुमति लेना बाध्यकारी था।

उच्च दरों का अन्तिमीकरण

2.2.21 स्मारकों के निर्माण में वृहत व्यय सम्मिलित था तथा कार्यों को प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए ईए की कार्य नियमावली के प्रस्तर 102 ए तथा 103 में विर्निदिष्ट प्रक्रिया[63] का पालन करके सर्वाधिक मितव्ययी तरीके से निष्पादित करना था।

हमने पाया कि हमारे द्वारा नमूना जाँच किये गये 385 मदों में से 365 मदों की दरें निर्धारित करते समय विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नही किया गया। ईए ने समाचार पत्रों में बिना उचित विज्ञापन किए, प्राप्त सीमित कोटेशनों के आधार पर दरों का निर्धारण कर दिया। इसके अतिरिक्त, ईए की अन्य क्रियाएं जैसे कि फर्मे[64] जिन्होने दरें उद्धृत नहीं की थी को कार्य प्रदान करना तथा कुछ मामलों में न्यूनतम दरें (एल–1) उद्धृत करने वाली फर्मों[65] को कार्य न प्रदान किया जाना आदि अपारदर्शी व मनमाना था जिससे ईए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करा पाने में विफल रहा।

अग्रेतर, ईए ने अपने द्वारा अनुमोदित दरों को उचित ठहराने हेतु, जो दर विश्लेषण तैयार किये वे दोषपूर्ण[66] थे जिस पर **परिशिष्ट–18** में विस्तार से चर्चा की गयी है यह दरों के गलत विश्लेषण में परिणित हुआ। उक्त कमियों को हटाने के बाद लेखा परीक्षा द्वारा निकाली गई दरों तथा ईए द्वारा अनुमोदित दरों की तुलना ने दर्शाया कि ईए[67] द्वारा अनुमोदित निम्नतम दरें भी 9.51 प्रतिशत से लेकर 56.50 प्रतिशत तक अधिक थीं। जैसा कि **परिशिष्ट–19** में वर्णित है।

इस प्रकार, उचित प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने में विफलता के कारण ऊँची दरें प्राप्त हुई जो कि प्राप्त दरों के गलत विश्लेषण के कारण पकड़ी नहीं जा सकी। यह कार्यों के उचित दरों के आवंटन में परिणित हुआ जिससे ₹ 397.90 करोड़ का अधिक व्यय हुआ **(परिशिष्ट–20)**।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि क्रय समिति निम्नतम दरों का निर्धारण करती है न कि सम्बन्धित विक्रेता का। इसके अलावा, बहुतायत मामलों में कार्यों का आवंटन निम्नतम बोली लगाने वालों को ही किया गया परन्तु कुछ मामलों में निम्नतम बोली लगाने वाले की समयानुरूप कार्य की मात्रा के प्रबंधन की क्षमता का आंकलन करने के बाद ही कार्य अन्य ठेकेदारों को दिया गया। अनुमोदित दरें जनवरी 2009 की यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर से कम थी। दर विश्लेषण वास्तविक कार्य निष्पादन की दरों को निर्धारित करने का आधार नहीं था, उनको बाजार सर्वे तथा कोटेशनों के आधार पर निर्धारित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह खुले विज्ञापनों के माध्यम से सर्वाधिक मितव्ययी दरों को प्राप्त करने हेतु विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के पालन न करने के कारणों को सम्बोधित नहीं करता है। तथोपरि, प्राप्त दरों के गलत विश्लेषण ने भी ऊँची दरों के निर्धारण में सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा, ईए ने एचएलसी की अनदेखी की थी तथा दरों का निर्धारण अपने स्तर पर किया था, यह तथ्य दर्शाते हैं कि आवास विभाग व अन्य विभाग ईएफसी के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद इसका अनुश्रवण करने में तथा कार्य निष्पादन निम्नतम दरों पर सुनिश्चित करने में विफल रहे।

---

[63] समाचार पत्रों में विज्ञापन व सूचना के प्रकाशन के माध्यम से आपूर्तिकर्ता व ठेकेदारों की सूचीबद्धता द्वारा।

[64] उदाहरण–चिनमय कन्स्ट्रक्शन, एंकर कन्स्ट्रक्शन, जीके टाईल्स तथा मार्बल्स केटीएस एसोसिएट्स मार्बल सेंटर, वुड वर्कर्स प्रगति इन्फ्रा प्रोमोटर्स आदि।

[65] मेसर्स राज कमल मार्बल्स–ग्रेनाइट फ्री स्टैन्डिंग कॉलम; सुपर स्टोन कन्स्ट्रक्शन –15 फिट ऊँची मिर्जापुर बलुआ पत्थर हाथी मूर्ति; जेम ग्रेनाइट–ग्रेनाइट चहारदीवारी तथा ग्रेनाइट फाउन्टेन; जेपी स्टोन–850 एमएम मिर्जापुर बलुआ पत्थर जलेबी पैटर्न रेलिंग।

[66] अधिक बर्बादी की अनुमति, पत्थर की उच्च आधार दरें, मदें जिनकी जरूरत नहीं थी जैसे की थर्मोकॉल की लागत को शामिल करना, गलत रूपांतरण फैक्टर तथा आयतन भार के कारण उच्च भाड़ा दरें गलत प्रगणन आदि, विवरण के लिए कृपया **परिशिष्ट–18** का सन्दर्भ ग्रहण करें।

[67] लखनऊ स्थित परियोजनाओं के लिए।

दरों में भिन्नता करने में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

2.2.22 ईए ने दो भिन्न विशेषता वाले कार्यों जैसे ग्रेनाइट कॉलम कार्य में कॉफी ब्राउन ग्रेनाइट तथा व्हाइट गैलेक्सी ग्रेनाइट कार्य; चहारदीवारी कार्य में नक्काशी तथा बिना नक्काशी भाग; बंशी पहाड़पुर पत्थर कार्य में लाल पत्थर तथा गुलाबी पत्थर के लिए समान दर का अनुमोदन तथा कार्य प्रदान किया। बाद में कॉफी ब्राउन ग्रेनाइट कार्य; चहारदीवारी कार्य में बिना नक्काशी भाग तथा बंशी पहाड़पुर लाल बलुआ पत्थर कार्य के लिए दरें अलग की गई तथा इनके लिए दरें व्हाइट गैलेक्सी ग्रेनाइट कार्य, चहारदीवारी कार्य के नक्काशी भाग तथा बंशी पहाड़पुर गुलाबी पत्थर के कार्य की दरों से नीचे तय की गई।

हमने पाया कि ईए ने आठ से 37 माह तक दो भिन्न विशेषताओं वाले कार्यों को अलग नहीं किया एवं उच्च दरों पर भुगतान किया। भिन्न विशेषताओं वाले कार्यों की दरों को तय करने में हुई इस चूक के कारण ₹ 18.41 करोड़ का अधिक व्यय किया गया जिसकी चर्चा **परिशिष्ट–21** में की गई है।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि पूर्व में उनके द्वारा यह देखा नहीं जा सका कि भिन्न दरे सम्भव है तदनुसार एचएलसी द्वारा समग्र दरें निर्धारित की गयीं, परन्तु कार्य निष्पादन की एक तार्किक अवधि के पश्चात, भिन्न विशेषताओं के लिए अलग प्रस्ताव की प्राप्ति को ज्यादा तर्कसंगत माना गया। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात, ईए द्वारा ग्रेनाइट कॉलम कार्य हेतु ₹ 0.08 करोड़ की वसूली कर ली गयी।

उत्तर कार्यों को समग्र दरों पर कराने की पुष्टि करता है परन्तु स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईए एक विशेषज्ञ निर्माणी उपक्रम है जिसके पास ऐसे कार्यों को कराने हेतु अपेक्षित अनुभव एवं ज्ञान था।

ग्रेनाइट फर्श की दरों में वृद्धि

2.2.23 ईए ने आइवरी फेन्टेसी ग्रेनाइट फर्श (40 एमएम) तथा कनकपुर मल्टी–रेड ग्रेनाइट फर्श हेतु क्रमशः ₹ 5,850 प्रति वर्ग मीटर तथा ₹ 5,400 प्रति वर्ग मीटर की दर अनुमोदित (16 फरवरी 2009) की जिसे बाद में, ₹ 5,450/5,300 प्रति वर्ग मीटर की दरों पर संशोधित (12 अगस्त 2010) किया गया। इसके पश्चात, ईए ने संशोधित दरों पर कार्य करवाने में कठिनाईयों का हवाला देते हुए पुनः ₹ 5,850/5,400 प्रति वर्ग मीटर की मूल दरें बहाल (24 सितम्बर 2010) कर दी।

ईए के कार्य नियमावली का पैरा 119 यह प्रावधानित करता है कि दरों का निर्धारण करते समय क्रय समिति के लिए यह आवश्यक है कि वह आसपास के क्षेत्रों में अन्य इकाईयों में समान प्रकार की मदों के लिए अनुमोदित की गई दरों के बारे में पूछताछ करने के पश्चात अपना अन्तिम निर्णय ले। हमने पाया कि ईए ने कार्य नियमावली के ऊपर वर्णित पैरा के अनुरूप लखनऊ की सभी इकाईयों मे प्रचलित दरों पर विचार के बाद दरों को तय नहीं किया। हमने यह भी पाया कि लखनऊ की कुल नौ इकाईयों[68] में से चार इकाईयों[69] ने 24 सितम्बर 2010 के बाद 18 अनुबंधों के विरूद्ध 4,220.10 वर्ग मीटर ग्रेनाइट फर्श कार्य का निष्पादन ₹ 5,450/5,300 प्रति वर्ग मीटर की दरों पर करवाया। इन दरों से यह स्पष्ट है कि ₹ 5,450/5,300 प्रति वर्ग मीटर की निम्नतर दरें व्यवहारिक थीं। इस प्रकार, कई इकाईयों द्वारा समान कार्य निम्नतर दरों पर करवाने के बावजूद भी, ईए द्वारा कार्य नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा अनावश्यक रूप से मूल उच्च दरों को बहाल कर दिया गया। परिणामस्वरूप 5,199.46 वर्ग मीटर ग्रेनाइट फर्श कार्य के निष्पादन में ₹ 20.31 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि कार्य की मात्रा बहुत अधिक थी तथा ठेकेदारों से कम दरों पर कार्य करा पाना बहुत कठिन था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुरानी

---

[68] इकाई–19, बलरामपुर अस्पताल इकाई, मेडिकल कॉलेज कन्नौज (एनआर) इकाई, लोहिया–2 इकाई, एलएमआई इकाई, प्रतापगढ़ इकाई, एमकेआरएसएस (इंट्रेस प्लाजा) इकाई, सीएसए कानपुर इकाई तथा ईको पार्क इकाई–II।

[69] प्रतापगढ़ इकाई, एमकेआरएसएस (इंट्रेन्स प्लाजा) इकाई, सीएसए कानपुर इकाई तथा ईको पार्क इकाई–II।

दरों के बहाल होने के बाद भी कुल 15 ठेकेदारों में से 9 ठेकेदारों ने ₹ 5,450/5,300 प्रति वर्ग मीटर पर कार्य निष्पादित किया, चार ठेकेदारों ने बढ़ी हुई दर ₹ 5,850/ 5,400 प्रति वर्ग मीटर पर कार्य किया एवं दो ठेकेदारों ने एक ही समय में एक इकाई पर घटी दरों से तथा अन्य इकाई पर बढ़ी दरों पर कार्य किया।

सोलाकुण्डा मल्टी रेड ग्रेनाइट फर्श हेतु गलत दर का निर्धारण

2.2.24 हमने देखा कि सोलाकुण्डा मल्टी–रेड ग्रेनाइट एवं कनकपुर मल्टी–रेड ग्रेनाइट पत्थरों के कर्ब स्टोन एवं सीढ़ी कार्यों में ग्रेनाईट आपूर्ति एवं स्थापना हेतु समान दरें[70] अर्थात ₹ 5,150 प्रति घन फुट नियत थी। हमने देखा कि फर्श कार्य के लिए, सोलाकुण्डा मल्टी–रेड ग्रेनाइट तथा कनकपुर मल्टी–रेड ग्रेनाइट की दरें अलग–अलग थीं अर्थात क्रमशः ₹ 5,850 प्रति वर्ग मीटर तथा ₹ 5,400 प्रति वर्ग मीटर। चूँकि कर्ब स्टोन कार्य तथा सीढ़ी कार्य में सोलाकुण्डा मल्टी–रेड ग्रेनाइट तथा कनकपुर मल्टी–रेड ग्रेनाइट की आपूर्ति तथा स्थापना की समग्र दरें समान थी अतः फर्श कार्य में सोलाकुण्डा मल्टी–रेड ग्रेनाइट हेतु ₹ 450 प्रति वर्ग मीटर[71] की उच्च दरों पर अनुमोदन गलत था। उच्च दरों के परिणामस्वरूप सोलाकुण्डा मल्टी–रेड ग्रेनाइट की 3,987.456 वर्ग मीटर फर्श के कार्य निष्पादन पर ₹ 17.94 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि दरें विस्तृत बाजार सर्वेक्षण तथा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निर्धारित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एक तकनीकी एजेंसी होने के बावजूद, ईए प्राप्त फर्श दरों में अन्तर का पता नहीं लगा सकी और दोनो पत्थरों के लिए फर्श की समान दरों की प्राप्ति एवं निष्पादन नहीं करा सकी।

इस प्रकार, उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की अकर्मण्यता के कारण ईए द्वारा दरों का उच्च पक्ष में निर्धारण के परिणामस्वरूप परियोजना लागत में वृद्धि हुई जिसकी चर्चा प्रस्तर 2.2.21 से 2.2.24 में की गई है।

बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर कार्य में ड्राई क्लेडिंग पर अतिरिक्त भुगतान

2.2.25 प्रेरणा स्थल, नोएडा में, ईए ने निर्णय लिया (19 मार्च 2009) कि नोएडा में बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर के कार्य हेतु दरें, लखनऊ में अनुमोदित दरों की तुलना में ₹ 100 प्रति घन फुट कम होंगी क्योंकि बंशी पहाड़पुर से नोएडा की दूरी की तुलना में बंशी पहाड़पुर से लखनऊ तक की दूरी, अधिक थी। लखनऊ मे बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर के ड्राई क्लेडिंग कार्य हेतु आपूर्ति एवं स्थापना की समग्र दरें ₹ 1,076[72] प्रति घन फुट थीं। तदनुसार, नोएडा के लिए दरें ₹ 976 प्रति घन फुट होनी चाहिए थीं। जबकि नोएडा में भुगतान की गयीं दरें ₹ 2,400/2,550 प्रति घन फुट थीं।

हमने पाया कि नोएडा में ईए की इकाईयों (पीएमसी–2 तथा नोएडा इकाई–2) ने उच्च दरों पर भुगतान किया जिससे ₹ 2.83 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 2.7: उच्च दरों पर कार्य के भुगतान के कारण अधिक व्यय का विवरण

मदों का नाम	लखनऊ में दरें (₹ प्रति घन फुट)	नोएडा की इकाईयों द्वारा भुगतान की जाने वाली दरें (₹ प्रति घन फुट)	नोएडा की इकाईयों द्वारा वास्तव में भुगतान की गई दरें (₹ प्रति घन फुट)	दी गयीं उच्च दरें (प्रतिशत) (4)*100/ (3)	किये गये कार्य की मात्रा (घन फुट)	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में) 7= (4-3) x 6
1	2	3	4	5	6	7
बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर ड्राई क्लेडिंग की आपूर्ति तथा स्थापना कार्य	1076[73]	976	2400	245.90	15853.91	2.26
			2550	261.27	3592.58	0.57
				योग	**19446.49**	**2.83**

(स्रोतः– ईए द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के संकलन से)

---

[70] दरों का अनुमोदन 16 फरवरी 2009 को किया गया।

[71] सोलाकुण्डा मल्टी–रेड ग्रेनाइट ₹ 5,850 प्रतिवर्ग मीटर – कनकपुर मल्टी रेड ग्रेनाइट ₹ 5,400 प्रति वर्ग मीटर = ₹ 450 वर्ग मीटर।

[72] 50 एमएम मोटी 1 वर्ग मीटर क्लेडिंग = 1.7657 घन फुट क्लेडिंग; 50 एमएम मोटी क्लेडिंग के लिए ₹ 1,900 प्रति वर्ग मीटर की दर लेने पर प्रति घन फुट की दर ₹ 1076 आती है।

[73] तीन फुट से अधिक ऊँचाई पर 50 एमएम बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की क्लेडिंग की आपूर्ति एवं स्थापना की दरें ₹ 1,900 प्रति वर्ग मीटर के आधार पर आंकलित।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि ₹ 2,400/2,550 प्रति घन फुट की दरें महीन नक्काशी वाले ड्राई क्लेडिंग के लिए थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इकाईयों द्वारा दर्ज की गईं मापें सादे क्लेडिंग के हैं न कि महीन नक्काशी के।

मिर्जापुर बलुआ पत्थर की खरीद

2.2.26 लखनऊ की परियोजनाओं हेतु ईए ने बेडौल मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति दरें ₹ 150 प्रति घन फुट निर्धारित (18 जुलाई 2007) की, जो कि फरवरी 2009 तक प्रभावी थीं। इसी अवधि में प्रेरणा स्थल, नोएडा में कट आकार/तराशे गए मिर्जापुर बलुआ पत्थर की खरीद समान दरों पर की गई।

समान अवधि में बेडौल आकार एवं कट आकार वाले मिर्जापुर बलुआ पत्थरों की एक समान दरों पर खरीद न्याय संगत[74] नहीं थी तथा ₹ 16.11[75] करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि, प्रारम्भ में मिर्जापुर तथा आसपास के इलाको में आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध नहीं थी तथा केवल बेडौल ब्लॉक ही उपलब्ध थे, इसलिए, बेडौल ब्लॉकों की दरें निर्धारित की गयीं थीं। प्रेरणा स्थल पर ईकाईयों द्वारा कट साईज पत्थर की खरीद के सम्बंध में, पुनः यह बताया गया की परिस्थितियां भिन्न थीं क्योंकि जब लखनऊ हेतु पत्थरों की खरीद की गयी तब मिर्जापुर में कट साईज पत्थर उपलब्ध नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लखनऊ एवं नोएडा में समान अवधि में क्रमशः बेडौल आकार एवं कट आकार के पत्थरों की खरीद की गयी। बेडौल आकार एवं कट आकार के पत्थरों की एक समान दरों पर खरीद औचित्यपूर्ण नहीं है। चूँकि खरीद अवधि समान थी एवं दोनो स्थलों हेतु पत्थरों की खरीद मिर्जापुर से की गयी थी अतः ईए का कथन कि परिस्थितियां भिन्न थी, उचित नहीं है।

गैर–सूचीबद्ध फर्मों को पत्थर कार्यों हेतु कार्य का आवंटन

2.2.27 ईए द्वारा पत्थर के कार्यों हेतु छः फर्मों को सूचीबद्ध (10 सितम्बर 2007) किया गया जबकि कार्य 246 ठेकेदारों[76] से निष्पादित कराया गया। निष्पादित कराये गये पत्थर के कार्यों का मूल्य ₹ 994.17 करोड़ था।

पत्थर के कार्यों के निष्पादन में हमने निम्न कमियां देखी :

- यद्यपि छः फर्मों को सूचीबद्ध किया गया था, पर ₹ 331.93 करोड़ के कार्य केवल पाँच फर्मों कों दिये गये।
- ₹ 3.38 करोड़ के कार्य उन दो[77] ठेकेदारों से कराये गये जो सूचीबद्धता की प्रक्रिया में अयोग्य ठहराये गये थे।
- ₹ 658.87 करोड़ के कार्य उन 239 ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किये गये जिन्होने ईए द्वारा किये गये सूचीबद्धता की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया फलतः उनके प्रमाण पत्रों को ईए द्वारा जाँचा नहीं जा सका।

इस प्रकार, कुल पत्थर कार्यों में से केवल 33.38 प्रतिशत कार्य, जिनका मूल्य ₹ 331.93 करोड़ था उन पाँच फर्मों द्वारा किये गये, जो ईए द्वारा सूचीबद्ध थे। यह दर्शाता है कि ठेकेदारों के कार्यों का आवंटन यादृच्छिक (रैन्डम) रूप से किया गया न कि ठेकेदारों की योग्यता एवं अनुभव के आधार पर।

---

[74] क्योंकि बेडौल आकार के ब्लाकों में क्षय 47.44 प्रतिशत की तुलना में कट आकार के ब्लाकों में नगण्य 0.62 प्रतिशत था।

[75] 927052.80 घन फुट पूर्ण व स्थापित बलुआ पत्थर कार्य हेतु 932836.39 घन फुट कट आकार पत्थरों के बजाय 1763782.50 घन फुट बेडौल आकार के मिर्जापुर बलुआ पत्थर प्रयोग किये गये फलतः 830946.11 घन फुट बेडौल आकार वाले पत्थरों का अधिक क्रय व ठेकेदारों को निगर्मन हुआ जिसके कारण ₹ 16.11 करोड़ की हानि हुयी क्योंकि कट आकार व रफ आकार के पत्थरों का मूल्य समान (अर्थात ₹ 193.85 प्रति घन फुट) था।

[76] ईए की 17 इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

[77] गोयल मार्बो ग्रेनाइट एवं जी एम ग्रेनाइट।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) की कार्य के अधिकता के कारण छः सूचीबद्ध फर्मों से समस्त कार्य करवा पाना सम्भव नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईए सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए अतिरिक्त फर्मों को सूचीबद्ध कर सकता था।

तैयार मिश्रित कंक्रीट की आपूर्ति पर अधिक भुगतान

2.2.28 ईए ने स्मारक स्थल पर तैयार मिश्रित कंक्रीट (आरएमसी) की आपूर्ति के लिए बैचिंग संयंत्र[78] की स्थापना हेतु अम्बालिका कन्सट्रक्शन से एक अनुबन्ध (21 जनवरी 2008) किया। अनुबन्ध के प्रावधान, उनसे विचलन तथा उसका प्रभाव नीचे सारणी में दिखाया गया है:

सारणी 2.8: अनुबंधात्मक प्रावधानों के उल्लंघन तथा परिणामी अतिरिक्त व्यय पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण

क्रम संख्या	अनुबंध के प्रावधान	लेखा परीक्षा प्रेक्षण
1.	आरएमसी की मूल दरों को समय–समय पर अनुमोदित दरों के अनुरूप रखने का निर्णय लिया गया। कार्य स्थल पर बेंचिग संयंत्र से आरएमसी की आपूर्ति की दशा में, कैप्टिव बेचिंग संयंत्र हेतु आरएमसी की दरों का पाँच प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाना था।	14 मामलों में आरएमसी की आपूर्ति उस अवधि में ईए द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर की गयी। इसके पणिामस्वरूप, आपूर्तिकर्ता को ₹ 3.98 लाख का अधिक भुगतान किया गया। पुनः 24 मामलों में इस तथ्य के बावजूद कि आरएमसी की आपूर्ति, स्थल पर मौजूद कैप्टिव बैचिंग संयंत्र के बजाय स्थल से दूर अवस्थित अन्य बैचिंग संयंत्र से की गयी थी ₹ 26.69 लाख का भुगतान अतिरिक्त पाँच प्रतिशत के रूप में किया गया ।
2.	आरएमसी की कैप्टिव संयंत्र से परिसर में अवस्थित गन्तव्य बिन्दु तक ढुलाई की दरें ₹ 83 प्रति घन मीटर थीं। आपूर्ति, कार्यस्थल पर बैचिंग संयंत्र से भिन्न किसी अन्य संयंत्र से किये जाने की दशा में परिवहन की दरें प्रारम्भ में ₹ 17 प्रति किलोमीटर प्रति घन मीटर थी। जिसे बाद में ईए द्वारा मूल्य परिवर्तन उपबन्ध के अनुक्रम में क्रमशः ₹ 20 एवं ₹ 22 प्रति किलोमीटर प्रति घन मीटर कर दिया गया।	अन्य आपूर्ति कर्ता द्वारा आरएमसी की आपूर्ति की दशा में परिवहन शुल्क अधिकतम दूरी 12 किमी के लिए देय था। यह प्रावधान अम्बालिका कन्सट्रकशन से अनुबन्ध करते हुए शामिल नही किया गया। हमने देखा कि परिवहन शुल्क 25 किमी तक के लिए भुगतान किया गया। इसके अलावा, ठेकेदार आरएमसी तथा परिवहन के लिए अलग–अलग बिल प्रस्तुत कर रहे थे। इन अलग–अलग बिलों की तिर्यक जाँच एवं मिलान के पश्चात हमने पाया कि ठेकेदार द्वारा आरएमसी की वास्तविक आपूर्ति की तुलना में अधिक मात्रा भारित की गयी। उपरोक्त के साथ–साथ परिवहन शुल्क का 12 किमी से अधिक दूरी के लिए भुगतान तथा ईए द्वारा अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 18.83 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(स्रोतः– ईए द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाओं के संकलन से)

इस प्रकार, अनुबंधात्मक प्रावधानों की अनदेखी के कारण ₹ 49.50 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि ₹ 0.42 लाख के अधिक भुगतान की वसूली कर ली गई है। इसके अलावा यह भी बताया कि चूँकि आरएमसी की आवश्यकता अधिक थी अतः अन्य संयंत्रों से प्राप्त आपूर्ति को कैप्टिव संयंत्र से आपूर्ति मानते हुए अतिरिक्त पाँच प्रतिशत का भुगतान किया गया। पुनः यह भी बताया गया कि परिवहन की दरों का अनुमोदन दूरी की सीमा के बिना किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंधात्मक प्रावधानों का पालन नही किया गया। पुनः ईए द्वारा दूरी पर प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया था कि आरएमसी की गुणवत्ता एक निश्चित समय के बाद बिगड़नी शुरू हो जाती है; इसलिए यह तार्किक नहीं था कि केवल अम्बालिका कन्सट्रकशन को दूरी पर प्रतिबन्ध से छूट दी जाये।

आरएमसी तैयार करने में सीमेन्ट का अधिक उपभोग

2.2.29 नॉमिनल मिक्स की तुलना में, डिजाईन मिक्स कंक्रीट को ज्यादा वरीयता दी जाती है क्योंकि नॉमिनल मिक्स की जगह डिजाईन मिक्स कंक्रीट के उपयोग से सीमेन्ट–जल अनुपात को नियंत्रित करते हुए सीमेन्ट उपभोग को न्यूनतम किया जा सकता है। पुनः एम–20 एवं उच्चतर श्रेणी के कंक्रीट हेतु डिजाईन मिक्स अनिवार्य है।

हमने देखा कि आरएमसी तैयार करने में सीमेन्ट का अधिक उपभोग हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.74 करोड़ का अधिक व्यय हुआ जिसकी चर्चा निम्नवत है:

---

[78] बैचिंग संयंत्र को कंक्रीट संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है; यह एक उपकरण है जो कंक्रीट बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों (जैसे कि बालू, पानी, पत्थर, कंक्रीट, फ्लाईऐश, पोटाश आदि) को मिलाता है।

- ईए ने आरएमसी की एम–10, एम–15 व एम–20 श्रेणी के लिए सीमेन्ट की खपत, क्रमशः 4.50 बोरी, 6.00 बोरी तथा 7.00 बोरियां प्रति घन मीटर आरएमसी निर्धारित की थी (जनवरी 2009)। हमने पाया कि ईए अक्टूबर 2007 में, परियोजनाओं के प्रारम्भ में ही, मानक निर्धारित करने मे विफल रहा परिणामस्वरूप अलग–अलग इकाईयों ने अलग–अलग दरों पर सीमेन्ट का निर्गम किया। मानक निर्धारित न कर पाने के कारण अक्टूबर 2007 से जनवरी 2009 के मध्य सामाजिक परिवर्तन स्थल हेतु 28,074.46 बोरी सीमेन्ट के निर्गम पर ₹ 49.97 लाख का अतिरिक्त व्यय (₹ 178[79] प्रति बोरी की दर से आगणित) हुआ जिसका विवरण निम्न सारणीं में दिया गया है :

सारणीं 2.9: अधिक सीमेन्ट निर्गमन का विवरण

आर एम सी की श्रेणी	सीमेन्ट उपभोग पर ईए के मानदण्ड (बोरी/घन मी)	क्रय की गयी आर एम सी की मात्रा (घन मी)	प्रति घन मीटर आर एम सी हेतु निर्गत सीमेन्ट (बोरी में)	कुल निर्गत सीमेन्ट (बोरी में)	ईए द्वारा परियोजना के प्रारम्भ से मानदण्ड निर्धारित न करने से अतिरिक्त निर्गत सीमेन्ट (बोरी में)	प्रारम्भ से ही मानदण्डों को निर्धारित न करने से अतिरिक्त व्यय (राशि ₹ में)
एम–10	4.5	34462.98	4.5 – 6.12	180247.9	25164.50	4479281
एम–15	6	1193.66	6 – 6.12	7200.96	39.00	6942
एम–20	7	54301.45	7 – 8.16	382981.11	2870.96	511031
योग					**28074.46**	**4997254**

(स्रोतः– ईए द्वारा दी गयी सूचना से संकलित)

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि सभी परिस्थितियों में आरएमसी में सीमेन्ट उपभोग की मात्रा का कोई निश्चित व सार्वभौमिक मानक नहीं है क्योंकि फाईन एग्रीगेट एवं कोर्स एग्रीगेट की उपलब्धता समय–समय पर भिन्न–भिन्न होती है एवं आरएमसी के निर्माण हेतु सीमेन्ट का निर्गमन भिन्न–भिन्न समय में आरएमसी बनाने में प्रयुक्त सीमेन्ट के आधार पर किया गया है। उत्तर समय पर मानक निर्धारित न करने के कारण नहीं बताता।

- आरएमसी की एम–25, एम–30 एवं एम–35 श्रेणी हेतु ईए द्वारा किसी डिजाईन मिक्स का परिपालन नहीं किया गया एवं सीमेन्ट बोरियों का निर्गमन भिन्न दरों अर्थात एम–25 हेतु 8 से 9.06 बैग प्रति घन मीटर, एम–30 हेतु 8.67 से 9 बैग प्रति घन मीटर तथा एम–35 श्रेणी आरएमसी हेतु 9.5 बैग से 10.60 बैग प्रति घन मीटर, पर किया गया था। डिजाईन मिक्स के आधार पर उपभोग दरें निर्धारित करने में ईए की विफलता के फलस्वरूप अक्टूबर 2007 से अक्टूबर 2009 के मध्य 1,09,152[80] सीमेन्ट बैगों के अधिक निर्गमन से, ₹ 1.94 करोड़ (₹ 178[81] प्रति बैग के आधार पर आगणित) का अधिक व्यय हुआ।

  ईए ने बताया (सितम्बर 2013) की सीपीडब्ल्यूडी के अनुसार आरएमसी में सीमेन्ट उपभोग हेतु हमेशा के लिए कोई निश्चित एवं सार्वभौमिक मानक नहीं हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएमसी कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी के मानक उपलब्ध थे अतः ईए, सीपीडब्ल्यूडी के मानकों या डिजाईन मिक्स के आधार पर स्वयं के बनाये मानकों का प्रयोग कर सकता था।

सांस्कृतिक समारोह पर व्यय

2.2.30 ईए के कार्य नियमावली का पैरा 210 यह बताता है कि आधारशिला स्थापना व उद्घाटन समारोहो की दशा में, ईए द्वारा एक समारोह पर ₹ 2,500 से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा यदि यह राज्य सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री द्वारा सम्पन्न किया गया तथा ₹ 5,000 तक, यदि यह राज्यपाल, केन्द्र सरकार के मंत्री या उसी स्तर के उच्च पदाधिकारियों द्वारा सम्पन्न कराया जाये।

---

[79] ईए द्वारा अक्टूबर 2007 से जनवरी 2009 के मध्य खरीदे गये सीमेन्ट की न्यूनतम दरें।

[80] सीपीडब्लयूडी/डीएसआर के सीमेन्ट उपभोग के मानदण्डों के आधार पर। एम–25, एम–30 एवं एम–35 श्रेणी आरएमसी के लिए क्रमशः 7.6 बोरी, 8 बोरी एवं 8.4 बोरी, प्रति घन मीटर आरएमसी हेतु।

[81] ईए द्वारा अक्टूबर 2007 से जनवरी 2009 के मध्य खरीदे गये सीमेन्ट की न्यूनतम दरें।

हमने पाया कि ईए द्वारा उद्घाटन व सांस्कृतिक समारोहों[82] (14 अप्रैल 2008 और 14 अक्टूबर 2011 के मध्य) पर ₹ 4.25 करोड़ व्यय किया गया इसमें से ₹ 2.10 करोड़ ईए ने अपने स्रोत से वहन किया व ₹ 2.15 करोड़ कार्यों पर प्रभारित किया। उद्घाटन एवं सांस्कृतिक समारोहों पर इतना अत्यधिक व्यय ईए के कार्य नियमावली के विरूद्ध है।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि उद्घाटन व सांस्कृतिक समारोहों के विभिन्न अवसरों पर समुचित व्यवस्था करने के लिए उसे सम्बन्धित ग्राहक/प्रशासन ने कहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईए ने निर्धारित सीमा से ज्यादा व्यय करके कार्य नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया एवं ग्राहक विभागों से धन की माँग करने के बजाय स्वयं के स्रोतों से ₹ 2.10 करोड़ व्यय किये।

ईको गार्डन में कार्यों हेतु दिये गये अनुबंध में अनियमितता

2.2.31 ईए ने बीपीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर और परमिथा (संयुक्त उपक्रम), हैदराबाद (बीपीआरआईपी) को मदों के दरों के आधार पर ₹ 251.53 करोड़ का कार्य[83] आवंटित किया (17 फरवरी 2010)। ईको गार्डन में किये गये कुल ₹ 1,057.83 करोड़ के कार्यों में से ईए ने ₹ 591.63 करोड़ के कार्य विभागीय ढंग से निष्पादित किये एवं ₹ 466.20 करोड़[84] के कार्य बीपीआरआईपी के माध्यम से निष्पादित किये।

उक्त अनंबुध के सम्बन्ध में, हमने निम्न कमियां पायीं :–

- ईए द्वारा ईको गार्डन में विभागीय ढंग से समान प्रकार का कार्य कराया जा रहा था। अतः अनुबंध के अन्तिमीकरण के पूर्व बीपीआरआईपी द्वारा दी गयी दरों की उचितता जानने हेतु ईए के पास मदों की दरें उपलब्ध थीं जिसके आधार पर न्यूनतम निविदादाता से कमतर दरें प्राप्त करने हेतु समझौता–वार्ता (निगोशीएशन) की जा सकती थी।

  हमने पाया कि बीपीआरआईपी को 20 मदों के लिए भुगतान की गयी दरें पूर्व में स्वीकृत दरों जिस पर कार्य कराया जा रहा था, से अधिक थी। निविदा अन्तिमीकृत करने से पूर्व, सावधानी एवं सम्यक कमर्ठता की कमी के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ तथा इन मदों[85] के निष्पादन पर ₹ 18.37 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। **(परिशिष्ट–22)**

  ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि निविदा के हर एक अलग–अलग मद की दर तुलना दूसरी दर जिसपर कार्य हो रहा था, से नहीं की जानी चाहिए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिल ऑफ क्वांटिटी (बीओक्यू) प्रदर्शित करती है कि अनुबंध मदवार दर के आधार पर किया गया था और ईए ने अनुबंध के मदों की दरों को उन दरों तक लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया जिनपर ईए द्वारा समान कार्य, अपने सामान्य कार्य पद्धति के आधार पर विभागीय ढंग से किया जा रहा था।

- ईए, ईको गार्डन में बीपीआरआईपी से मदवार दर निविदा के अतिरिक्त, समान कार्य को स्वयं के द्वारा भी निष्पादित करा रहा था। बीपीआरआईपी को मदवार दर पर निविदा प्रदान करने के पश्चात ईए के पास विकल्प था कि या तो बीपीआरआईपी से निविदा की कमतर दर पर कार्य करवाये या अन्य ठेकेदारों के माध्यम से स्वयं द्वारा अनुमोदित अधिक दरों पर कार्य करवाये। व्यय की मितव्ययिता के सिद्धान्त स्पष्ट थे कि दो दरों में से निम्न दर पर कार्य करवाना चाहिए था।

---

[82] टेण्ट, विद्युत व्यवस्था, जलपान तथा स्थल की सजावट कार्य, आदि।

[83] ईका गार्डन में सिविल, प्लम्बिंग, जलापूर्ति, सेनेट्री कार्य, सीवेज, विद्युत सेवा, पत्थर कार्य, लैंडस्केप कार्य, बागवानी और सजावटी कार्य।

[84] अनुबंध में शामिल मदों के लिए ₹ 350.75 करोड़ तथा अतिरिक्त/आधिक्य के लिए ₹ 115.45 करोड़।

[85] पुनः चूँकि अनुबंध मदवार दरों पर आधारित अनुबंध था अतः ईए, बीपीआरआईपी से उच्चतर दरों पर कार्य करवाने के लिए बाध्य नहीं था और इसे अन्य ठेकेदारों से अपने सामान्य कार्य पद्धति के आधार पर करवा सकता था।

हमने पाया कि ईए ने चार मदों के कार्य ठेकेदारों के माध्यम से विभागीय अनुमोदित उच्च दरों पर करवाया, जबकि बीपीआरआईपी द्वारा निविदा में दी गयी दरें निम्न थी। इन चार मदों के कार्य उच्च दर पर करवाने से ₹ 2.46 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया। जिसका विवरण **परिशिष्ट–23** में दिया गया है।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि लेखा परीक्षा द्वारा इंगित कार्य उस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं जो कि बीपीआरआईपी के कार्य क्षेत्र में नहीं था अतएव उनके द्वारा पृथक रूप से विभागीय ढंग से किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीपीआरआईपी को दिये गये बिल ऑफ क्वॉन्टिटी में कोई विशिष्ट कार्य क्षेत्र या भौतिक स्थल चिन्हित नहीं था।

- बीपीआरआईपी से किये गये अनुबंध का उपबन्ध 37.2.1 बताता है कि कार्य की नयी मदें, जो अनुबंध में नहीं हैं, के लिए उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची (यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर) की अद्यतन दरें, यदि उपलब्ध हों तो, ली जायेगी। अन्यथा दिल्ली दर अनुसूची (डीएसआर) की उपलब्ध अद्यतन दरें ली जाएंगी। इसके अतिरिक्त, यदि कार्य की दरें, उक्त दोनो दर अनुसूचियों में उपलब्ध न हो तो बाजार दर के आधार पर विश्लेषित दरें लागू होंगी।

  ईए ने एम–30 एंव एम–15 श्रेणी के आरएमसी की आपूर्ति एवं ढलाई कार्य, बीपीआरआईपी से नये मद के रूप में कराये तथा क्रमशः ₹ 6,375 प्रति घन मीटर एवं ₹ 5,700 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया। हमने पाया कि ईए द्वारा स्वीकृत दरें न केवल यूपीपीडब्ल्यूडी एसओआर की तुलना में अधिक थी बल्कि अन्य ठेकेदारों द्वारा उसी समय उसी स्थल पर किये गये कार्य दरों से भी अधिक थीं यथा, एम–30 के लिए ₹ 5,600 प्रति घन मी तथा एम–15 के लिए ₹ 5,000 प्रति घन मी। अतः इस बात का कोई औचित्य नहीं था कि बीपीआरआईपी को अधिक दर पर भुगतान किया जाये इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.23 करोड़[86] का अधिक व्यय हुआ।

  ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि दरें, बीओक्यू में एम–25 की सन्निकट दर से प्राप्त की गयी है अतः कोई अधिक व्यय नहीं हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ईए, एम–30 एंव एम–15 श्रेणी की उपलब्ध न्यूनतम दरों पर कार्य करवा पाने में विफल रही।

- बीपीआरआईपी को निर्गत लेटर ऑफ इण्डेन्ट (12 फरवरी 2012) के अनुसार बीपीआरआईपी को अनुबंध की राशि का 15 प्रतिशत ब्याज रहित मोबलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया जाना था।

  हमने पाया कि बीपीआरआईपी को ₹ 41.73 करोड़ का मोबलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया गया जो कि निर्धारित सीमा[87] से ₹ 4.00 करोड़ अधिक था, जो कि बीपीआरआईपी को अनुचित लाभ था।

  उक्त बिन्दु पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं ईए द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

विद्युत कार्य

2.2.32 परियोजनाओं में विद्युत उपकरणों की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन के लिए ₹ 241.68[88] करोड़ का बजट था जिसमें परियोजना की प्रकाशीय व्यवस्था के लिए आयातित ल्यूमनिरीस/फिक्सचर्स/फिटिंग्स के क्रय हेतु ₹ 61.33 करोड़[89] शामिल थे।

---

[86] 79,427 x (₹ 6,375–₹ 5,600) + 999 x (₹ 5,700–₹ 5,000)

[87] ₹ 37.73 करोड़, संविदा राशि ₹ 251.53 करोड़ का 15 प्रतिशत

[88] सामाजिक परिवर्तन स्थल– ₹ 91.52 करोड़; स्मारक स्थल– ₹ 38.13 करोड़; ईको गार्डन– ₹ 46.80 करोड़; बौद्ध विहार– ₹ 14.64 करोड़; प्रेरणा स्थल– ₹ 50.59 करोड़।

[89] सामाजिक परिवर्तन स्थल– ₹ 30.28 करोड़; स्मारक स्थल– ₹ 3.94 करोड़ (बफर एरिया में लगाये गये ₹ 2.26 करोड़ के विद्युत फिटिंग्स सहित); ईको गार्डन– ₹ 6.50 करोड़ ; बौद्ध विहार– ₹ 3.77 करोड़; प्रेरणा स्थल– ₹ 16.84 करोड़।

हमने विद्युत उपकरणों की खरीद में निम्नलिखित विसंगतियां पायीं :

- सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ हेतु, ईए ने (जनवरी 2008) कुल तुलनात्मक आधार[90] पर 26 मदों को लाईट्स साउण्ड इमेज सिस्टम्स (आई) प्राईवेट लिमिटेड (एलएसआई) से क्रय करने की स्वीकृति दी। हमने पाया कि एडीसन प्रोजेक्टस प्राईवेट लिमिटेड (ईपीपीएल) द्वारा 12 मदों हेतु दी गयी दरें एलएसआई द्वारा दी गयीं दरों से कम थीं। फिर भी ईए ने अलग–अलग मदों के लिए दी गयी निम्नतर मदवार दरों पर विचार नहीं किया एवं उच्च दरों पर आपूर्ति आदेश निर्गत कर दिया, परिणामस्वरूप ₹ 1.78 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

- एक ही मद (आईएनजी 8) की भिन्न दरों (₹ 1.03 लाख प्रति इकाई लखनऊ में जनवरी 2009 से जून 2010 के मध्य तथा ₹ 0.71 लाख प्रति इकाई नोएडा में मई 2010 से जुलाई 2010 के मध्य) के परिणामस्वरूप उक्त मद की 156 इकाइयों के क्रय पर ₹ 56.09 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि फिटिंग्स के दरों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि अलग–अलग इकाईयों के फिटिंग्स की विशिष्टियां व ब्राण्ड अलग–अलग थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने अतिरिक्त व्यय की गणना लखनऊ एवं नोएडा में उन्ही स्थितियों में की है जिसमें समान प्रकार की फिटिंग्स की भिन्न दरें दी गयीं थीं/उपलब्ध थीं।

बागवानी कार्य

2.2.33 लखनऊ की परियोजनाओं के बागवानी कार्य पर ₹ 17.00 करोड़[91] (सजावटी पौधेः ₹ 5.84 करोड़ एवं घास का मैदान बनाने परः ₹ 10.76 करोड़ को शामिल करते हुये) का व्यय हुआ। बागवानी कार्य पर लेखा परीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा निम्न हैः

- छः माह की अल्पावधि में समान प्रजाति व ऊँचाई के पौधों के मूल्य में 178 से 774 प्रतिशत का भारी अन्तर था। **(परिशिष्ट–24)**

- **परिशिष्ट–24** से यह देखा जा सकता है कि पौधे जैसे कि पीपल, इमली और मौलश्री, निजी संस्थाओं से खरीदे गये जिनकी दरें, वन विभाग की दरों से 543 से 1329 प्रतिशत तक अधिक थी।

- ₹ 17.00 करोड़ के वृक्षारोपण में से केवल ₹ 12.84 करोड़ मूल्य के 40,330 पौधे ही स्मारकों के साथ *''स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थानों, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति'* (एसएसपीयूपीएसएएस) को हस्तानान्तरित किये गये। शेष ₹ 4.16 करोड़ के पौधों के बारे में कोई अभिलेख एवं विवरण नहीं रखे गये। यह दर्शाता है कि सभी सरकारी विभाग[92] व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में बागवानी कार्य के अनुश्रवण तथा ईए की कमियों का नियंत्रण/सुधार करने में विफल रहे।

ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि पौधो के मूल्य में भिन्नता, पौधों की ऊँचाई एवं विशिष्टियों में भिन्नता तथा निहित अनुरक्षण उपबन्ध के कारण था। इसके अतिरिक्त, हटाये/बदले गये पौधों को लविप्रा को हस्तानान्तरित कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमारे द्वारा अल्प अवधि में खरीदे गये समान प्रजाति एवं ऊँचाई के पौधो के मूल्यों में अन्तर पाया गया। सामाजिक परिवर्तन स्थल में मात्र 272 थूजा व 112 इमली के पौधों के अतिरिक्त, अन्य हटाये/बदले गये पौधों को लविप्रा को हस्तानान्तरित करने सम्बंधी अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नही कराये गये।

सरकारी विभागों[93] द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण न किये जाने के कारण ₹ 4.16 करोड़ का अलेखाकृत व्यय हुआ।

---

[90] एल एस आई : ₹ 22.37 करोड़ तथा ई पी पी एल– ₹ 23.46 करोड़।
[91] जो कि परियोजनाओं पर कुल व्यय का 0.49 प्रतिशत है।
[92] आवास विभाग, संस्कृति विभाग, सिंचाई विभाग एंव लोक निर्माण विभाग।
[93] आवास विभाग/संस्कृति विभाग/सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग।

कांस्य भित्तिचित्र, फाउण्टेन इत्यादि के कलाकार्य

समितियों द्वारा उत्तरदायित्वों का अपगमन (एबडिकेशन)

2.2.34 ईए को मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण देने; मूर्तियों/कलाकृतियों की अनुशंसा करने; मूर्ति की प्रकृति; प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री एवं कार्यों की गुणवत्ता निर्धारित करने एवं कार्य के समयबद्ध निष्पादन हेतु संस्कृति विभाग ने एक कार्य अनुश्रवण एवं सत्यापन समिति[94] (डब्ल्यूएमवीसी) का गठन[95] किया (19 सितम्बर 2007)।

लखनऊ विकास प्राधिकरण (लविप्रा) ने भी कलाकारों एवं मूर्तिकारों के पैनल की अनुशंसा करने, सूचीबद्ध कलाकारों/मूर्तिकारों से प्राप्त दरों के मूल्यांकन एवं समझौता वार्ता के पश्चात कार्यदरों की अनुशंसा करने हेतु एक समिति[96] का गठन[97] किया (25 अक्टूबर 2007)।

प्रयोग की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं विभिन्न मूर्तियों, भित्तिचित्रों एवं फाउण्टेनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए संस्कृति विभाग ने पुनः एक, मूल्य निर्धारण समिति[98](पीडीसी) का गठन[99] किया (6 नवम्बर 2007)।

इन समितियों का गठन ईए को मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था क्योंकि एक निर्माण संस्था होने के कारण ईए उक्त क्षेत्र में मूल सामर्थ्य नहीं रखता था।

हमने पाया कि इन समितियों के कार्य संचालन हेतु कोई निर्दिष्ट प्रक्रिया विहित नहीं थी। डब्ल्यूएमवीसी, पीडीसी व लविप्रा द्वारा बनायी गयी समिति न तो मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल रहीं न ही कला कार्यों के चुनाव में जबकि यह कार्य उनके उत्तरदायित्व क्षेत्र के अधीन थे। परियोजनाओं के लिए ₹ 252.82 करोड़ मूल्य की कलाकृतियों की आपूर्ति हेतु दरों तथा आपूर्तिकर्ताओं का निर्धारण, ईए ने बिना किसी समिति को शामिल किये, स्वयं किया। यह निर्दिष्ट उत्तरदायित्वों का, समितियों द्वारा, स्पष्ट अपगमन था।

संस्कृति विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि उसने ईए को प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त करने के लिए बारम्बार निर्देश दिये थे। पुनः डब्ल्यूएमवीसी ने भी समय–समय पर ईए को दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में आदेश दिये थे। लेकिन ईए ने उसके निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया अतः उनके लिए दरें निर्धारित करना सम्भव नहीं था। इसके अलावा, पीडीसी ने भी बताया (12 जुलाई 2011) कि वह दरों के निर्धारण हेतु जिम्मेदार नहीं थी क्योंकि ईए ने स्वयं ऐसा किया था। संस्कृति विभाग के उत्तर से यह स्पष्ट है कि ईए द्वारा दरों का निर्धारण डब्लयूएमवीसी के बगैर किया गया। ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि सभी प्राकलन पीडीसी/डब्ल्यूएमवीसी के द्वारा उ प्र सरकार को संस्तुत व अग्रेषित किये गये थे। ईए का उत्तर, संस्कृति विभाग के उत्तर व पीडीसी के वक्तव्य से विरोधाभासी हैं। संस्कृति विभाग के उत्तर से यह स्पष्ट है कि उसने स्वयं द्वारा स्थापित समितियों के क्रियाकलापों का अनुश्रवण नहीं किया एवं ईए को खुली छूट दे दी।

---

[94] **डब्लयूएमवीसी** : अध्यक्ष–निदेशक, संस्कृति; सदस्य–सचिव, ललित कला अकादमी; निदेशक, पुरातत्व; अतिरिक्त सचिव, लविप्रा; निदेशक, संग्रहालय; निदेशक, अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ, पीडब्लयूडी; संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म; उप निदेशक, आवास बन्धु तथा महाप्रबन्धक, ईए।

[95] आदेश संख्या 2409/चार–2007–203वि/2007।

[96] सदस्य–उप निदेशक, संस्कृति एवं सचिव, राज्य ललित कला अकादमी; मुख्य अभियंता, लविप्रा; वित्त नियंत्रक, लविप्रा; संयुक्त सचिव, लविप्रा; विकास प्राधिकरण के परियोजना से संबंधित अधिशासी अभियंता; महाप्रबन्धक (सोडिक) तथा महाप्रबन्धक (तकनीकी), ईए; ईए के दो परियोजना प्रबन्धक तथा एक सहायक लेखा अधिकारी।

[97] आदेश संख्या 167/प्रो.यू–1/07।

[98] **पीडीसी:** अध्यक्ष–निदेशक अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ, पीडब्लयूडी; सदस्य–संयुक्त निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म; विशेष सचिव वित, जीओयूपी; निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय; उपनिदेशक, आवास बन्धु; निदेशक पीएफएडी; सलाहकार, सामाजिक परिवर्तन स्थल; मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी; प्रबन्ध निदेशक, ईए; सचिव ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश; कार्यशाला अधीक्षक, तकनीकी संस्थान लखनऊ।

[99] आदेश संख्या 2911(1)/चार–2007–264(वि.)/2007।

कांस्य कार्य के लिए फर्म का अनियमित चुनाव

2.2.35 ₹ 252.82 करोड़[100] की कलाकृतियों में से, सभी कांस्य कलाकार्य (कांस्य द्वार व कांस्य कॉफर को छोड़कर) राम सुतार फाइन आर्टस प्राइवेट लिमिटेड (आरएसएफएएल) द्वारा ₹ 174.05 करोड़ में किये गये थे। हमने पाया कि:

- संस्कृति विभाग ने ईए को सूचीबद्ध 33 मूर्तिकारों[101] की सूची प्रेषित (27 अगस्त 2007) की।
- ईए ने आपूर्तिकर्ताओं एवं कांस्य कलाकार्य के विभिन्न मदों की दरें निर्धारित करने के लिए एक संयुक्त मार्केट सर्वे समिति (जेएमएससी)[102] बनायी (26 सितम्बर 2007)।
- संस्कृति विभाग के सूचीबद्ध मूर्तिकारों में से किसी पर भी जेएमएससी ने विचार नही किया।
- जेएमएससी ने तीन कार्यशालाओं (आरएसएफएएल, नोएडा; आनन्द निकेतन, जयपुर एवं अर्जुन आर्टस, जयपुर) का सर्वेक्षण किया (27 सितम्बर 2007 से 28 सितम्बर 2007)। हालांकि उक्त सर्वेक्षण मात्र खानापूर्ति थी क्योंकि आरएसएफएएल के निदेशक ने बताया (27 सितम्बर 2007) कि उन्होंने अपनी दरें ईए को पहले ही दे दीं थीं (20 सितम्बर 2007) और परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया था।
- ईए ने औपचारिक रूप से कांस्य कला कार्य हेतु आरएसएफएएल का चयन (1 अक्टूबर 2007) किया एवं विभिन्न मदों के लिए दरें स्वीकृत (10 अक्टूबर 2007) की।

हमने पाया कि दरें स्वीकृत (10 अक्टूबर 2007) होने के पश्चात कांस्य एवं संगमरमर कला कार्य के लिए कलाकारों को सूचीबद्ध करने के लिए सूचना प्रकाशित की गयी (13 अक्टूबर 2007)। इस सूचना पर आगे कोई कार्यवाही नही की गयी क्योंकि इस संदर्भ में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। यह दर्शाता है कि आरएसएफएएल का चयन पूर्व निर्धारित था एवं जेएमएससी का गठन मात्र एक औपचारिकता थी जबकि आरएसएफएएल संस्कृति विभाग द्वारा ईए को भेजी गयी 33 सूचीबद्ध मूर्तिकारों की सूची में भी शामिल नहीं था।

संस्कृति विभाग ने बताया (अक्टूबर 2013) कि उसने ईए को मूर्तिकारों की सूची उपलब्ध करा दी थी जिस पर आगे की कार्यवाही ईए द्वारा की जानी थी। ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि जेएमएससी ने पाया कि केवल आरएसएफएएल इतनी मात्रा के कार्य को करने में समक्ष फर्म थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएसएफएएल ने जेएमएससी के गठन के पूर्व ही कार्य प्रारम्भ कर दिया था, जो कि दर्शाता है कि आरएसएफएएल का चयन पूर्व निर्धारित था जो कि सभी अधिकथित क्रय/चयन प्रक्रिया का उल्लंघन था।

---

[100]

क्रम संख्या	कलाकृतियां	मूल्य (करोड़ में)
1.	कांस्य मदें: मूर्तियां (₹ 13.02 करोड़), फाउन्टेन तथा कैपिटल (₹ 56.08 करोड़), ईको थिमेटिक ऑरनामेन्टल कार्य (₹ 63.10 करोड़), भित्ति चित्र (₹ 19.97 करोड़) तथा अन्य (₹ 21.88 करोड़)।	174.05
2.	संगमरमर की मूर्तियां	19.13
3.	बलुआ पत्थर की हाथी मूर्तियां	59.33
4.	कलाचित्र	0.31
	योग	**252.82**

[101] संस्कृति निदेशालय, जीओयूपी से सूचीबद्ध। निदेशक, संस्कृति निदेशालय जीओयूपी द्वारा ईए को पत्र सं0 1014/सं0 नि0–25(35)/2007 दिनांक 27 अगस्त 2007 के माध्यम से सूची उपलब्ध करायी गयी।

[102] सदस्य–ईए के दो महाप्रबन्धक; दो इकाई प्रभारी तथा एक सहायक लेखा अधिकारी।

कांस्य और स्टील के मदों के लिए दरों का निर्धारण

2.2.36 कला और मूर्तिकला की कीमत, कलाकार और मूर्तिकार पर निर्भर है, इसलिए हमने अपनी जाँच को प्रत्येक कलाकार/फर्म द्वारा दी गयी कीमत की जाँच तक सीमित कर दिया और हमने पाया कि विभिन्न मदों की खरीद पर ₹ 12.74 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ जिसकी चर्चा निम्नवत है:

- **कांस्य भित्ति चित्र:** स्थल पर स्थापित 3.4 मी x 5.8 मी आकार का एक कांस्य भित्ति चित्र ₹ 42.00 लाख (वैट अतिरिक्त) का था जिसकी कीमत लम्बाई व चौड़ाई के अनुपातिक आधार पर आगणित की गयी थी। बाद में, 4 मी x 8 मी और 6.27 मी x 7 मी के भित्ति चित्रों के लिए आदेश दिया गया जिसकी कीमत क्रमशः ₹ 75 लाख (वैट अतिरिक्त) प्रति भित्ति चित्र और ₹ 120.00 लाख (वैट अतिरिक्त) प्रति भित्ति चित्र रखा गयाा। हमने आरएसएफएएल के अनुपातिक गणना की जाँच की और पाया कि 4 मी x 8 मी और 6.27 मी x 7 मी के भित्ति चित्रों की कीमत क्रमशः ₹ 68.16[103] लाख और ₹ 93.49[104] लाख प्रति भित्ति चित्र होनी चाहिए थी। इस गलत आगणन के परिणामस्वरूप सामाजिक परिवर्तन स्थल और स्मारक स्थल हेतु 12 भित्ति चित्रों की खरीद पर कुल ₹ 2.27[105] करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

  ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि कांस्य भित्ति चित्र के आकार में वृद्धि के कारण, भित्ति चित्र की गहराई, वजन, ढांचे और डाई से सम्बंधित काम में भी वृद्धि होती है अतः फर्म ने अलग से कीमत प्रस्तुत की थी और ये दरें लेखा परीक्षा द्वारा धरातलीय क्षेत्र के आधार पर बतायी गयी दरों से तुलना योग्य नहीं हैं।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरएसएफएएल ने स्वयं अनुपातिक आधार पर दर दिये थे जिसे ईए द्वारा जाँचा नहीं गया। पुनः लेखा परीक्षा द्वारा उन्हीं आधारों पर कांस्य भित्ति चित्रों के दरों की गणना की गयी है जिस आधार पर आरएसएफएएल द्वारा दरें दी गयीं हैं। इस प्रकार आरएसएफएएल द्वारा दी गयी दरों की जाँच में सम्यक सावधानी के कमी के कारण ₹ 2.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

- **कांस्य और स्टील की मदें:** लखनऊ के लिए कांस्य और स्टेनलेस स्टील की दरें अक्टूबर 2007 में मात्रा की सीमा के बिना तय की गयी थीं जिसके विरूद्ध आरएसएफएएल द्वारा नवम्बर 2011 तक समान दरों पर आपूर्ति की गयी। हमने पाया कि ईए द्वारा नोएडा के लिए इन मदों की खरीद, 2007 में तय दरों पर नहीं की गयीं जबकि आपूर्ति की मात्रा की कोई सीमा नहीं थी। इसके बजाय, इसके द्वारा नोएडा में कांस्य एवं स्टील मदों हेतु जनवरी 2011 में क्रमशः ₹ 1,700 प्रति किग्रा एवं ₹ 1,100 किग्रा की दरों पर कार्य कराया गया जो कि लखनऊ के लिए कांस्य एवं स्टील के मदों की तय दरों से क्रमशः ₹ 600 प्रति किग्रा और ₹ 150 किग्रा अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.85[106] करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

  ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि लखनऊ के लिए कांस्य एवं स्टील आईटम की दरें 2007 में अनुमोदित की गयी थी जबकि नोएडा की दरें 2011 में अनुमोदित की गयीं थीं।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन मदों को लखनऊ के लिए तय दरों पर खरीदा जा सकता था क्योंकि आपूर्ति की मात्रा की कोई सीमा नहीं थी और इनकी आपूर्ति नवम्बर 2011 तक निम्न दरों पर की गयी जबकि नोएडा में आपूर्ति आदेश जनवरी 2011 में दिये गये थे। इसके अलावा, लखनऊ एवं नोएडा दोनो स्थानों पर कार्य एक साथ ही कराये जा रहे थे।

---

[103] ₹ 42 लाख x (4 मी x 8 मी)/(3.4 मी x 5.8 मी) = ₹ 68.16 लाख।

[104] ₹ 42 लाख x (6.27 मी x 7 मी)/(3.4 मी x 5.8 मी) = ₹ 93.49 लाख।

[105] {(₹120.00 लाख– ₹ 93.49 लाख) x 6)+(₹ 75.00लाख– ₹ 68.16 लाख) x 6)} x 1.135, = ₹ 227.11 लाख।

[106] 1,25,066.13 किग्रा कांस्य और 78,235.00 किग्रा स्टेनलैस स्टील।

- **कांस्य कैपिटलः** कांस्य कैपिटल की दरें ₹ 7.10 लाख प्रति की दर से लखनऊ एवं नोएडा में अनुमोदित (अक्टूबर 2007 और फरवरी 2009) हुयी थी। यद्यपि, लखनऊ में कैपिटल हेतु भुगतान उसके वास्तविक वजन के हिसाब से किया गया जो कि ₹ 5.28 लाख प्रति कैपिटल पाया गया। यदि नोएडा की इकाईयों ने भी वास्तविक वजन के आधार पर भुगतान किया होता तो ₹ 0.62 करोड़[107] के अधिक व्यय से बचा जा सकता था।

  ईए ने बताया (सितम्बर 2013) कि लखनऊ में कांस्य कैपिटल (₹ 1,100 प्रति किग्रा) की दर से 2007 में अनुमोदित किया गया था, जबकि नोएडा के लिए 2009 से 2011 की अवधि में ₹ 7.10 लाख प्रति कैपिटल के हिसाब से खरीद की गयी।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लखनऊ में भी कांस्य कैपिटल ₹ 7.10 लाख प्रति कैपिटल की दर से अनुमोदित की गयी थी जबकि वास्तविक भुगतान कैपिटल के वास्तविक वजन (₹ 1,100 प्रति किग्रा) के अनुसार नवम्बर 2011 तक किया गया था। पुनः लखनऊ एवं नोएडा दोनो जगहों के कार्य ईए द्वारा एक साथ कराये जा रहे थे अतः वास्तविक वजन के आधार पर भुगतान न करने का कोई औचित्य नहीं था, जबकि लखनऊ में ऐसा किया भी गया था।

अत्याधिक अग्रिम जारी करना

2.2.37 आरएसएफएएल को दो कांस्य फाउन्टेन की आपूर्ति हेतु दिये गये आपूर्ति आदेश दिनांक 17 जनवरी 2011 के नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता को कार्य की कुल लागत (₹ 30.90 करोड़) का 40 प्रतिशत अग्रिम दिया जाना था जो कि ₹ 12.36 करोड़ होता है। हमने पाया कि ईए द्वारा आरएसएफएएल को अग्रिम के रूप में ₹ 24 करोड़ दिये गये जो कि निर्धारित सीमा से ₹ 11.64 करोड़ अधिक थे। अग्रिम के रूप में ₹ 11.64 करोड़ का अधिक भुगतान यह संकेत देता है कि आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दिया गया और जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.69[108] लाख के ब्याज की हानि हुयी।

नोएडा प्राधिकरण द्वारा बताया (जनवरी 2014) गया कि ईए द्वारा अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया है। ईए द्वारा बताया गया (सितम्बर 2013) कि अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अधीन ही भुगतान किये गये हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ईए द्वारा ₹ 11.04 करोड़ का अतिरिक्त अग्रिम पूर्व निर्धारित सीमा से ज्यादा दिया गया।

पर्यावरण सम्बंधी मुद्दे

पर्यावरण सम्बंधी अनिवार्य अनुमति प्राप्त करने में अनियमितताएं

2.2.38 विद्यमान प्रदूषण नियंत्रण कानूनों[109] के तहत, सभी निर्माण गतिविधियों की शुरूआत से पहले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से पर्यावरण अनुमति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक होता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा दिनांक 14 सितम्बर 2006 को जारी अधिसूचना के अनुसार, ऐसे नगर क्षेत्र और क्षेत्र विकास परियोजनायें जिनका कुल क्षेत्र 50 हेक्टेयर और/या निर्मित क्षेत्र[110] 1.50 लाख वर्गमीटर से अधिक हो, को किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण

---

[107] 30 कैपिटल्स (₹ 7.10 लाख– ₹ 5.28 लाख)+ वैट 13.5 प्रतिशत की दर से।

[108] बचत बैंक खाते की ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 5.82 करोड़ पर 103 दिन के लिए और ₹ 5.82 करोड़ पर 143 दिन के लिए आंकलित।

[109] वायु (रोकथाम एवं प्रदूषण नियंन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के अनुसार " इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति स्टेट बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना किसी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में कोई भी औद्योगिक संयंत्र न स्थापित करेगा और न ही परिचालित करेगा।'' पुनः जल (रोकथाम एवं प्रदूषण नियंन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25(1) के अनुसार, ''इस धारा के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कोई भी व्यक्ति स्टेट बोर्ड के पूर्व सहमति के बिना (अ) किसी भी उद्योग, परिचालन या प्रक्रिया या कोई निपटान व्यवस्था एवं उपचार या विस्तार या उसमें वृद्धि जिसके फलस्वरूप किसी नाले या कुएं या सीवर या किसी जमीन पर सीवेज या व्यवसायिक अपशिष्ट का निकास हो, की स्थापना या स्थापना हेतु कोई कदम लेगा; या (ब) किसी नये या परिवर्धित आउटलेट जिससे सीवेज का निकास हो को प्रयोग में लाया जाये; या (स) नये सीवेज के निकास का निर्माण करेगा।

[110] आच्छादित निर्माण हेतु निर्मित क्षेत्र, जैसा कि दिनांक 16 सितम्बर 2006 की अधिसूचना में वर्गिकृत है, खुले आकाश के नीचे सुविधाओं के मामले में गतिविधि क्षेत्र होगा।

(एसईआईएए) से पर्यावरणीय अनुमति (ईसी) प्राप्त करना आवश्यक है। अधिसूचना के अनुसार ऐसी परियोजनाओं के लिए ईसी प्राप्त करने से पूर्व एसईआईएए से पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन (ईआईए) प्रतिवेदन प्राप्त करना आवश्यक है।

हमने देखा कि यद्यपि प्रचलित कानूनों के तहत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यूपीपीसीबी से एनओसी एवं/व ईसी वांछित थे तथापि ईए ने, लखनऊ की चारों परियोजनाओं में यूपीपीसीबी से एनओसी तथा/व एसईआईआईए से ईसी हेतु आवेदन करने से पूर्व ही कार्य प्रारम्भ कर दिया। परियोजनाओं के लिए ली गयी एनओसी एवं ईसी की स्थिति निम्नवत है:

सारणी 2.10: परियोजनाओं हेतु लिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) एंव पर्यावरणीय अनुमति (ईसी) का विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	कार्य का आरम्भ	एनओसी		ईसी		कारण/टिप्पणी
			आवेदन देने की तिथि	एनओसी प्राप्ति की तिथि	आवेदन देने की तिथि	ईसी प्राप्ति की तिथि	
1	सामाजिक परिवर्तन स्थल	अक्टूबर 2007	29 मार्च 2008	25 अगस्त 2008	29 मार्च 2008	लागू नहीं	एसईआईएए ने सलाह दी कि चूँकि कुल निर्मित क्षेत्र 1.50 लाख वर्ग मी0 से कम है इसलिए परियोजना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिसूचना 2006 के अंतर्गत नही आती है।
2	स्मारक स्थल	अक्टूबर 2007	4 अगस्त 2008	12 दिसम्बर 2008	लागू नही		ई सी आवश्यक नहीं क्योंकि परियोजना का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम है।
3	ईको गार्डन	सितम्बर 2009	28 मई 2010	27 जुलाई 2010	11 अप्रैल 2011	4 जुलाई 2011	––
4	बौद्ध विहार	जून 2008	2 मार्च 2009	27 अगस्त 2009	लागू नही		ई सी आवश्यक नहीं क्योंकि परियोजना का क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर से कम है।
5	प्रेरणा स्थल	फरवरी 2008	नोएडा द्वारा एनओसी लिया गया		24 अप्रैल 2009	लागू नहीं	एसईआईएए ने सलाह दी की, परियोजना की प्रकृति एवं क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यह दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अधिसूचना की अनुसूची के अधीन नहीं आता है।

(स्रोतः– ईए के अभिलेखों से संकलित)

सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया (नवम्बर 2013) कि ईए द्वारा एनओसी प्राप्त किया जाना था, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग) द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2013) कि सामाजिक परिवर्तन स्थल का पहला प्राक्कलन नवीनीकरण कार्य के लिए बनाया गया था इसलिए एनओसी/ईसी की आवश्यकता नहीं थी परन्तु नये कार्यों के जुड़ने के कारण एनओसी/ईसी मांगी गयी। हालांकि ईए द्वारा बताया गया (सितम्बर 2013) कि उसके द्वारा सभी परियोजनाओं के लिए जरूरी एनओसी के लिए आवेदन किया गया था।

आवास विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ हेतु अक्टूबर 2007 में अनुमोदित कार्यों में अतिरिक्त निर्माण कार्य सम्मिलित थे न कि मात्र नवीनीकरण कार्य। ये अनुमोदित प्राक्कलन से भी दृष्टव्य है। पुनः अन्य परियोजनाओं में एनओसी प्राप्त करने से पहले, निर्माण कार्य आरम्भ करने के सम्बंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

हमने आगे पाया कि विभागों एवं ईए द्वारा पर्यावरणीय नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया और पर्यावरणीय अनुमति टालने के लिए एसईआईएए को गलत सूचनायें प्रदान की गईं जिसकी चर्चा नीचे सारणीं में की गयी है:

सारणी 2.11: पर्यावरणीय मुद्दों पर लेखापरीक्षा आपत्तियां

क्रम संख्या	विवरण	लेखा परीक्षा आपत्तियां
1.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना (सितम्बर 2006) ने स्पष्ट किया है कि निर्मित क्षेत्र में गतिविधि क्षेत्र भी सम्मिलित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति [111] ने स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय अनुमति के लिए राज्य सरकार के भवन उप नियम प्रासंगिक नहीं हैं एवं स्मारकों के अन्दर का क्षेत्र, प्रसाधन एवं सुविधाएं, प्लेटफार्म प्लिन्थ, मूर्तियों एवं आच्छादित गलियारों, मार्गों व वाहनों के आवागमन के अधीन क्षेत्र भी निर्मित क्षेत्र के अर्न्तगत शामिल होने चाहिए।	कार्यदायी संस्था द्वारा एसईआईएए को बताया गया (10 मई 2011) कि सामाजिक परिवर्तन स्थल की कुल परियोजना का क्षेत्रफल 4,33,417.21 वर्ग मीटर है और निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल 8,836.14 वर्ग मीटर है। उपर्युक्त घोषणा के आधार पर एसईआईएए द्वारा सलाह दी गयी (4 जुलाई 2011) कि परियोजना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने सम्बंधी सितम्बर 2006 की अधिसूचना के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हमने पाया कि कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित क्षेत्र के क्षेत्रफल में से हार्ड लैंडस्केपिंग के 4,06,626.45 वर्ग क्षेत्रफल को शामिल नहीं किया गया। इस हार्ड लैंडस्केपिंग के क्षेत्रफल को जब निर्मित क्षेत्र के क्षेत्रफल में शामिल [112] किया गया तो पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता थी क्योंकि इसने 1.50 लाख वर्ग मीटर की सीमा को पार कर दिया। इस प्रकार, कार्यदायी संस्था द्वारा इस सम्बंध में गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये। हमने आगे पाया कि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत सूचना का पुनरीक्षण नहीं किया गया और गलत सूचना को संज्ञान में नहीं लिया गया। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2013) कि केवल निर्मित क्षेत्र और कुल क्षेत्र ही एसईआईएए को सूचित किये गये थे और निर्मित क्षेत्र का निर्धारण दिनांक 2 अप्रैल 2012 के परिपत्र के आधार पर किया गया जिसके अनुसार ऐसा क्षेत्र जो आच्छादित ना हो या ऐसा क्षेत्र जो खुले आकाश/किसी क्षेत्र से कटौती में बाहर/नलिका को निर्मित क्षेत्र के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा इसी तरह की स्थिति बतायी गयी (सितम्बर 2013) है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/कार्यदायी संस्था का यह तर्क की निर्मित क्षेत्र का आगणन दिनांक 2 अप्रैल 2012 के परिपत्र के आधार पर किया गया है लागू नहीं होगा क्योंकि 2012 का परिपत्र परियोजना के समाप्त होने पर अस्तित्व में आया था। निर्माण के समय दिनांक 16 सितम्बर 2006 की अधिसूचना लागू थी जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि निर्मित क्षेत्र में गतिविधि क्षेत्र भी शामिल है यदि यह खुले आकाश के नीचे हैं।
2.	यूपीपीसीबी द्वारा सामाजिक परिवर्तन स्थल के लिए एक शर्त निर्धारित की कि कुल परियाजना के क्षेत्रफल में से 33 प्रतिशत को हरित पट्टी के रूप में विकसित किया जायेगा।	हमने पाया कि सामाजिक परिवर्तन स्थल का केवल 4.33 प्रतिशत भाग ही साफ्ट लैंडस्केपिंग से आच्छादित है जो कि यूपीपीसीबी के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अपने उत्तर में कोई टिप्पणी नहीं की गयी है (दिसम्बर 2013)।

ईको गार्डन के निर्माण के उद्देश्यों का पूरा न होना

2.2.39 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ जेल को स्थानान्तरित करने की स्वीकृति[113] इस शर्त के साथ दी थी की विद्यमान 195 एकड़ का क्षेत्र ईको पार्क के तौर पर प्रयोग किया जायेगा एवं स्थल पर किसी स्मारक या संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा।

इस अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पार्क, प्ले ग्राउण्ड एवं ओपेन स्पेशेज (संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 1975[114] (अधिनियम) की धारा 2(बी) के अंतर्गत एक पार्क के रूप में ईको गार्डन की स्थापना के लिए ₹ 1,075.62 करोड़ की राशि अनुमोदित की गयी जिसके अर्न्तगत कुल क्षेत्र के पाँच प्रतिशत भू–भाग को

---

[111] ओखला पक्षी अभ्यारण के पास नोएडा में पार्क के निर्माण के लिए, आईए नं 2609–2610 ऑफ 2009 की रिट याचिका संख्या 202 ऑफ 1995।

[112] एमओईएफ के सितम्बर 2006 की अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि निर्मित क्षेत्र में गतिविधि क्षेत्र शामिल होगा। केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के विचारानुसार प्लेटफार्म, प्लिन्थ, मूर्ति घिरे हुए पेव्ड क्षेत्र, रास्ते, वाहनों के आने जाने के क्षेत्र समेत कठोर भूमि में आने वाले क्षेत्र भी, भवनों से आच्छादित क्षेत्र के अलावा, निर्मित क्षेत्र में शामिल करने हेतु अर्ह हैं।

[113] विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 13940–13941/2009 के अधीन।

[114] उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचित।

आच्छादित या भवन के तौर पर तथा समस्त या अवशेष भू–भाग को पेड़ पौधों वाले बागीचे के रूप में विकसित किया जाना था।

हमने निर्मित पार्क के लेआउट का परीक्षण किया और पाया कि :

- पार्क के कुल क्षेत्रफल के 2.47 प्रतिशत पर वृक्षारोपण किया गया है। वन विभाग के पार्कों के लिए मानदण्ड[115] के अनुसार निर्दिष्ट प्रकार का वृक्षारोपण नहीं कराया गया है। ईको पार्क में रोपित किये कुल 19,997 पेड़ों/पौधों में से केवल 730[116] पेड़/पौधे वन विभाग द्वारा पार्कों के लिए बताये गये देशज प्रजातियों के हैं और शेष 96.35 प्रतिशत पौधे इग्ज़ाटिक प्रजातियों जैसा फरकेशिया, अडेनियम, साइकस रिवोल्यूटा, युफोर्बिया मिली, डुरन्टा, पॉम व कैक्टस की हैं।
- अवशेष 97.53 प्रतिशत क्षेत्र में से 53.30[117] प्रतिशत क्षेत्र पर लॉन, 41.05 प्रतिशत क्षेत्र पर कठोर भूमि[118] (ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और संगमरमर का फर्श) और 3.18 प्रतिशत क्षेत्र पर इमारतें बनी हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है।
- कांस्य के पेड़–पौधों एवं जानवरों की स्थापना की गयी है।
- सौर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। ईको गार्डन, लखनऊ अपने भवनों के प्रकाश एवं शीतलन हेतु मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा की गयी ऊर्जा आपूर्ति एवम् डीज़ल जेनरेटिंग सेट पर आश्रित है।
- प्राकृतिक रूप से जैविक खाद उत्पन्न करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- भवनों का निर्माण कंक्रीट व बलुआ पत्थरों से किया गया है न कि पुर्नचक्रित या अल्प ऊर्जा अवशोषी सामग्री से।

लखनऊ में निर्मित ईको गार्डन का परिदृश्य

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा बताया गया (दिसम्बर 2013) कि उत्तर प्रदेश सरकार के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दिये गये आश्वासन के अनुसार स्थल पर ईको पार्क का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, आगंतुकों को सार्वजनिक सुविधायें प्रदान करने के लिए, न्याय विभाग से विचार मांगे गये थे, जिसने, ईको पार्क के मानदंडों के अभाव में, अधिनियम के अर्न्तगत सुविधाओं के विकास का सुझाव दिया था।

---

[115] मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश के पत्र सं 1331/34–3–1 दिनांक 4 अप्रैल 2012 द्वारा निम्न प्रजातियां पार्कों के हरित पट्टी में वृक्षारोपण के लिए निर्धारित हैः शीशम, नीम, अर्जुन, अमलतास, गुलमोहर, जेकरेनडा, सीरस, कांजी, आम, चितवन, बरगद, पीपल, पाकड़, मौलश्री, कचनार और कदम्ब।

[116] पीपलः 299 नग और मौलश्रीः 431 नग।

[117] लॉन को पर्यावरण के अनुकूल नहीं माना जाता क्योंकि सतत स्थल नियोजन में यह अति जल अवशोषी घटक है (एमओइएफ) इसे कीटनाशकों, शाकनाशकों व विषैले रसायनों की आवश्यकता होती है (स्मिथ सोनियन) एवं यह पर्यावरण व मानव विषेशकर भूमि से अपनी निकटता के कारण बच्चों व पालतु जानवरों के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है (नासा अध्ययन)

[118] प्रेरणा स्थल, नोएडा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुसार आच्छादित क्षेत्र में प्रसाधन एवं सुविधाएं; कठोर भूमि हेतु प्रयुक्त क्षेत्र, प्लेटफार्म, प्लिन्थ, घिरे हुए पेव्ड क्षेत्र, रास्ते, वाहनों के आने जाने के क्षेत्र शामिल करते हुए, निर्मित क्षेत्र शामिल करने हेतु अर्ह हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि न्याय विभाग द्वारा जनवरी 2010 को दी गयी सलाह में केवल अधिनियम के प्रावधानों दोहराया गया है। यह तथ्य बरकरार रहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर कुल क्षेत्र का 44.23 प्रतिशत भाग निर्मित क्षेत्र (कवर्ड एरिया) है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की कमी

2.2.40 व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उच्च विशिष्टियों के प्रयोग, निर्माण की गुणवत्ता और कार्य की प्रगति की सतत् निगरानी करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का सुझाव दिया (सितम्बर 2007)।

हमने पाया कि सरकार द्वारा परियोजनाओं के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए अनुश्रवण उच्च स्तरीय समिति नहीं बनायी गयी। विभागों द्वारा अपने स्तर पर विभिन्न समितियां बनायी गयीं जिन्होने **परिशिष्ट–25** में वर्णित अपने कार्य के संदर्भ/कार्य के क्षेत्र के अनुसार कार्यों को नहीं किया।

इस प्रकार, व्यय वित्त समिति की असफलता एवं उत्तर प्रदेश सरकार/सरकारी विभागों के स्तर पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी के परिणामस्वरूप परियोजना के परिव्यय में भारी बढ़ोतरी हुई, ड्राईंग एवं डिजाईन में बहुतायत संशोधन, कार्यों के पुनः निष्पादन के फलस्वरूप निष्फल व्यय हुआ, कार्यों हेतु उच्च दरें तय की गयीं तथा ठेकेदारों एवं आपूर्तिदाताओं को अधिक भुगतान हुआ।

निष्कर्ष

2.2.41 लखनऊ में चार स्मारकों तथा नोएडा में एक स्मारक के निर्माण की लेखा परीक्षा में, परियोजनाओं के निष्पादन में विभिन्न अनियमितताएं दृष्टिगत हुयीं। नियोजन में कमी जैसे कि लगातार परिवर्धन और संशोधन, ड्राईंग एवं डिजाईन में परिवर्तन एवं परिणामस्वरूप पुनः निष्पादन के फलस्वरूप परियोजना के परिव्यय में वृद्धि हो गयी। बिना किसी उचित अनुमोदन के पूर्व स्थित संरचनाओं को ध्वस्त किया गया। ध्वस्त सामग्री से की गयी वसूली के सम्बंध में उचित दस्तावेज का अभाव था। परामर्शदाताओं की नियुक्ति में कमियों, परामर्शीय अनुबंधों में कमियों और उसमें दिये गये शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हुआ। प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने में कमी एवं दरों के अनुचित विश्लेषण के परिणामस्वरूप ऊँची दरें निर्धारित की गयी। प्रशासकीय विभागों द्वारा कार्यदायी संस्था के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने में विफलता के परिणामस्वरूप कार्यदायी संस्था द्वारा की गयी सकल अनियमितताएं रोकी नहीं जा सकीं एवं अतिरिक्त/निष्फल व्यय हुआ। सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप पर्यावरणीय पहलुओं का उचित रूप में पालन नहीं किया गया।

संस्तुतियाँ

हम संस्तुति करते हैं कि शासन एवं इसकी कार्यदायी संस्थाओं को चाहिए कि:

- *सभी परियोजनाओं पर उचित वित्तीय एवं प्रशासकीय नियंत्रण बनाये रखे;*
- *परियोजना के परिरूपण हेतु उचित नियोजन करें ताकि अतिरिक्त व्ययों को रोका जा सके;*
- *विद्यमान कानून, नियमों तथा नियमावली के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करें; एवं*
- *विशिष्ट प्रकृति के कार्यों हेतु अपने अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करे।*

अध्याय-III

vuqikyu ys[kk ijh{kk

v/;k;&III

3. vuqikyu y[kkijh{kk

शासकीय विभागों एवं उनके अन्तर्गत कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखा परीक्षा ने उनके संसाधनों के प्रबन्धन में चूक, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलता के दृष्टान्त प्रकट किये। इन्हें निम्नलिखित प्रस्तरों में प्रस्तुत किया गया है।

ou foHkkx

3.1 अभिवहन शुल्क की कम वसूली

वन उपज के आवागमन के अनुश्रवण हेतु उचित प्रणाली के अभाव तथा सामंजस्य की कमी के कारण विभाग ने ₹ 639.77 करोड़ के अभिवहन शुल्क की कम वसूली की।

भारतीय वन अधिनियम, 1972 (अधिनियम) की धारा 41, 42, 51 एवं 76 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) द्वारा इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज का अभिवहन को विनियमित करने हेतु उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य उपज अभिवहन नियमावली, 1978 (नियमावली) बनायी (सितम्बर 1978)। नियमावली के नियम 3 एवं 5 यह भी प्रावधानित करते हैं कि वन विभाग द्वारा जारी अभिवहन पर्ची तथा निर्धारित दरों पर अभिवहन शुल्क का भुगतान किए बिना किसी वन उपज का आवागमन राज्य में, या से या उसके अन्दर नहीं किया जायेगा। जीओयूपी ने लारी द्वारा वन उपज की ढुलाई के लिए अभिवहन शुल्क ₹ 38 प्रति टन (₹ 5 प्रति टन 13 जून 2004 तक) निर्धारित (जून 2004)[1] किया।

वन उपज, जैसा कि अधिनियम की धारा–2 में परिभाषित है, के अनुसार वन उपज में पांस (पीट), पृष्ठीय मृदा (सरफेस मिट्टी), चट्टान एवं खनिजों (चूना पत्थर, लेटराइट, खनिज तेल और खदानों एवं क्वारीज के समस्त उपज सहित) जब वन में प्राप्त या वन से लाये जाते हैं, सम्मिलित है। कुमार स्टोन वर्क्स एवं अन्य बनाम उत्तर उपरोक्त प्रदेश राज्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा (अप्रैल 2005) कि यदि उपरोक्त माल की ढुलाई वन भूमि से गुजरने वाली सड़क द्वारा भी की जाती है, तो ऐसे माल को वन उपज के रूप में परिभाषित किया जायेगा और उस पर अभिवहन शुल्क प्रभारित किया जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में अभिवहन शुल्क की माँग एवं वसूली पर रोक (अप्रैल 2008) लगा दी। जीओयूपी ने वन उपज के परिवहन की जाँच के उद्देश्य से स्थापित किये गये समस्त चेक पोस्टों/बैरियरों को हटा (जुलाई 2008)[2] लिया था।

आगे यह देखा गया कि वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के उपरान्त खनिज विभाग द्वारा नदी की तलहटी से बालू, मौरंग, स्टोन ग्रिट, बैलास्ट के खनन हेतु पट्टा प्रदान किया जाता है। प्रभागीय वनाधिकारियों (डीएफओ)/प्रभागीय निदेशक (डीडी) द्वारा जारी किये जाने वाले एनओसी में एकरूपता लाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने एनओसी में विशिष्ट बिन्दुओं को शामिल करने हेतु दिशा–निर्देश जारी (फरवरी 2008) किया गया जिसमें इसके अलावा जून 2004 में जीओयूपी द्वारा निर्धारित, सम्बन्धित व्यक्ति/पट्टाधारक द्वारा, अभिवहन शुल्क के भुगतान की शर्तें भी शामिल थी।

हमने 21 डीएफओ/डीडी के अभिवहन शुल्क के अभिलेखों की जिला खनन अधिकारी (डीएमओ) के अभिलेखों से क्रास जाँच की और पाया कि:

---

1 अधिसूचना संख्या 1047/एक्सआईवी–2–2–2004–343(एल)/2001 दिनांक 14 जून 2004 द्वारा।

2 आदेश संख्या 2809/14–2–2008 दिनांक जुलाई 2008 द्वारा।

- दो जिलों[3] के डीएफओ/डीडी ने एनओसी में वन उपज के आवागमन पर अभिवहन शुल्क के प्रभारण के सम्बन्ध में कोई उपबन्ध शामिल नहीं किया था।

  विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

- वन विभाग खनन हेतु जिलाधिकारी/डीएमओ को एनओसी जारी करने एवं अभिवहन शुल्क के संग्रहण के लिए उत्तरदायी था। वन विभाग, खनन विभाग द्वारा वन उपज के परिवहन हेतु पट्टाधारकों को जारी होने वाले एमएम–11[4] तथा पट्टाधारकों द्वारा निकाले गये वन उपज के आँकड़ें खनन विभाग से प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित नहीं कर पाया। विशेष रूप से जुलाई 2008 में चेक पोस्टों/बैरियरों की समाप्ति के बाद अभिवहन शुल्क के क्षरण को रोकने हेतु कोई अनुश्रवण प्रणाली विकसित नहीं की गयी।

लेखा परीक्षा द्वारा की गई 21 जिलों की नमूना जाँच में, अप्रैल 2005 से मार्च 2008, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के पहले, की अवधि के दौरान 1,888.43 लाख टन की वन उपज[5] का खनन एवं ढुलाई की गई। उक्त ढुलाई के विरुद्ध, वन विभाग द्वारा ₹ 717.61 करोड़ के अभिवहन शुल्क संग्रहण का किया जाना था। वन विभाग, जबकि मात्र ₹ 77.84 करोड़ का अभिवहन शुल्क ही संग्रहित कर सका। अतः वन उपज के आवागमन पर अनुश्रवण हेतु उचित प्रणाली के अभाव तथा आपसी समन्वय की कमी के कारण, वन विभाग द्वारा ₹ 639.77 करोड़ के **(परिशिष्ट–26)** अभिवहन शुल्क की कम वसूली की गयी।

इसके अलावा, अप्रैल 2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेशों के बाद, वन विभाग ने वन उपज के अभिवहन का कोई विवरण नहीं रखा, जिससे यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित मामला अन्तिम में वसूली हेतु निर्णीत होता है, तो देय अभिवहन शुल्क की वसूली सम्भव हो सके।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि प्रभागीय प्रबन्धक/वन संरक्षक द्वारा प्रयास के बावजूद पट्टाधारकों से अभिवहन शुल्क वसूल नहीं हो सका क्योंकि जिलाधिकारी/खनन विभाग ने पट्टाधारकों तथा खनित मात्रा के बारे में आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई। आगे यह अवगत कराया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत स्थगन आदेश के कारण भी अभिवहन शुल्क का संग्रहण विपरीत रूप से प्रभावित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजस्व की वृहद मात्रा होने के बावजूद मामला विभाग अथवा शासन स्तर से नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश में लिये गये मामलों में, वन विभाग अभिवहन पर्ची (जैसा नियमावली के नियम–3 के अन्तर्गत आवश्यक) जारी करने में असफल रहा तथा वन उपज के आवागमन के अभिलेखों के रखरखाव के अभाव के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वसूली के पक्ष में अन्तिम निर्णय जारी करने की स्थिति में देय अभिवहन शुल्क की वसूली करी जा सके।

प्रकरण शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

3.2 पेड़ों की जड़ों के गैर विक्रय के कारण हानि

iMkas dh tMkas ds foØ; u djus tkus ds dkj.k foHkkx dks ₹ 36-13 yk[k ds jktLo ls ofpr gkuk iMkA

वन मैनुअल में निहित प्रक्रिया के अनुसार उत्तर प्रदेश वन निगम (यूपीएफसी) द्वारा पेड़ों की कटान तथा प्रकाष्ठ/जलौनी का विक्रय किया जाता है। यूपीएफसी विभिन्न प्रकार

[3] ललितपुर एवं ओबरा वन प्रभाग।

[4] खनन विभाग द्वारा खनिजों के परिवहन को प्राधिकृत करने हेतु जारी अभिवहन पर्ची।

[5] बालू, मौरंग, स्टोन ग्रिट, स्टोन बैलास्ट, बोल्डर/स्लैब, ग्रेनाइट साइज डाइमेन्सनल स्टोन तथा कोयला।

के प्रकाष्ठ/जलौनी हेतु निर्धारित आधार मूल्य के आधार पर नीलामी द्वारा प्रकाष्ठ/जलौनी का विक्रय करता है। सामान्य कटान में, पेड़ों को भूमि से 10 सेमी ऊपर काटा जाता है और जड़ों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि जड़ों की खुदाई आर्थिक रूप से उचित नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़कों के निर्माण के मामले में पेड़ों को जड़ से उखाड़ा जाता है। चूँकि पेड़ों को जड़ों से उखाड़ा जाता है इसलिए उनकी जड़ें भी यूपीएफसी को जलौनी के रूप में विक्रय हेतु आवंटन के लिए उपलब्ध रहती है।

हमने देखा कि, यद्यपि वन विभाग (विभाग) के सीतापुर प्रभाग ने यूपीएफसी को विक्रय हेतु जड़े आवंटित की, विभाग के तीन अन्य प्रभाग[6] ऐसा करने में विफल रहे। जिसके परिणामस्वरूप विभाग को वर्ष 2005–06 से 2009–10 के दौरान उखाड़े गये 55,158 पेड़ों से होने वाले ₹ 36.13 लाख[7] के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि यूपीएफसी द्वारा नीलामी के आधार पर जड़ों के विक्रय हेतु सितम्बर 2012 में निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

तथ्य यह रहा कि जलौनी[8] के विक्रय हेतु प्रणाली होने के बावजूद प्रभाग यूपीएफसी को जड़ों के विक्रय हेतु आवंटन करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण जून 2013 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2014) है।

3.3 आयतन गुणांक के निर्धारण में विलम्ब के कारण रायल्टी का अल्प प्रभारण

45 सेमी से अधिक व्यास के वृक्षों के लिए पातन चक्र में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ आयतन गुणांक का पुनरीक्षण न करने के कारण विभाग ने 45 सेमी से अधिक व्यास के यूकेलिप्टस वृक्षों पर ₹ 27.37 लाख की रायल्टी का कम प्रभारण किया।

मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्धन) उत्तर प्रदेश द्वारा जारी (जून 1978) आदेशों के अनुसार यूकेलिप्टस के केवल 45 सेमी व्यास तक के वृक्षों की रायल्टी की गणना हेतु, पातन चक्र[9] को आठ वर्ष मानते हुए, आयतन गुणांक निर्धारित किया गया था। अप्रैल 1993 में पातन चक्र बढ़ाकर 10/30 वर्ष[10] तथा अप्रैल 1998 में 15 वर्ष[11] कर दिया गया था।

इस तथ्य के बावजूद कि आयतन गुणांक वृक्षों के व्यास पर निर्भर है, जो कि आयु के साथ प्राकृतिक रूप से बढ़ता है, पातन चक्र में वृद्धि के साथ–साथ (या अद्यतन क्रमशः अप्रैल 1995[12] एवं अप्रैल 2003[13]) 45 सेमी व्यास से अधिक के वृक्षों के आयतन गुणांक का निर्धारण नहीं किया। 45 सेमी से अधिक व्यास वाले वृक्षों का आयतन गुणांक का निर्धारण[14] दिसम्बर 2008 में किया गया।

दिसम्बर 2008 तक 45 सेमी से अधिक व्यास के वृक्षों के लिए निर्धारित आयतन गुणांक के अभाव में 40–45 सेमी की सीमा के व्यास अर्थात् आठ वर्ष के पातन चक्र के आधार पर निर्धारित अधिकतम व्यास वाले वृक्षों पर लागू दरों के आधार पर वन विभाग (विभाग) के प्रभागीय अधिकारियों ने 10–15 वर्ष की आयु के उच्च व्यास वाले वृक्षों पर रायल्टी का प्रभारण (दिसम्बर 2008 तक) जारी रखा।

---

6 प्रभागीय निदेशक, बस्तीः प्रभागीय निदेशक, बाराबँकी एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ

7 55,158 पेड x ₹ 65.50 प्रति जड़ जो कि सीतापुर प्रभाग की समिति द्वारा निर्धारित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य है = ₹ 36.13 लाख।

8 जड़ों को जलौनी के रूप में मानते है।

9 पातन चक्र काटे जाने वाले वृक्षों हेतु आयु निर्धारण को इंगित करता है।

10 नहर के किनारे के वृक्षों के लिए 10 वर्ष तथा सड़क के किनारे के वृक्षों के लिए 30 वर्ष।

11 नहर के किनारे तथा सड़क के किनारे के वृक्षों दोनों के लिए।

12 1993 में पातन चक्र में आठ से 10 वर्षों तक की वृद्धि के दो वर्षों के अन्दर।

13 पातन चक्र में 10 से 15 वर्षों तक की वृद्धि से 5 वर्षों के अन्दर।

14 45–50 सेमी, 50–55 सेमी, 55–60 सेमी, 60–65 सेमी, 65–70 सेमी, 70–75 सेमी, 75–80 सेमी, 80–85 सेमी, 85–90 सेमी एवं 95 सेमी से अधिक की सीमाओं में।

इस प्रकार, विभाग के छः प्रभागों ने अप्रैल 2004 से दिसम्बर 2008 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश वन निगम (यूपीएफसी) को आवंटित तथा काटे गये 45 सेमी से अधिक व्यास के 6,646 यूकेलिप्ट्स वृक्षों पर ₹ 27.37 लाख की रायल्टी कम प्रभारित की जिसका विवरण **परिशिष्ट–27** तथा सारांश निम्नवत् है।

सारणी संख्या 3.1: रायल्टी के अल्प प्रभारण का सारांश

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	वर्ष	वृक्षों का व्यास (सेमी में)	यूपीएफसी द्वारा काटे गये वृक्षों की संख्या	दिसम्बर 2008 में निर्धारित मानकों के अनुसार आयतन (घन मीटर में)	विभाग द्वारा लिया गया वास्तविक आयतन (घन मीटर में)	आयतन में अन्तर (घन मीटर में)	रायल्टी का अल्प प्रभारण (लाख ₹ में)
1.	प्रभागीय वन संरक्षक, शिवालिक, सहारनपुर	2004-05 से 2008-09	45-55	1666	2324.772	1611.022	713.750	8.20
2.	प्रभागीय वनाधिकारी, अम्बेडकरनगर	2005-06 से 2008-09	45-75	512	693.466	494.458	199.008	2.18
3.	प्रभागीय निदेशक, बाराबंकी	2004-05 से 2008-09	45-65	428	544.205	417.501	126.704	1.06
4.	प्रभागीय निदेशक, सुल्तानपुर	2004-05 से 2008-09	45-85	3255	4457.293	3138.478	1318.815	12.87
5.	प्रभागीय निदेशक, बस्ती	2004-05 से 2008-09	45-55	276	347.104	260.611	86.493	0.89
6.	प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी, देवरिया	2006-07 से 2008-09	45-70	509	696.588	492.203	204.385	2.17
	योग			**6646**	**9063.428**	**6414.273**	**2649.155**	**27.37**

विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि शासन ने अब मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश को पातन चक्र पुनरीक्षण से पूर्व आयतन गुणांक को पुनरीक्षित करने हेतु निर्देशित (नवम्बर 2013) किया है।

उत्तर पुष्टि करता है कि पातन चक्र पुनरीक्षण के साथ–साथ आयतन गुणांक के पुनरीक्षण (दिसम्बर 2008) में असाधारण विलम्ब होने के कारण विभाग को राजस्व की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रकरण शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

3.4 यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण

प्रस्तावना

3.4.1 उत्तर प्रदेश शासन के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग[15] (आईआईडीडी) द्वारा 160[16] किमी ताज एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजना की परिकल्पना (मार्च 2001) की गयी जिसका उद्देश्य (i) नई दिल्ली से आगरा के बीच यात्रा समय को कम करने हेतु एक द्रुतगामी मार्ग उपलब्ध कराना (ii) क्षेत्र के औद्योगिक तथा शहरी विकास के नये मार्ग खोलना तथा (iii) पर्यटन एवं अन्य सम्बद्ध उद्योगों के अभिसरण के लिए आधार प्रदान करना था। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अप्रैल 2001 में परियोजना के विकास हेतु ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण[17] (टीईए) की स्थापना[18] की गई। टीईए का नाम बदल कर (जुलाई 2008)

---

15 पूर्व में उद्योग विभाग के रूप में जाना जाता था।

16 वास्तविक निर्माण 165 किमी।

17 अप्रैल 2001 के शासनादेश के अनुसार ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में निम्न सदस्य होंगे प्रमुख सचिव, उद्योग तथा औद्योगिक विकास आयुक्त, अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, प्रमुख सचिव, आवास, प्रमुख सचिव, वित्त, प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बृहत्तर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सचिव, औद्योगिक विकास, जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर एवं जिलाधिकारी, आगरा सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सदस्य सचिव। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–2 की उपधारा (डी) के अंर्तगत।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (येडा)[19] कर दिया गया। परिणामस्वरूप परियोजना का नाम भी यमुना एक्सप्रेसवे (जुलाई 2008) कर दिया गया।

हमने (अप्रैल 2012 से मई 2012) में अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के सचिवालय में यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के निविदा प्रपत्र, निविदा तथा रियायती अनुबन्ध के अन्तिमीकरण एवं अनुमोदन से संबंधित अभिलेखों की जाँच की, अभिलेख एवं सूचनाएँ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करे। ऑडिट में यह देखा गया कि क्या पीपीपी निविदा दाता के चुनाव एवं रियायत दिये जाने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक थी, लाभ/जोखिम येडा/निविदादाता के मध्य उत्तमता से बंटा था तथा पीपीपी परियोजना एवं रियायती अनुबन्ध उचित तथा प्रभावी तरीके से लागू थे।

निविदा का अन्तिमीकरण एवं क्रियान्वयन हेतु परियोजना का दिया जाना

3.4.2 येडा ने (3 नवम्बर 2002) (i) तकनीकी–आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के विकास; (ii) वित्त की व्यवस्था एवं; (iii) नोएडा तथा आगरा के बीच छह लेन सुपर एक्सप्रेसवे के निर्माण एवं संचालन हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के इच्छुक पार्टियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये। नवम्बर 2002 में आमंत्रित किये गये प्रस्ताव से पूर्व ही उत्तर प्रदेश शासन ने नोएडा टोल ब्रिज एवं ग्रेटर नोएडा के मध्य (25 किलोमीटर) एक्सप्रेसवे के प्रथम चरण का निर्माण करा दिया था एवं आम जनता के लिए खोल भी दिया था।

निविदा प्रपत्र के अनुसार परियोजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न थीः

- येडा द्वारा एक निजी क्षेत्र के विकासकर्ता का चयन किया जाना था तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक संयुक्त उद्यम कम्पनी (जेवीसी)/स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाना था। बदले में, जेवीसी/एसपीवी को टोल संग्रहण का अधिकार तथा भूमि विकास का अधिकार दिया जाना था।
- एक्सप्रेसवे को यमुना नदी के किनारे अविकसित भूमि से निकलना था तथा एक्सप्रेसवे के किनारे पाँच या अधिक स्थानों पर कुल 2,500 हेक्टेयर भूमि[20], जिसमें से 500 हेक्टेयर का एक क्षेत्र नोएडा या ग्रेटर नोएडा में होना था, विकासकर्ता को अधिग्रहण मूल्य के समतुल्य प्रीमियम पर तथा ₹ 100 प्रति हेक्टेयर/प्रतिवर्ष के पट्टा किराया पर 90 वर्ष के पट्टे पर वाणिज्यिक, मनोरंजन, औद्योगिक, संस्थागत तथा आवासीय विकास हेतु उपलब्ध करायी जानी थी।
- परियोजना को जेवीसी/एसपीवी के रूप में 25 प्रतिशत येडा की अंशधारिता तथा 75 प्रतिशत संयुक्त उद्यम भागीदार के अंशधारिता के आधार पर क्रियान्वित किया जाना था। इस स्थिति में नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा के बीच निर्मित एक्सप्रेसवे की लागत को जेवीसी/एसपीवी में येडा की अंशभागिता मानी जानी थी तथा यदि नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की लागत 25 प्रतिशत अंशपूँजी से अधिक होती है तो अधिशेष राशि जेवीसी/एसपीवी को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में माना जाना था। निविदादाता के विकल्प पर, परियोजना येडा के बिना अंशभागिता के निविदादाता के द्वारा स्वयं करायी जा सकती थी। इस स्थिति में नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की पूर्ण लागत को जेवीसी/एसपीवी को ब्याजमुक्त ऋण के रूप में माना जाना था।
- बिड वैरिएबुल अर्थात् पैरामीटर जिसके आधार पर वित्तीय बिड का मूल्यांकन किया जाना था, रियायत अवधि[21] था, जो कि वर्ष, महीने तथा दिन में निर्दिष्ट किया जाना था।

---

18 उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा–2 की उपधारा (डी) के अंर्तगत।

19 प्रतिवेदन में हमने येडा (पूर्ववर्ती टीईए) नाम प्रयोग किया है।

20 एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु 100 मीटर के भूमि के फैलाव के अतिरिक्त।

21 रियायत अवधि वह अवधि है जिसके दौरान रियायती अनुबंधी टोल का संग्रहण तथा प्रयोग करेगा एवं एक्सप्रेसवे का संचालन व रखरखाव करेगा।

येडा द्वारा आमंत्रित खुले प्रस्ताव (नवम्बर 2002) के उत्तर में, तीन निविदादाताओं[22] ने निविदाएँ प्रस्तुत की जिनमें एक निविदा[23] निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत किये जाने के कारण अस्वीकार कर दी गई। शेष दो निविदादाताओं की तकनीकी निविदा[24] का मूल्यांकन (20 जनवरी 2003) किया गया तथा उपयुक्त पाया गया। इसके बाद उनके वित्तीय निविदाओं को भी 20 जनवरी 2003 को खोला गया। जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली (जेआईएल) को लैंग डीएससी ज्वाइंट वैन्चर द्वारा प्रस्तावित 39 वर्ष 07 माह तथा 10 दिन के रियायत अवधि के सापेक्ष प्रस्तावित 36 वर्ष के रियायत अवधि के कारण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चयनित किया गया। जेआईएल के पक्ष में, 36 वर्ष के रियायत अवधि के साथ, निविदा के अन्तिमीकरण का अनुमोदन मंत्रिपरिषद की आर्थिक विकास समिति (ईडीसी) द्वारा 23 जनवरी 2003 को किया गया।

येडा ने जेआईएल को परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उसके रियायती अनुबन्धी के रूप में चयन होने के अनुमोदन के सम्बन्ध में सूचित किया (23 जनवरी 2003)। जेआईएल (रियायती अनुबंधी) ने येडा की अंशभागिता के बिना ही परियोजना को पूर्ण करने का विकल्प दिया (23 जनवरी 2003) तथा प्रमोटर अनुबंध[25] के बजाय रियायती अनुबन्ध किये जाने पर जोर दिया। तद्नुसार, येडा ने 7 फरवरी 2003 को रियायती अनुबंधी के साथ रियायती अनुबन्ध निष्पादित किया।

अनुबन्ध के अनुसार परियोजना रियायती अनुबन्ध के हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होनी थी तथा सात वर्षों में पूर्ण की जानी थी। येडा द्वारा एक्सप्रेसवे के संरेखण (अलाइनमेंट) के अनुमोदन में देरी किये जाने के कारण मार्च 2007 तक की अवधि तक कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक्सप्रेसवे के संरेखण का अनुमोदन येडा द्वारा मार्च 2007 में किया गया जिसके बाद रियायती अनुबंधी ने, निविदा प्रपत्र तथा रियायती अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुपालन में, परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड, नोएडा के नाम से स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया (अक्टूबर 2007)।

यमुना एक्सप्रेसवे की स्थिति

3.4.3 येडा ने नीचे दी गयी सारणी के अनुसार, अधिग्रहण मूल्य तथा अन्य खर्चों सहित ₹ 2,705.26 करोड़ के मूल्य की कुल 2,458.45 हेक्टेयर भूमि रियायती अनुबंधी को पाँच स्थानों पर आवंटित की:

सारणी 3.2: रियायती अनुबंधी को आवंटित भूमि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	भूखण्ड का स्थान	रियायती अनुबंधी को आवंटित भूमि (हेक्टेयर में)	रियायती अनुबंधी द्वारा भुगतान की गयी अधिग्रहण लागत	पुर्न स्थापना एवं पुर्नवास शुल्क	वाह्य विकास शुल्क (ईडीसी)	योग
1.	नोएडा, गौतमबुद्ध नगर	498.93	374.67	शून्य	*	374.67
2.	जगनपुर, गौतमबुद्ध नगर	490.79	510.39	4.62	281.71	796.52
3.	मिर्जापुर, गौतमबुद्ध नगर	480.89	484.75	2.29	276.03	763.07
4.	अलीगढ़	496.15	358.95	1.44	**	360.39
5.	आगरा	491.69	397.26	13.15	**	410.41
योग		**2458.45**	**2126.02**	**21.50**	**557.74**	**2705.26**

(स्रोतः विकास हेतु भूमि का पट्टा विलेख तथा विभाग का उत्तर)

**** नोएडा द्वारा ईडीसी सूचित किये जाने पर रियायती अनुबंधी से वसूला जायेगा।***

*****विकास के समय रियायती अनुबंधी द्वारा भुगतान किया जायेगा।***

---

22 लैंग डीएससी ज्वाइंट वैंचर, जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज तथा टेक्नी भारती लिमिटेड

23 टेक्नी भारती लिमिटेड ने निविदा 20 मिनट विलम्ब से प्रस्तुत की।

24 तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन एवं छँटनी, तकनीकी प्रवीणता, निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन/निष्पादन में अनुभव तथा वित्तीय मानक जैसे की नैट वर्थ एवं ऋण निधि, नगद प्रवाह आदि जैसे स्रोतों को सृजित करने की क्षमता के आधार पर होना था।

25 प्रमोटर अनुबंध येडा के साथ अंशपूँजी सहभागिता की स्थिति में निष्पादित होना था तथा रियायती अनुबंध येडा के साथ अंशपूँजी सहभागिता होने या न होने दोनो ही स्थिति में निष्पादित होना था।

परिकल्पित परियोजना (मार्च 2001) में मूल रूप से नोएडा से ग्रेटर नोएडा (25 किमी) तक विद्यमान एक्सप्रेसवे तथा रियायती अनुबंधी द्वारा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक निर्मित किये जाने वाला एक्सप्रेसवे सम्मिलित था। रियायती अनुबंधी ने नवम्बर 2006 से जुलाई 2012 तक ₹ 9,962.00 करोड[26] की लागत से यमुना एक्सप्रेसवे (ग्रेटर नोएडा से आगरा) का निर्माण किया, जो कि अगस्त 2012 से सार्वजनिक उपयोग हेतु खोला गया।

रियायती अनुबन्ध के उपबन्ध 3.4 एवं 3.7 में कहा गया कि नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के मध्य एक्सप्रेसवे के पूँजी लागत के एवज में येडा को रियायती अनुबंधी को इसे रियायती अवधि में प्रयोग करने हेतु छूट एवं अधिकार प्रदान करना था। इस पूर्व निर्मित एक्सप्रेसवे की पूँजी लागत रियायती अनुबंधी को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मानी जायेगी जो कि रियायती अवधि के ग्यारहवें वर्ष से शुरू होकर पन्द्रह बराबर किश्तों में रियायती अनुबंधी द्वारा येडा को पुनर्भुगतान की जायेगी। रियायती अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार रियायती अनुबंधी को एक्सप्रेसवे के प्रयोग करने वालों से शुल्क वसूलने एवं रखने का अधिकार भी था। एक्सप्रेसवे एसपीवी को अभी भी हस्तान्तरित किया जाना शेष था (जनवरी 2014)।

आईआईडीडी/शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2014) कि नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर टोल न लगाये जाने की जनता की माँग को पूरा करने हेतु, रियायती अनुबंधी द्वारा यह प्रस्तावित किया गया (अगस्त 2012) कि यदि उन्हें एक्सप्रेसवे के इस हिस्से की पूँजी लागत तथा परिचालन एवं रखरखाव लागत चुकाने की छूट की जाती है तो वे इस हिस्से पर टोल टैक्स की वसूली नहीं करेंगे। रियायती अनुबंधी के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अभी तक (जनवरी 2014) कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.4.4 अभिलेखों के परीक्षण के दौरान हमने निविदा पूर्व (प्री बिड) तथा निविदा पश्चात (पोस्ट बिड) कई कमियाँ पाईं जो आगे के प्रस्तरों में बताई गईं हैं।

निविदा पूर्व (प्री बिड) कमियाँ

3.4.5 हमने निविदा पूर्व स्तर पर रियायतों के तर्कसंगतता के आंकलन करने के लिए तंत्र का अभाव, भूखण्डों की पहचान न करना, सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के सिद्धान्तों को कमजोर करना, एवं रियायती अनुबंधी के लाभ पर नियंत्रण न होने जैसी विभिन्न कमियाँ पायी जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

रियायतों की तर्कसंगतता का आंकलन करने हेतु तंत्र का न होना

3.4.6 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने (जुलाई 2002) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) को परियोजना की संभाव्यता (फीजिबिलिटी) सुनिश्चित करने के लिए पहले तकनीकी एवं आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) बनाने फिर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने व परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की सलाह दी थी। पुनः इन्होंने निविदा प्रपत्र में ऐसे प्रावधान रखने की सलाह दी थी कि जैसे ही परियोजना पर भूमि के विकास व टोल संग्रहण की आय से 20 प्रतिशत अंशधारिता पर लाभ (आरओई) प्राप्त हो जाये वैसे ही रियायती अवधि समाप्त हो जाये व सम्पूर्ण सम्पत्ति येडा के हाथ में स्वतः ही स्थानान्तरित हो जाये क्योंकि यदि रियायती अनुबंधी के मुनाफे की सीमा निर्धारित नहीं की जाती है तो रियायती अनुबंधी सदैव टीईएफआर में टोल आय को कम दिखायेगा और अधिक से अधिक भूमि पर विकास का अधिकार प्राप्त कर लेगा तथा टोल राजस्व से मुनाफा कमाता रहेगा।

हमने यह पाया कि आईआईडीडी/शासन ने सम्भावित रियायती अवधि की गणना हेतु न तो कोई संभाव्यता रिपोर्ट बनाई और न ही प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश

[26] जनवरी 2014 में आईआईडीडी ने उत्तर उपलब्ध कराया।

शासन के सलाह के अनुरूप निविदा प्रपत्र में कोई प्रावधान रखे। येडा ने 2002–03 में एक्सप्रेसवे की लागत ₹ 1,680 करोड़ आंकलित की थी। येडा ने वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करने के बजाय प्रस्तर 3.4.2 में चर्चा किये गये मानकों पर निविदाएं आमंत्रित की थीं।

आईआईडीडी/शासन ने अपने उत्तर (जनवरी 2014) में परियोजना के क्रियान्वयन में वित्त विभाग की सलाह, जो कि परियोजना को पीपीपी के सिद्धान्तों पर कार्यान्वित करने के लिए पूर्व अपेक्षित था, के पालन न किये जाने का कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया।

अतः स्पष्ट है कि निविदादाताओं द्वारा उद्धत रियायत अवधि की तर्कसंगतता का आंकलन करने के लिए किसी तंत्र का निर्धारण नहीं किया गया था।

भूखण्डों के स्थानों को चिन्हित न करना एवं नोएडा के भूखण्ड का अनुचित आवंटन

3.4.7 निविदा प्रपत्र के उपबन्ध 1.5 के अनुसार एक्सप्रेसवे को यमुना नदी के साथ–साथ अविकसित क्षेत्र से निकलना था तथा विकासकर्ता को विकास हेतु भूमि[27] उसके अनुरोध, चुनाव तथा उपलब्धता के आधार पर एक्सप्रेसवे के किनारे उपलब्ध कराई जानी थी। विकास के लिए दिये जाने वाले भूखण्डों के स्थलों की पहचान येडा/शासन ने निविदा पूर्व नहीं की जिससे रियायत के रूप में दी जाने वाली भूमि की लागत का आंकलन एवं रियायती अनुबंधी के लिए उचित लाभांश की गणना की जा सके।

हमने देखा की भूखण्डों के स्थलों के सम्भावित पहचान के अभाव में रियायती अनुबंधी ने स्वयं नोएडा[28] में उत्कर्ष स्थान पर भूखण्ड की पहचान की जिसको रियायती अनुबंधी को अधिग्रहण मूल्य पर हस्तान्तरित कर दिया गया। यह भूखण्ड पहले से विद्यमान नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित था, जो कि पहले से विकसित था एवं निविदा प्रपत्र के क्लॉज 1.5 के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा आच्छादित अविकसित क्षेत्र में नहीं था।

इसके अतिरिक्त, रियायती अनुबंधी ने विद्यमान नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे नहीं ली एवं इसकी पूँजी लागत तथा संचालन एवं रखरखाव लागत का भुगतान किये जाने से छूट की माँग की अतः विद्यमान एक्सप्रेसवे के किनारे नोएडा में 498.93 हेक्टेअर के भूखण्ड का आवंटन अनुचित था।

आईआईडीडी/शासन द्वारा इस विषय पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

निविदा प्रपत्र में अस्पष्ट प्रावधान

3.4.8 हमने यह पाया कि येडा/आईआईडीडी ने निविदा से पूर्व ऐसे निर्णय लिए जो कि पीपीपी के सिद्धान्तों पर परियोजना के निष्पादन के विचार को कमजोर करते थे जिसकी चर्चा निम्नवत् हैः

- निविदा प्रपत्र (उपबन्ध 1.8) में निविदादाता के लिए एक विकल्प का प्रावधान था कि निविदादाता चाहे तो जेवीसी आधार पर 25 प्रतिशत येडा के अंशधारिता पर तथा 75 प्रतिशत संयुक्त उद्यम भागीदार के अंशधारिता पर अथवा बिना येडा के अंशधारिता के पूर्ण रूप से संयुक्त उद्यम भागीदार के द्वारा परियोजना का निष्पादन कर सकता है। निविदा प्रपत्र में इस अतिरिक्त प्रावधान, जिससे कि निविदादाता को दो विकल्प मिले, ने येडा को परियोजना में अंशधारिता एवं लाभ, हानि तथा जिम्मेदारियों को साझा करने से हटने की जगह दे दी। यह निर्णय पीपीपी सिद्धान्तों के विरुद्ध था क्योंकि जहाँ इस प्रक्रिया से सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी लाभ से वंचित रहा वहीं, निविदादाता को 100 प्रतिशत नियंत्रण युक्त निर्णय की आजादी मिल गई।

---

[27] 25 मिलियन वर्ग मीटर अथवा 2500 हेक्टेयर।

[28] सेक्टर 128, 129, 130, 131, 133, 134 तथा 151।

- जब 100 प्रतिशत अंशधारिता की स्थिति में कोई लाभ साझा नहीं होना था हमने पाया की आईआईडीडी/शासन ने निविदादाता को (i) येडा तथा निविदादाता के द्वारा 25:75 प्रतिशत के अनुपात में अंशभागिता करने पर; एवं (ii) केवल निविदादाता द्वारा ही 100 प्रतिशत अंशभागीदारिता पर, दोनो ही विकल्पों के लिए अनिवार्य रूप से अलग–अलग रियायत अवधि उद्धृत करने हेतु निविदा में कोई प्रावधान नहीं बनाया। चूँकि आरओई/आईआरआर एवं वित्तीय प्रभाव के दृष्टिकोण से दोनो ही विकल्पों में रियायती अवधि में भिन्नता होगी अतः यह निविदा प्रपत्र में इस सीमा तक कमी दर्शाता है। दोनों विकल्पों के लिए रियायत अवधि की तर्कसंगतता का निर्धारण न करने के कारण आईआईडीडी/शासन ने परियोजना के दिये जाने एवं प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सम्पादन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ समझौता किया।

आईआईडीडी/शासन में उत्तर बताया (जनवरी 2014) कि निविदा प्रपत्र में यह प्रावधान था कि निविदादाता विकल्प के रूप में परियोजना को स्वयं की 100 प्रतिशत अंशधारिता पर क्रियान्वित कर सकता है तथा सभी निविदादाताओं को इस प्रावधान की पूर्व में ही जानकारी थी। निविदा प्रक्रिया के दौरान या निविदा सौंपने के बाद इस प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उत्तर निविदा प्रपत्र में अंशपूँजी भागीदारी तथा बिना अंशपूँजी भागीदारी के लिए अलग–अलग रियायती अवधि की निविदा डालने का प्रावधान न किये जाने में उचित कर्मठता (ड्यू डिलिजेन्स) की कमी की लेखा परीक्षा की टिप्पणी को सम्बोधित नहीं करता है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (येडा) के हितों के दृष्टिगत उचित कर्मठता नहीं रखी गयी।

निविदा में उचित लाभ प्रदान करने हेतु शर्तों का न होना

3.4.9 अपनी टीईएफआर की अनुपलब्धता में, येडा ने (1) तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का विकास करने (2) वित्त की व्यवस्था करने (3) एक्सप्रेसवे का निर्माण एवं संचालन करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये। ऐसी स्थिति में, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्श जो प्रस्तर 3.4.6 में उल्लिखित है, रियायती अवधि पर सीमांकन करना[29] लोक हित में था। हमने देखा कि निविदा प्रपत्र में रियायती अवधि पर ऐसी कोई सीमा नहीं लगाई गई जिससे यह सुनिश्चित हो की रियायती अनुबन्धी को उसके निवेश पर केवल उचित लाभ[30] मिले।

इस विषय पर आईआईडीडी/शासन द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

निविदा पश्चात् (पोस्ट बिड) कमियाँ

3.4.10 हमने निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया सम्बन्धी अभिलेखों एवं रियायती अनुबन्धी द्वारा बनाये गये/प्रस्तुत किये गये टीईएफआर/डीपीआर का परीक्षण किया एवं पाया कि आईआईडीडी/शासन ने येडा के अंशभागिता के त्यागने के निर्णय करने के दौरान आवश्यक कर्मठता (ड्यू डिलिजेन्स) नहीं दिखाई एवं बिना वित्तीय लाभ एवं हानि का विश्लेषण किये रियायती अनुबंधी के टीईएफआर/डीपीआर को स्वीकार कर लिया जैसी नीचे चर्चा की गई है :

- आईआईडीडी/शासन ने जेआईएल से बिना विकल्प प्राप्त किये कि वह परियोजना जेवीसी के आधार पर 75:25 के अनुपात की अंशभागीदारी में क्रियान्वित करेगा या येडा के बिना किसी अंशभागीदारी के केवल स्वयं क्रियान्वित करेगा, जेआईएल के

---

29 जैसा कि वित्त विभाग, जीओयूपी द्वारा जुलाई 2002 में परामर्श दिया गया।

30 राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के वित्त पोषण के कोर ग्रुप की रिपोर्ट में स्वीकृत 15 प्रतिशत आईआरआर या वित्त विभाग द्वारा नोएडा टोल ब्रिज से वास्तविक लाभ के आधार पर विवेचित 20 प्रतिशत आरओई या दीर्घकालिक एवं गहन पूँजी वाली निजी क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं में दी जाने वाली 14 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत की आरओई।

पक्ष में 23 जनवरी 2003 को निविदा का अनुमोदन कर दिया। जेआईएल ने उसी दिन अर्थात 23 जनवरी 2003 को येडा के बिना किसी अंशभागिता के परियोजना को केवल स्वयं क्रियान्वित करने का विकल्प चुना। ये निविदा के अन्तिमीकरण के दौरान शासन स्तर पर परीक्षण के स्पष्ट अभाव को प्रदर्शित करता है। निविदा स्वीकृत होने के बाद अंशभागिता का त्याग अनियमित था एवं जेआईएल को अनुचित लाभ देने जैसा था।

- आईआईडीडी/येडा ने येडा के अंशभागिता के साथ अथवा बिना अंशभागिता के परियोजना को क्रियान्वित करने में वित्तीय लाभ–हानि का विश्लेषण नहीं किया। येडा के बिना अंशभागिता के परियोजना का क्रियान्वयन लोक हित में था अथवा नहीं, का कोई परीक्षण नहीं किया गया था। हालांकि येडा ने 25 प्रतिशत तक के अंशभागिता के जोखिम को साझा किया होता, लेकिन इससे येडा को 31 मार्च 2013[31] तक टोल राजस्व एवं भूमि विकास के अधिकार से ₹ 872.94 करोड़[32] की आय भी प्राप्त होती। आगे, भविष्य में भी येडा एसपीवी के जीवन भर होने वाले लाभ को प्राप्त करने से लगातार वंचित रहेगा।

- इसके अतिरिक्त, अंशभागिता के त्याग को स्वीकार करते समय, आईआईडीडी/शासन ने टोल संग्रहण और भूमि विकास अधिकार दोनों को कार्यान्वित करने के लिए संव्यवहारों से सम्बन्धित अभिलेखों पर नियंत्रण एवं पहुँच रखने के लिए रियायती अनुबन्ध में आवश्यक शर्त रखने हेतु भी अपेक्षित कर्मठता नहीं दिखाई। इस प्रकार आईआईडीडी/शासन द्वारा दिखाई गयी कर्मठता में कमी पीपीपी परियोजनाओं को प्रदान किये जाने एवं प्रबंधन से संबंधित संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की धारणा के विरूद्ध थी। यह येडा के वित्तीय हितों के लिए अहितकर भी था एवं लोक हित के विरूद्ध भी था।

आईआईडीडी/शासन ने कोई उत्तर नहीं दिया (अप्रैल 2014)।

लाभ की उच्च आंतरिक दर (आईआरआर)

3.4.11 रियायती अनुबंध के उपबन्ध 3.5 के अनुसार, रियायती अनुबन्धी को रियायत अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के दो वर्ष के भीतर टीईएफआर/डीपीआर प्रस्तुत करना था। हमने यह देखा :

- यद्यपि रियायती अनुबन्ध 7 फरवरी 2003 को हस्ताक्षरित हुआ था येडा ने रियायती अनुबंधी को टीईएफआर प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित (नवम्बर 2006) किया एवं रियायती अनुबंधी ने नवम्बर 2006[33] में टीईएफआर प्रस्तुत किया जो कि रियायती अनुबंध हस्ताक्षर होने के 3.5 वर्ष बाद था।

- उपरोक्त टीईएफआर (जो कि रियायती अनुबंधी द्वारा जनवरी 2003 में तैयार किया गया था) में लाभ की आंतरिक दर (आईआरआर)[34] 21 प्रतिशत दर्शाया गया था तथा रियायती अनुबंधी द्वारा आकर्षक माना गया था।

- इस टीईएफआर को दिसम्बर 2006 में अद्यतन किया गया जिसमें 26 प्रतिशत आईआरआर को रियायती अनुबंधी द्वारा आकर्षक माना गया था।

26 प्रतिशत आईआरआर पहले से ही वित्त विभाग द्वारा उचित बताये गये 20 प्रतिशत आरओई[35] से ज्यादा था। ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के

---

31 अक्टूबर 2007 में एसपीवी के गठन से 31 मार्च 2013 तक।

32 एसपीवी के 31 मार्च 2013 के तुलन पत्र के अनुसार संचित सामान्य रिजर्व (₹ 237.92 करोड़) एवं अधिशेष (₹ 3,253.77 करोड़) का 25 प्रतिशत।

33 जनवरी 2003 में तैयार किया गया।

34 लाभ की आंतरिक दर वह दर होती है जिस पर नकदी अंतर्वाह एवं नकदी बहिर्वाह का वर्तमान मूल्य बराबर होता है।

35 नोएडा टोल ब्रिज में 20 प्रतिशत आरओई स्वीकृत था जैसा कि वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा जुलाई 2002 में बताया गया।

वित्तपोषण कोर ग्रुप की रिपोर्ट में अनुमन्य 15 प्रतिशत आईआरआर एवं राज्य की दीर्घ कालिक एवं गहन पूँजी वाली निजी क्षेत्र की बिजली परियोजनाओं में अनुमन्य 15 प्रतिशत[36] आरओई से भी ज्यादा है। आईआईडीडी/शासन ने इस तरह की उच्च आईआरआर का अनुमोदन करने से पहले इन कारकों का ध्यान नहीं रखा तथा उसे उसके वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण किये बिना ही स्वीकार कर लिया।

दोनों टीईएफआर में रियायती अनुबंधी ने यातायात की मात्रा[37] को प्रभावित करने वाले अनेक बाधाओं/कारकों के दृष्टिगत रियायती अवधि के दौरान एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्त्ताओं से टोल संग्रह की लाभप्रदता की अनदेखी का प्रस्ताव रखा। रियायती अनुबंधी ने यातायात की मात्रा को प्रभावित करने वाले बाधको के आधार पर टोल संग्रह से राजस्व की अनदेखी करने की दलील, जो कि डीपीआर का उल्लंघन था तथा जिसमें यातायात आंकलन स्वयं रियायती अनुबंधी द्वारा किया गया था, की सत्यतता का मूल्यांकन किये बिना ही, आईआईडीडी/शासन ने इसे स्वीकार कर लिया।

टोल से राजस्व की उपेक्षा कर, रियायती अनुबन्धी द्वारा 2006–07 से 2011–12 तक की छह वर्ष की अवधि के लिए ''जैसा है जहाँ है'' पर भूमि की बिक्री से प्राप्त राजस्व से नकदी का अंतर्वाह (कैश इनफ्लो) का प्रस्ताव एवं एक्सप्रेसवे के निर्माण पर होने वाले खर्च पर वर्ष–वार नकदी का बहिर्वाह (कैश आउटफ्लो) का प्रस्ताव दिया जिसे नीचे दी गई सारणीनुसार संक्षेपित किया गया है–

सारणी 3.3: नकदी अंतर्वाह एवं नकदी बहिर्वाह का विवरण

(करोड ₹ में)

वर्षान्त	मार्च 2007 तक	2007–08 के दौरान	2008–09 के दौरान	2009–10 के दौरान	2010–11 के दौरान	2011–12 के दौरान	योग
नकदी वहिर्वाह	532	1070	800	800	800	486	4488
नकदी अंतर्वाह	350	700	825	1150	1100	1000	5125
अधिक/(कमी)	(182)	(370)	25	350	300	514	-
संचित अधिक/(कमी)	(182)	(552)	(527)	(177)	123	637	-
आंतरिक लाभ दर	--	--	--	--	--	--	26 प्रतिशत

(स्रोत : रियायती अनुबंधी द्वारा तैयार टीईएफआर)

उपरलिखित कुल नकदी बहिर्वाह ₹ 4,488 करोड़ में एक्सप्रेसवे के लिये एवं विकास के लिये भूमि की लागत और यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत एवं अन्य आकास्मिक व्यय शामिल थे जो कि ''जहाँ है जैसा है'' के आधार पर बिक्रीत भूमि से प्राप्त नकदी अंतर्वाह ₹ 5,125 करोड़ से पूरा होना था। इस प्रकार, रियायती अनुबन्धी ने अपने द्वारा प्रक्षेपित नकदी बहिर्वाह एवं अंतर्वाह के आधार पर, विकास हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि की बिक्री से यमुना एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत को पूरा करने एवं अपने निवेश पर 26 प्रतिशत आकर्षक आईआरआर कमाने का प्रस्ताव दिया।

---

36 उ0प्र0 शासन द्वारा बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत 15 प्रतिशत (मार्च 2009 तक 14 प्रतिशत एवं अप्रैल 2009 से 15.5 प्रतिशत का औसत)

37 (i) एक्सप्रेसवे के बगल में नगर क्षेत्र का विकास, यातायात के बैकल्पिक साधन, यात्रा के मितव्ययी साधनों का विकास एक्सप्रेसवे पर यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते है। (ii) टोल बचाने के लिए लोगों द्वारा एक्सप्रेसवे का प्रयोग करने के स्थान पर अन्य मार्गो का प्रयोग करने की प्रवृत्ति (iii) ताज इकोनामिक जोन एवं ताज अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डे की वजह से यातायात को पूर्णतः संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है, (iv) मार्गो/राजमार्गो के विद्यमान तत्रों से यातायात को एक्सप्रेसवे पर स्थानान्तरण का सही अनुमान नही लगाया जा सकता है, (v) संचालन एवं रख–रखाव भविष्य में खर्चीला हो सकता है।

हमने देखा कि आईआईडीडी/शासन ने रियायती अनुबन्धी द्वारा प्रस्तुत टीईएफआर के गुण/दोष का मूल्यांकन नहीं किया जिसमें वर्ष 2006–07 से 2011–12 के दौरान समस्त पाँच भू–खण्डों की 'जैसा है जहाँ है' के आधार पर बिक्री से नकदी अंतर्वाह ₹ 5,125 करोड़ दर्शाया गया था। हमने पाया कि टीईएफआर की तैयारी के समय अकेले नोयडा के भू–खण्ड का मूल्य ₹ 5,718.30 करोड़[38] थी। यदि अन्य सभी चार भू–खण्डों का मूल्य सर्किल दरों पर जोड़ा जाता है तो सारे भूखण्डों की बिक्री से कुल नकद अंतर्वाह बहुत अधिक होगा। अतः वास्तविक आईआरआर के 26 प्रतिशत के अनुमानित आईआरआर से अधिक होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। ये मत इस तथ्य द्वारा समर्थित है कि गौतम बुद्ध नगर में एसपीवी द्वारा अब तक बेची गई भूमि की हमारी नमूना जाँच[39] यह दर्शाती है कि विक्रय मूल्य भूमि की वर्तमान निर्धारित सर्किल दरों के समकक्ष है। टीईएफआर की तैयार करने की तारीख को अकेले नोएडा के भू–खण्ड का मूल्य ₹ 5,718.30 करोड़ टीईएफआर में अनुमानित परियोजना लागत ₹ 4,488 करोड़ को 26 प्रतिशत आईआरआर सहित पूरा करने में सक्षम था; अन्य चार भू–खण्डों का आवंटन रियायती अनुबन्धी को अतिरिक्त लाभ थे।

उच्च टोल दरों का निर्धारण

3.4.12 चूँकि रियायती अनुबन्धी द्वारा गणना किया गया संतोषजनक 26 प्रतिशत आईआरआर टोल संग्रहण के बिना था, टोल दरों को इस प्रकार निर्धारित किया जाना लोकहित में था जिससे रियायती अनुबंधी केवल संचालन एवं रखरखाव लागत को पूरा करने में सक्षम होता तथा यह सुनिश्चित किया जाता कि टोल संग्रहण रियायती अनुबंधी के लिए पहले से उच्च 26 प्रतिशत आईआरआर के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय लाभ का स्रोत न बन जाये।

आईआईडीडी/शासन को यद्यपि बिना टोल संग्रह के उच्च आईआरआर का ज्ञान था फिर भी ऐसी टोल दरों[40] का निर्धारण किया गया जो संचालन एवं रखरखाव खर्च घटाने के बाद भी रियायती अनुबंधी को 26 प्रतिशत आईआरआर के ऊपर एक अतिरिक्त आय प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप रियायती अनुबंधी अगस्त 2012 से जनवरी 2014 (एक वर्ष 6 माह) की अवधि के दौरान ₹ 118.46 करोड[41] की आय पहले ही अर्जित कर चुका है। यह धनराशि उसी अवधि के वास्तविक टोल संग्रह ₹ 167.49 करोड़ से वास्तविक संचालन एवं रखरखाव खर्च ₹ 49.03 करोड़ घटाकर है।

अतः केवल संचालन एवं रखरखाव लागत को पूरा करने के लिए टोल दरों के निर्धारण में आईआईडीडी/शासन द्वारा उचित कर्मठता की कमी से रियायती अनुबंधी को पहले

38

नोएडा में आवंटित भूमि		जुलाई 2006 से प्रभावी जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा जारी डीएम सर्किल दर (प्रति वर्ग मी0)	मूल्य (करोड़ ₹ में)	टिप्पणी
प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी0			
आवासीय	4788000	9000	4309.20	आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रफल मास्टर प्लान के आधार पर निकाला गया
वाणिज्यिक	201300	70000	1409.10	
कुल	**4989300 (498.93 हेक्टेयर)**		**5718.30**	

39 मिर्जापुर, गौतमबुद्ध नगर के भूखण्ड से 50–50 एकड़ के तीन भूखण्ड गौरसन्स रियलटेक को 2013 में सर्किल दर पर बेचे गये थे।

40

वाहन के प्रकार	जेवर पर टोल दर (0 किमी0 से 48 किमी0)	मथुरा पर टोल दर (48 किमी0 से 110 किमी0)	आगरा पर टोल दर (110 किमी0 से 164.3 किमी0)
कार	₹ 100	₹ 120	₹ 100
बस	₹ 300	₹ 400	₹ 350
एलसीवी	₹ 150	₹ 200	₹ 150
एचसीवी	₹ 300	₹ 400	₹ 350
एमएवी	₹ 450	₹ 600	₹ 550

41 अगस्त 2012 से मार्च 2013 तक के 8 महीनों के दौरान टोल संग्रह ₹ 58.78 करोड़ से घटाया ओएण्डएम लागत ₹ 18.76 करोड़ = ₹ 40.02 करोड़ एवं अप्रैल 2013 से जनवरी 2014 तक के दस महीनों के दौरान टोल संग्रह ₹ 108.71 करोड़ से घटाया ओएण्डएम लागत ₹ 30.27 करोड़ = ₹ 78.44 करोड़ टोल संग्रहण अधिकार से कुल उपार्जित अतिरिक्त लाभ ₹ 40.02 करोड़ में जोड़ा ₹ 78.44 कुल = ₹ 118.46 करोड़।

से प्राप्त 26 प्रतिशत उच्च आईआरआर के ऊपर टोल संग्रहण के रूप में अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

आईआईडीडी/शासन ने इस विषय पर कोई उत्तर नहीं दिया।

अन्य रियायतें

अधिसूचना से पूर्व स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान किया जाना

3.4.13 सचिव, आईआईडीडी ने येडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रियायती अनुबंधी को आवंटित भूमि के निबन्धन पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान से मुक्त करने उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति की सूचना (28 फरवरी 2003) दी। उक्त पत्र के आधार पर संबंधित उपनिबन्धकों द्वारा फरवरी 2003 से जुलाई 2003 के मध्य 241.5123 हेक्टेयर भूमि[42] के निबन्धन पर ₹ 9.98 करोड[43] की स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की गयी। स्टाम्प शुल्क की यह छूट अनियमित थी क्योंकि शासन स्टाम्प शुल्क की छूट भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9[44] के अंर्तगत केवल अधिसूचना के द्वारा ही प्रदान कर सकता है जो कि निबन्धन की तिथि तक जारी नहीं की गयी थी।

तत्पश्चात, उत्तर प्रदेश शासन ने ₹ 750 करोड़ या अधिक की परियोजनाओं, जो लोकहित में हो तथा परियोजना को वित्तीय रूप से जीवन्त बनाने हेतु छूट आवश्यक हो, में भूमि के अंतरण पर प्रभारित स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करने हेतु अधिसूचना (13 फरवरी 2003 के पूर्वगामी प्रभाव से) निर्गत (17 नवम्बर 2007) की। तत्पश्चात् सचिव, आईआईडीडी, उत्तर प्रदेश शासन ने यह प्रमाणित[45] किया (नवम्बर 2007) कि परियोजना नवम्बर 2007 की अधिसूचना से आच्छादित है तथा पट्टा विलेख के निबन्धन पर स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की जाये।

उपर्युक्त अधिसूचना तथा आदेश के आधार पर संबंधित उप–निबन्धकों ने रियायती अनुबंधी को व्यावसायिक, मनोरंजन, ओद्यौगिक, संस्थागत तथा आवासीय विकास हेतु, आवंटित भूमि के निबन्धन पर स्टाम्प शुल्क आरोपित नहीं किया।

हमने यह पाया कि निविदा प्रपत्र तथा रियायती अनुबंध के शर्तों में स्टाम्प शुल्क की छूट प्राविधानित नहीं थी, अतः रियायती अनुबंधी ने अपनी निविदा इस छूट के बिना ही दी होगी अतः इस रियायत का निविदा बाद दिया जाना रियायती अनुबंधी को अनुचित लाभ था।

आईआईडीडी/शासन ने बताया (जनवरी 2014) कि ₹ 750 करोड़ या अधिक के वृहत विकास परियोजनाओं को स्टाम्प शुल्क की छूट की सैद्धान्तिक सहमति फरवरी 2003 में दी जा चुकी थी। यह छूट शासन के उपरोक्त नीतिगत निर्णय के अनुसार दी गयी थी।

हमें उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नवम्बर 2007 की अधिसूचना के आधार पर स्टाम्प शुल्क की छूट परियोजना को वित्तीय रूप से जीवन्त बनाये जाने हेतु आवश्यक होने पर ही दी जानी थी। यह पीपीपी परियोजना 26 प्रतिशत का आईआरआर दे रही थी अतः पूर्व में ही वित्तीय रूप से जीवन्त थी। इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र में स्टाम्प शुल्क छूट की कोई शर्त नहीं थी तथा इस प्रकार की पहले से ही वित्तीय जीवन्त परियोजना को इस रियायत की कार्योत्तर स्वीकृत दिया जाना अनुचित लाभ था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 के अंर्तगत अधिसूचना के जारी होने के पूर्व भूमि के अन्तरण के निबन्धन पर दी जाने वाली स्टाम्प शुल्क से छूट पूर्णतः अनियमित थी।

---

42 नोएडा में फरवरी 2003 से जुलाई 2003 तक आवंटित।

43 अधिग्रहण लागत ₹ 124.77 करोड़ पर 8 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क।

44 शुल्क को घटाने, माफ करने या प्रशमन करने की शक्ति–सरकारी गजट में प्रकाशित नियम या आदेश से सरकार अपने प्रशासनाधीन सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में किन्हीं विलेखों या किसी विशेष वर्ग के विलेखों, या उस वर्ग में आने वाले किन्हीं विलेखों या ऐसे विलेखों को जो किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा, या उसके पक्ष में या ऐसे वर्ग के किन्हीं सदस्यों द्वारा, या उनके पक्ष में निष्पादित किये गये हों, पर प्रभार शुल्क को पूर्वगामी या अनुगामी प्रभाव से घटा या माफ कर सकती है।

45 पत्र संख्या 4363/77–4–07–227एन/07 दिनांक 28 नवम्बर 2007 द्वारा।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

3.5 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण सेस की कटौती न करना

ठेकेदारों के बिलों से ₹ 3.35 करोड़ की कटौती करने में विकास प्राधिकरण असफल रहे।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के रोजगार एवं सेवा की शर्तो का विनियमन करने और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण कार्यो के लिए एवं उनसे सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक कार्यो के लिए, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम) बनाया गया था। जीओआई द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस अधिनियम, 1996 (सेस अधिनियम) बनाया गया जिसके अनुसार निर्माताओं द्वारा किये गये निर्माण की लागत पर सेस[46] लगाने और उनका संग्रहण करना है। भारत सरकार द्वारा सेस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण सेस नियम, 1998 (सेस नियम) भी बनाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियमों एवं नियमों को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2009[47] (नियमावली) को अधिसूचित (फरवरी 2009)[48] किया गया। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 18 के अधीन, उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) का गठन (नवम्बर 2009)[49] किया है।

सेस नियमावली के नियम 4(3) के अनुसार, जहाँ किसी सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के भवन और अन्य निर्माण कार्य पर सेस भारित हैं, उस सरकार या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा ऐसे कार्यो के लिए भुगतान किए गये बिलों में से अधिसूचित दर से देय सेस की कटौती की जायेगी। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया (फरवरी 2010)[50] कि सेस की राशि बिलों में से काटी जायेगी और कल्याण बोर्ड के पास जमा की जायेगी, उसी तरह जैसे आयकर की कटौती स्रोत पर की जाती है।

हमने पाया कि:

- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा भवन और सन्निर्माण कार्यो के लिए मार्च 2009 से अगस्त 2010 के मध्य 10 अनुबन्ध किये गये और मार्च 2013 तक उक्त अनुबन्धों के विरुद्ध ₹ 327.91 करोड़ का भुगतान किया गया। फिर भी, जीडीए द्वारा ₹ 3.28 करोड़ की सेस की राशि की कटौती ठेकेदारों **(परिशिष्ट–28)** के बिलों में नहीं की गयी और ₹ 2.76 करोड़[51] की सेस अपने स्रोत से जमा (मार्च 2014 तक) कराया गया (₹ 1.92 करोड़ लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने के बाद जमा किया गया)।

  जीडीए द्वारा बताया (दिसम्बर 2013) गया कि ठेकेदारों के बिलों में सेस की कटौती नहीं की गयी, क्योकि अनुबन्ध करते समय उसमें यह नहीं बताया गया था कि सेस का भुगतान ठेकेदारों के द्वारा किया जायेगा।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेस अधिनियम और सेस नियम राज्य में फरवरी 2009 से ही लागू है। इस प्रकार, सभी अनुबन्धों में सेस की कटौती के लिए उचित उपवाक्य को सम्मिलित करना जीडीए का कर्तव्य था।

---

46 ऐसी दर पर जो दो प्रतिशत से ज्यादा न हो, लेकिन एक प्रतिशत से कम न हो।
47 अधिसूचना संख्या 143/36–2–2009–251 (एस एम)/95 दिनांक 4 फरवरी 2009।
48 अधिनियम की धारा 62 के साथ पठित धारा 40 द्वारा निहित शक्तियों का उपयोग करके बनाया गया।
49 अधिसूचना संख्या 1411/36–2–2009–251 (एस एम)/95 दिनांक 20 नवम्बर 2009।
50 आदेश संख्या–392/36–2/2010 दिनांक 26 फरवरी 2010।
51 सितम्बर 2011 – ₹ 15.99 लाख, दिसम्बर 2011 – ₹ 68.34 लाख और सितम्बर 2013 –'₹ 192.16 लाख।

अतः ठेकेदारों के बिलों में से सेस की कटौती किये बिना अपने स्रोत से सेस जमा करना सेस अधिनियम और सेस नियम के प्रावधानों का न केवल अपालन परिणामित हुआ बल्कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ एवं जीडीए को ₹ 2.76 करोड़ की हानि हुई इसके अतिरिक्त कम जमा किये गये सेस की राशि पर जीडीए सेस अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत ₹ 0.52 करोड़[52] के ब्याज एवं पेनाल्टी का उत्तरदायी हो गया।

- कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) द्वारा भवन और सन्निर्माण कार्यो के लिए फरवरी 2009 से जून 2010 के बीच पाँच अनुबन्ध किये गये थे और मार्च 2013 तक उक्त अनुबन्धों के विरुद्ध ₹ 10.12 करोड़ का भुगतान किया गया लेकिन ठेकेदारों के बिलों से ₹ 10.12 लाख की कटौती नहीं की गयी **(परिशिष्ट–28)**।

  ऑडिट द्वारा यह इंगित करने पर केडीए के द्वारा तीन अनुबन्धों से सम्बन्धित ₹ 3.29 लाख[53] सेस की राशि ठेकेदारों के बिलों से कटौती करके जमा कराया गया (सितम्बर 2013 से दिसम्बर 2013)। शेष दो अनुबन्धों के सम्बन्ध में सेस के ₹ 6.83 लाख की कटौती न करने के सम्बन्ध में केडीए द्वारा बताया गया (अक्टूबर 2013) कि उक्त अनुबन्ध उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना दिनांक 20 सितम्बर 2009 के पहले किये गये थे अतः सेस की कटौती नहीं की गयी।

  उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेस अधिनियम एवं सेस नियमावली राज्य में लागू किये जाने की अधिसूचना 4 फरवरी 2009 को जारी की गयी थी और न कि 20 सितम्बर 2009 को, अतः 4 फरवरी 2009 के बाद किये गये सभी अनुबन्धों के सम्बन्ध में ठेकेदारों के बिलों से सेस की कटौती की जानी थी।

  इस प्रकार केडीए द्वारा ठेकेदारों के बिलों से सेस की राशि कटौती न करने से न केवल सेस अधिनियम एवं सेस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ बल्कि सेस की राशि से ठेकेदारों को अनुचित लाभ भी दिया गया। इसके अलावा, कम जमा की गयी सेस की धनराशि पर केडीए सेस अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के अन्तर्गत ₹ 6.83 लाख[54] के ब्याज एवं पेनाल्टी का उत्तरदायी हो गया।

प्रकरण शासन को जून 2013 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित है (फरवरी 2014)।

3.6 शासकीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रणालीगत चूक

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बच्चों के शुल्क में रियायत तथा आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विकसित करने हेतु ठोस कदम उठाने में विकास प्राधिकरण असफल रहे।

उत्तर प्रदेश शासन (जीओयूपी) ने आदेश (अप्रैल 1996) दिया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (परिषद) तथा विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) शैक्षणिक संस्थानों को रियायती दरों[55] पर भूखण्ड आवंटित करेंगे। लोक हित में, जीओयूपी ने आगे यह आदेशित (जून 2009) किया कि ऐसे शैक्षणिक संस्थानों, जिनको परिषद या प्राधिकरण की योजनाओं में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटित किये गये अथवा आवंटित किये जा रहे है, के लिए यह अनिवार्य होगा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले समाज के समस्त वर्गों के परिवारों के बच्चों को 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित करते हुए

---

52 देय सेस – ₹ 3.28 करोड़ (ठेकेदार को भुगतान का एक प्रतिशत) घटाया जमा सेस – ₹ 2.76 करोड़ = ₹ 0.52 करोड़।

53 सितम्बर 2013 – ₹ 1.41 लाख, अक्टूबर 2013 – ₹ 1.86 लाख और दिसम्बर 2013 – ₹ 0.02 लाख।

54 देय सेस – ₹ 10.12 लाख (ठेकेदारों को भुगतान का एक प्रतिशत) घटाया जमा सेस – ₹ 3.29 लाख = ₹ 6.83 लाख।

55 प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री/व्यावसायिक कॉलेजों के लिए सेक्टर दर के क्रमशः 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत पर।

दाखिला करें तथा उनको कुल शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत को अनुमन्य करें। परिषद एवं प्राधिकरण से उपरोक्त प्रणाली का ठोस अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा थी।

हमने प्राधिकरणों[56] के लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को 51 भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित (1999 से 2010) किये और कुल रियायत ₹ 83.54 करोड़ प्रदान की जिसका विवरण निम्न सारिणी में है:

सारणी 3.4: शैक्षणिक संस्थानों को आवंटित भूखण्डों का विवरण

क्रम संख्या	प्राधिकरण का नाम	अवधि	शैक्षणिक संस्थानों की संख्या जिन्हें रियायती दरों पर भूखण्ड आवंटित किया गया	प्रदान की गई रियायती धनराशि (करोड़ ₹ में)
1.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए)	2007 से 2010	22	44.62
2.	कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए)	1999 से 2010	12	17.11
3.	आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए)	2007 से 2010	17	21.81
योग			**51**	**83.54**

शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक संस्थान वंचित वर्ग के छात्रों के दाखिले में आरक्षण तथा शुल्क में रियायत से सम्बन्धित शर्तों का पालन कर रहे हैं, को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था कि प्राधिकरण एक उपयुक्त प्रणाली विकसित करें।

प्राधिकरणों ने, ठोस उपाय करने तथा शासनादेशों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हेतु उचित प्रणाली विकसित करने के बजाय केवल निम्नलिखित उपाय किये:

- स्कूल गेट पर शासनादेश के प्रावधानों को प्रदर्शित करने के लिए स्कूलों को निर्देश जारी किए; तथा
- शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शासनादेशों के प्रावधानों का अनुपालन के लिए आवश्यक उपबन्ध को आवंटन पत्रों/विक्रय अनुबन्धों में समाहित किये।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित करने पर:

- जीडीए ने कहा (सितम्बर 2013) कि शैक्षणिक संस्थानों को, समय–समय पर, शासनादेशों के प्रावधानों के अनुपालन करने हेतु नोटिसें जारी की गई हैं; समय–समय पर निरीक्षण भी किया गया है; यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो इस पर कार्यवाही की जाती है तथा शिकायतों का निस्तारण किया जाता है तथा शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान किये गये आरक्षणों एवं रियायतों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किये गये हैं।
- केडीए ने, शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु एक समिति गठित (जनवरी 2014) की, जो एक त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी जिसपर केडीए द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्राधिकरणों का उत्तर हमारे प्रेक्षण की पुष्टि करता है कि उन्होंने केवल संयोगिक उपाय किये और शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई उचित एवं नियमित प्रणाली विकसित नहीं की, क्योंकि निरीक्षण करने तथा कार्यवाही करने के कोई परिणाम उपलब्ध नहीं कराये गये।

[56] गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण तथा कानपुर विकास प्राधिकरण।

प्रकरण शासन एवं प्रबन्धन को अगस्त 2013 में प्रतिवेदित किया गया; शासन एवं एडीए के उत्तर प्राप्त नहीं हुए (फरवरी 2014)।

योजना के सामाजिक उद्देश्य के कारण हम अनुशंसा करते है कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक संस्थान जिन्हें रियायती दर पर भूमि उपलब्ध करायी गयी है वे शासनादेशों का नियमित एवं कड़ाई से अनुपालन करें। इसके लिए प्राधिकरणों को एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे समय–समय पर उपलब्ध सीटों की कुल संख्या, लाभार्थी वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटें, ऐसे आरक्षण के विरुद्ध स्कूलों द्वारा दाखिला किये गये बच्चों की कुल संख्या तथा ऐसे बच्चों को शुल्क में प्रदान की गई रियायत से सम्बन्धित सूचना प्राप्त हो, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की सत्यता सत्यापित करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों के अभिलेखों का निरीक्षण हो एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की जाए।

लखनऊ
दिनांक

(स्मिता एस. चौधरी)
महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट–1

(प्रस्तर 1.8.2 में सन्दर्भित)

अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा प्रस्तरों के विवरणों को प्रदर्शित करती हुई विवरणी

क्रम संख्या	विभाग का नाम	30 सितम्बर 2013 तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (31 मार्च 2013 तक निर्गत)	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष जब से प्रस्तर अनिस्तारित हैं	सितम्बर 2013 की समाप्ति पर पाँच वर्षो से अधिक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	सितम्बर 2013 की समाप्ति पर पाँच वर्षो से अधिक अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आवास एवं शहरी नियोजन	88	681	2008-09	--	--
2.	औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास	72	165	2007-08	5	7
3.	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	--	--	--	--	--
4.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	--	--	--	--	--
5.	वन	1054	3204	2004-05	530	1348
6.	ऊर्जा	1	1	2012-13	--	--
7.	सहकारिता	25	20	2007-08	1	1
8.	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	42	92	2008-09	--	--
9.	पर्यटन	8	31	2007-08	1	5
10.	पर्यावरण	4	20	2008-09	--	--
11.	खादी एवं ग्रामोद्योग	4	26	2008-09	--	--
12.	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	20	65	2008-09	--	--
13.	दुग्धशाला विकास	64	209	2008-09	--	--
14.	विज्ञान एवं प्रौघोगिकी	4	28	2008-09	--	--
15.	नागरिक उड्डयन	5	18	2008-09	--	--
16.	मद्य निषेध	3	4	2008-09	--	--
17.	राजस्व (कलेक्ट्रट के अतिरिक्त)	22	41	2007-08	2	5
18.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/ गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत	4	32	2009-10	--	--
योग		**1420**	**4637**		**539**	**1366**

परिशिष्ट–2

(प्रस्तर 2.1.13 में सन्दर्भित)

प्रभागों द्वारा संग्रहित धनराशि का विवरण

(धनराशि ₹ में)

वर्ष	एकत्रित धनराशि						
	क्षतिपूरक वनीकरण	निवल वर्तमान मूल्य	अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण	दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण	जलग्रह क्षेत्र उपचार	अन्य	कुल
2002	1498400	197800	--	--	--	--	1696200
2003	2730350	10452256	--	734600	--	--	13917206
2004	13997219	41441535	--	--	--	--	55438754
2005	197329267	289085300	--	--	--	--	486414567
2006	310253283	436771070	--	--	--	1503960	748528313
2007	189899583	532495585	3751641	--	--	646577758	1372724567
2008	87477403	199368376	--	--	853000	113158	287811937
2009	134657372	133508694	962153	2950966	--	2634750	274713935
2010	93710996	112215697	666064	--	--	222800	206815557
2011	142262398	567772276	838900	282400	1683000	892600	713731574
2012	55420369	53053416	822047	17745	984000	994400	111291977
योग	**1229236640**	**2376362005**	**7040805**	**3985711**	**3520000**	**652939426**	**4273084587**

परिशिष्ट– 3

(प्रस्तर 2.1.15 में संदर्भित)

प्रभागों द्वारा उ0प्र0 राज्य कैम्पा को धनराशि प्रेषित करने में विलम्ब का विवरण

क्रम संख्या	एजेन्सी का नाम	मामलों की संख्या	वसूल की गयी धनराशि	विलम्ब (दिनों में)
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	02	969300	211-576
2.	भारती एअरटेल लिमिटेड	08	6519605	17-470
3.	भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	02	124636	129
4.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	02	3601000	17
5.	भारत संचार निगम लिमिटेड	04	2443160	13-104
6.	गेल इण्डिया लिमिटेड	05	1669608	5-152
7.	ग्रीन गैस लिमिटेड	03	1047900	43-207
8.	जीआरएस होटल	03	285233	16
9.	हिण्डालको	01	1344300	253
10.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	04	303484	16-177
11.	हच	08	7401020	14-120
12.	आईडिया टेली सर्विसेज	01	339480	78
13.	भारतीय सेना	02	102456503	62-82
14.	भारतीय रेल	09	25741842	2-556
15.	इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन	05	159554	53-289
16.	सिंचाई विभाग	20	88197620	5-805
17.	लेन्को इन्फ्राटेक लिमिटेड	04	5078799	3-13
18.	मेरठ विकास प्राधिकरण	02	1422145	110
19.	नॉर्दन कोलफील्ड लिमिटेड	03	61894752	202
20.	नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इण्डिया	30	322801333	4-556
21.	एनआरएल	01	17100	17
22.	नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन	01	258067360	129
23.	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	39	54800266	2-556
24.	रिलायंस	03	39453	103-277
25.	आरईएस	01	71100	22
26.	एसजेपी ग्लोबल	02	228100	81
27.	टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड	08	4993400	38-182
28.	यू पी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	02	1932000	18-23
29.	उत्तर प्रदेश जल निगम	05	4901560	35-154
30.	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड	17	50906291	1-205
31.	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	39	82862398	4-360
32.	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	02	1842560	184
योग		**238**	**1094462862**	

परिशिष्ट– 4

(प्रस्तर 2.1.15 में संदर्भित)

उ0प्र0 राज्य कैम्पा द्वारा तदर्थ कैम्पा को धनराशि प्रेषित करने में विलम्ब का विवरण

क्रम संख्या	एजेन्सी का नाम	मामलों की संख्या	वसूल की गयी धनराशि	विलम्ब (दिनों में)
1.	अडानी एस्लोजी लिमिटेड	01	1525788	14
2.	एयरसेल डिजीलिन्क इण्डिया लिमिटेड	01	92000	36
3.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	01	613859	11
4.	भारती एयरटेल लिमिटेड	04	3068710	2-18
5.	बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड	03	861409	11-23
6.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	07	1347729	10-44
7.	भारत संचार निगम लिमिटेड	01	278300	18
8.	डीएसएनएन रिटेल आउटलेट	01	95613	37
9.	एस्सार ऑयल लिमिटेड	01	366858	16
10.	गेल इण्डिया लिमिटेड	16	22703156	1-140
11.	जीडीए	01	3212600	9
12.	ग्रीन गैस लिमिटेड	01	992000	68
13.	हाई–टेक कार्बन	03	20850174	7-15
14.	हिन्डाल्को इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	02	19906520	16-35
15.	हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज	01	1338700	28
16.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	17	9635999	2-140
17.	आईबीपीसीएल	06	2699316	1-50
18.	आइडिया लिमिटेड	05	2677356	13-63
19.	भारतीय सेना	02	14981783	17-20
20.	इण्डियन ऑयल कारपोरेशन	36	46474425	1-394
21.	इण्डियन रेलवे	12	122778043	1-378
22.	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	02	1416843	25-37
23.	इण्टरनेशनल कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग	02	1580172	16
24.	सिंचाई विभाग	06	16296843	9-48
25.	एनए	03	4935565	12-14
26.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	90	397005053	1-303
27.	पौथोली रिटेल आउटलेट	01	83132	42
28.	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	17	17578589	5-389
29.	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग	39	44250270	1-177
30.	राजीव गाँधी साउथ कैम्पस	01	357402	35
31.	आरएलएन	01	2944768	42
32.	सहजवा गैस स्टील प्लान्ट	02	551400	132
33.	सौम्या इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	01	1497000	46
34.	सशस्त्र सीमा बल	05	53658520	3-46
35.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	02	2771200	28-29
36.	यूपी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	05	7615058	5-135
37.	उत्तर प्रदेश जल निगम	25	54737201	4-46
38.	उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड	88	410682671	2-235
39.	पशु चिकित्सालय	01	50000	32
40.	वोडाफोन एस्सार डिजीलिन्क लिमिटेड	03	3847256	18-139
41.	यमुना एक्सप्रेसवे	03	6308318	48-97
योग		**419**	**1304667599**	

परिशिष्ट– 5

(प्रस्तर 2.1.16 में संदर्भित)

वार्षिक प्रचालन योजना के अनुमोदन के बिना अवध वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण राशि के उपयोग का विवरण

(धनराशि ₹ में)

परियोजना का नाम	अनुमोदन की तिथि	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षतिपूरक वनीकरण की राशि		
			प्राप्त	व्यय	अवशेष
लखनऊ–कानपुर राजमार्ग संख्या–25 का चौड़ीकरण (7.9 किमी से 11.38 किमी)।	08 बी/यू पी/06/03/2004/एफ सी/7551 दिनांक 22-08-2005	2.030	3515934	652934	2863000
लखनऊ–कानपुर मार्ग (12.5 किमी से 15.00 किमी) पर गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अन्डरग्राउन्ड गैस पाईपलाईन बिछाना।	08 बी/यू पी/109/56/2004/एफ सी/979 दिनांक 10-11-2004	0.200	75942	75942	--
लखनऊ–फैजाबाद राजमार्ग संख्या–28 का चौड़ीकरण (8.25 किमी से 16.70 किमी)।	08 बी/यू पी/06/68/2004/ एफ सी/1020 दिनांक 19-11-2004	16.430	3737885	12400	3725485
लखनऊ–कानपुर राजमार्ग संख्या–25 का चौड़ीकरण (7.9 किमी से 11.38 किमी)।	08 बी/यू पी/06/28/2006/एफ सी/311 दिनांक 02-06-2006	0.414	770720	528120	242600
योग		**19.074**	**8100481**	**1269396**	**6831085**

परिशिष्ठ -6

(प्रस्तर 2.1.18 में सन्दर्भित)

10 मीटर चौड़ी पट्टी के समतुल्य भूमि के मूल्य को दर्शाने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिलों के नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वीकृत होने का दिनांक	सर्किल दर प्रति हेक्टेयर	भूमि का मूल्य
1.	लखनऊ	28	8.45	22.11.2004	500000	4225000
2.	बाराबंकी	28	76.30	19.11.2004	440000	33572000
3.	फैजाबाद	28	31.00	22.11.2004	450000	13950000
4.	बस्ती	28	97.20	13.05.2005	2471053	240186352
5.	गोरखपुर	28	46.80	22.11.2004	741316	34693589
6.	गोण्डा	28	0.90	19.11.2004	625000	562500
7.	कुशीनगर	28	81.12	22.11.2004	1235500	100223760
8.	सीतापुर	25	51.40	2005.06	395360	20321504
9.	उरई	25	71.40	2006.07	200000	14280000
10.	कानपुर	25	3.70	2.3.2006	650000	2405000
11.	मेरठ	58	18.69	5.6.2007	800000	14952000
12.	मेरठ	58	19.05	12.7.2006	800000	15240000
13.	जे पी नगर	24	89.00	2006	741300	8154300
14.	जे पी नगर	24	40.30	2005	741300	29874390
15.	उन्नाव	25	17.00	2006	500000	8500000
			652.31			**541140395**

परिशिष्ट– 7

(प्रस्तर 2.1.19 में संदर्भित)

निवल वर्तमान मूल्य की अधिक वसूली को दर्शाने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

प्रभाग का नाम	प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम	विपथित वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमि की श्रेणी/छत्र सघनता	एनपीवी वसूली के लिए लागू दर	रोपित दर	अधिक वसूली
बहराईच	उत्तर पूर्व रेलवे	4.29	खुली श्रेणी - III	626000	920000	1261260
नजीबाबाद	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया	20.57	0.4 से कम	750000	920000	3496900
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	0.06	0.1 से 0.2	750000	920000	10200
बाराबंकी	उत्तर पूर्व रेलवे	11.19	खुली श्रेणी - III	626000	920000	3289860
योग						**8058220**

परिशिष्ट– 8

(प्रस्तर 2.1.21 में संदर्भित)

एकत्रित निधि के संयोजन के बिना निधि के आवंटन का विवरण

(लाख ₹ में)

प्रभाग का नाम	प्राप्त क्षतिपूरक वनीकरण निधि	आवंटित क्षतिपूरक वनीकरण निधि			आवंटित निधि प्राप्त निधि के प्रतिशत में
		2009-10	2010-11	योग	
आगरा	597.03	35.78	49.52	85.3	14.29
अलीगढ़	226.17	7.21	5.25	12.46	5.51
इलाहाबाद	117.83	96.21	19.27	115.48	98.01
अवध	356.65	101.99	--	101.99	28.60
बहराईच	37.47	--	2.94	2.94	7.85
बाँदा	176.66	84.09	40.38	124.47	70.46
बाराबंकी	349.35	102.17	--	102.17	29.25
बस्ती	1135.57	670.47	149.84	820.31	72.24
बुलंदशहर	535.67	4.17	9.74	13.91	2.60
चित्रकूट	62.99	8.04	2.58	10.62	16.86
इटावा	75.58	30.53	21.43	51.96	68.75
फैजाबाद	257.75	148.55	100.23	248.78	96.52
फतेहपुर	5.09	96.78	0.06	96.84	1902.55
फिरोजाबाद	29.17	28.33	20.67	49	167.98
गाजियाबाद	525.22	--	33.06	33.06	6.29
गोन्डा	63.97	--	5.75	5.75	8.99
गोरखपुर	381.38	240.39	45.34	285.73	74.92
जे पी नगर	246.28	--	21.62	21.62	8.78
झांसी	718.66	--	95.28	95.28	13.26
कैमूर वाईल्डलाईफ डिवीजन	179.24	--	2.45	2.45	1.37
कानपुर	65.59	--	14.08	14.08	21.47
कुशीनगर, पडरौना	350.27	--	23.22	23.22	6.63
ललितपुर	683.05	--	42.65	42.65	6.24
मथुरा	156.06	22.43	3.69	26.12	16.74
मेरठ	462.68	--	19.3	19.30	4.17
मिर्जापुर	118.3	--	3.35	3.35	2.83
मुजफ्फरनगर	396.4	132.08	70.74	202.82	51.17
नजीबाबाद	191.48	6.92	7.01	13.93	7.27
ओबरा	354.93	3.71	21.23	24.94	7.03
उरई	388.23	--	32.78	32.78	8.44
रायबरेली	114.43	18.39	19.25	37.64	32.89
रेनुकूट	774.07	2.39	16.27	18.66	2.41
सहारनपुर	1032.87	0.16	10.09	10.25	0.99
शाहजहाँपुर	581.27	--	5.95	5.95	1.02
श्रावस्ती	12.45	3.2	3.2	6.40	51.41
सीतापुर	498.88	147.82	172.77	320.59	64.26
उन्नाव	18.34	1.32	15.39	16.71	91.11

परिशिष्ट–9

(प्रस्तर संख्या 2.2.3 में संदर्भित)

विभागवार स्वीकृत लागत एवं कार्यदायी संस्थावार कोषों का आवंटन को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

स्मारकों का नाम	विभागों[1] के नाम	स्वीकृत लागत		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य		अन्य संस्थाओं[2] द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्य	
		धनराशि	*प्रतिशत*	धनराशि	*प्रतिशत*	धनराशि	*प्रतिशत*
समाजिक परिवर्तन स्थल	आवास विभाग	1171.48	85.97	1171.48	100.00	.	.
	संस्कृति विभाग	191.14	14.03	191.14	100.00	.	.
योग		**1362.62**	**100.00**	**1362.62**	**100.00**	**.**	**.**
स्मारक स्थल	आवास विभाग	531.49	71.58	531.49	100.00	.	.
	संस्कृति विभाग	96.42	12.99	96.42	100.00	.	.
	लोक निर्माण विभाग	114.54	15.43	106.04	92.58	8.50	7.42
योग		**742.45**	**100.00**	**733.95**	**98.86**	**8.50**	**1.14**
बौद्ध विहार	सिंचाई विभाग	448.83	97.84	405.79	90.41	43.04	9.59
	संस्कृति विभाग	9.93	2.16	9.93	100.00	.	.
योग		**458.76**	**100.00**	**415.72**	**90.62**	**43.04**	**9.38**
ईको गार्डन	आवास विभाग	1075.63	100.00	1063.74	98.89	11.89	1.11
योग		**1075.63**	**100.00**	**1063.74**	**98.89**	**11.89**	**1.11**
प्रेरणा स्थल	नोएडा	918.55	100.00	918.55	100.00	.	.
योग		**918.55**	**100.00**	**918.55**	**100.00**	**.**	**.**
महायोग		**4558.01**		**4494.58**	**98.61**	**63.43**	**1.39**

(स्रोत : विभागों एवं कार्यदायी संस्था के अभिलेखों से संकलित)

---

1 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग), संस्कृति विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा)।

2 लोक निर्माण विभाग : ₹ 45.60 करोड़ (स्मारक स्थल : ₹ 8.50 करोड़ ; बौद्ध विहार : ₹ 25.21 करोड़ ; और ईको गार्डन : ₹ 11.89 करोड़) ; सिंचाई विभाग : ₹ 3.07 करोड़ (बौद्ध विहार) ; उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड : ₹ 14.09 करोड़ (बौद्ध विहार) ; उ प्र जल निगम का कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज विंग : ₹ 0.67 करोड़ (बौद्ध विहार)।

परिशिष्ट–10

(प्रस्तर सं 2.2.9 में संदर्भित)

पीएफएडी/ईएफसी द्वारा प्राप्त एवं स्वीकृत प्राक्कलन को दर्शाने वाली विवरणी

(लाख ₹ में)

परियोजना का नाम	प्रशासकीय विभाग का नाम	क्रम संख्या	कार्य का नाम	पीएफएडी द्वारा प्राप्ति का दिनांक	बैठक का दिनांक/ईएफसी के अनुमोदन	विभाग को वापस करने का दिनांक	ईएफसी द्वारा स्वीकृत धनराशि
सामाजिक परिवर्तन स्थल	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग (आवास विभाग)	1	**सुदृढीकरण/नवीनीकरण और अतिरिक्त नये कार्य**	6 सितम्बर 2007	10 सितम्बर 2007	13 सितम्बर 2007	36682.81
		2[3]	प्रथम संशोधन	20 मार्च 2009	17 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009	38545.40
		3[4]	द्वितीय संशोधन	10 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	40463.32
		4	**12 अतिरिक्त कार्य**	7 दिसम्बर 2007	29 दिसम्बर 2007	31 दिसम्बर 2007	3871.86
			प्रथम संशोधन	20 मार्च 2009	17 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009	4068.97
			द्वितीय संशोधन	10 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	4272.42
		5	**स्क्रीन वॉल कार्य**	3 जनवरी 2008	22 जनवरी 2008	16 जनवरी 2008	1302.74
			प्रथम संशोधन	20 मार्च 2009	17 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009	1371.73
			द्वितीय संशोधन	10 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	1400.37
		6	**स्तूपा भवन कार्य**	3 मार्च 2008	13 मार्च 2008	17 मार्च 2008	20349.12
			प्रथम संशोधन	20 मार्च 2009	17 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009	21387.65
			द्वितीय संशोधन	10 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	22383.70
		7	**गैलरी भवन कार्य**	20 मार्च 2008	27 मार्च 2008	29 मार्च 2008	12172.81
			प्रथम संशोधन	20 मार्च 2009	17 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009	12860.90
			द्वितीय संशोधन	10 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	13268.53
		8	***स्टेप्स कार्य***	2 मई 2008	16 मई 2008	21 मई 2008	884.09
			प्रथम संशोधन	20 मार्च 2009	17 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009	929.22
			द्वितीय संशोधन	10 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	965.58
		9	***4* नयेकार्य**	3 सितम्बर 2008	19 सितम्बर 2008	1 अक्टूबर 2008	17692.87
			प्रथम संशोधन	20 मार्च 2009	17 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009	18863.98
			द्वितीय संशोधन	10 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	19511.31
		10	***7* नयेकार्य**	1 जनवरी 2009	2 जनवरी 2009	7 जनवरी 2009	13603.68
			प्रथम संशोधन	20 मार्च 2009	17 अप्रैल 2009	21 अप्रैल 2009	14298.00
			द्वितीय संशोधन	10 जून 2010	25 जून 2010	9 July 2010	14882.65
	संस्कृति विभाग	11	**परिवर्तन स्थल पर कला कार्य**	26 सितम्बर 2007	1 अक्टूबर 2007	4 अक्टूबर 2007	12435.46
		12	प्रथम संशोधन	9 अप्रैल 2008	25 अप्रैल 2008	29 अप्रैल 2008	11805.16
		13	***मुख्य स्मारक के प्रांगण में कला* कार्य**	21 जुलाई 2008	20 नवम्बर 2008	20 नवम्बर 2008	696.00
		14	**अतिरिक्त कला कार्य**	7 जनवरी 2009	9 जनवरी 2009	9 जनवरी 2009	5082.30
		15	**स्तूपा मूर्ति कला कार्य**	23 जून 2009	23 जून 2009	23 जून 2009	1530.21
स्मारक स्थल	आवास विभाग	16	**प्रमुख कार्य**	26 सितम्बर 2007	1 अक्टूबर 2007	4 अक्टूबर 2007	25417.16
		17	प्रथम संशोधन	1 जनवरी 2009	2 जनवरी 2009	7 जनवरी 2009	37306.59
		18	द्वितीय संशोधन	2 अप्रैल 2009	15 मई 2009	18 मई 2009	39287.15
			तृतीय संशोधन	3 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	41186.25
		19	**अतिरिक्त कार्य**	1 जनवरी 2009	2 जनवरी 2009	7 जनवरी 2009	7905.78
		20	प्रथम संशोधन	16 जुलाई 2009	22 जुलाई 2009	28 जुलाई 2009	11479.13
			द्वितीय संशोधन	3 जून 2010	25 जून 2010	9 जुलाई 2010	11962.37
	संस्कृति विभाग	21	**प्रथम प्राक्कलन**	3 अप्रैल 2008	25 अप्रैल 2008	25 अप्रैल 2008	3188.51
		22	प्रथम संशोधन	7 जनवरी 2009	9 जनवरी 2009	13 जनवरी 2009	5308.49
		23	द्वितीय संशोधन	23 जून 2009	23 जून 2009	23 जून 2009	1144.74
	लोक निर्माण विभाग	24	**प्रथम प्राक्कलन**	14 जनवरी 2008	14 जनवरी 2008	18 जनवरी 2008	3527.16
		25	प्रथम संशोधन	27 जनवरी 2009	6 फरवरी 2009	11 फरवरी 2009	11454.42
ईको गार्डन	आवास विभाग	26	**प्रथम प्राक्कलन**	15 सितम्बर 2009	16 सितम्बर 2009	16 सितम्बर 2009	15747.09
		27	प्रथम संशोधन	18 दिसम्बर r 2009	18 दिसम्बर 2009	21 दिसम्बर 2009	42464.87
		28	द्वितीय संशोधन	29 जून 2010	16 जुलाई 2010	23 जुलाई 2010	83406.87
		29	तृतीय संशोधन	14 जनवरी 2011	14 जनवरी 2011	19 जनवरी 2011	107562.50
बौद्ध विहार	सिंचाई विभाग	30	**प्रथम प्राक्कलन**	11 जनवरी 2008	14 जनवरी 2008	16 जनवरी 2008	8067.93
		31	प्रथम संशोधन	27 मई 2008	5 जून 2008	10 जून 2008	19307.26
		32	द्वितीय संशोधन	28 नवम्बर 2008	1 दिसम्बर 2008	2 दिसम्बर 2008	24708.10
		33	तृतीय संशोधन	1 जून 2009	15 जून 2009	19 जून 2009	25900.63
		34	चतुर्थ संशोधन	18 जनवरी 2009	31 जुलाई 2009	4 अगस्त 2009	27118.14
		35	पंचम संशोधन	11 सितम्बर 2009	20 अक्टूबर 2009	28 अक्टूबर 2009	36056.20
		36	षष्ट संशोधन	9 अप्रैल 2010	20 अप्रैल 2010	28 अप्रैल 2010	38552.70
		37	सप्तम संशोधन	11 नवम्बर 2010	24 नवम्बर 2010	14 दिसम्बर 2010	44883.48
	संस्कृति विभाग	38	**सांस्कृतिक कार्य**	7 जनवरी 2009	9 जनवरी 2009	13 जनवरी 2009	992.54

[3] सामाजिक परिवर्तन स्थल में आवास विभाग के सभी कार्यों के लिए प्रथम संशोधन (17 अप्रैल 2009) को एक आकलन माना गया क्योंकि यह सेन्टेज जारी करने पर किया गया था।

[4] सामाजिक परिवर्तन स्थल में आवास विभाग के सभी कार्यों का द्वितीय संशोधन, स्मारक स्थल में आवास विभाग के प्रमुख कार्य का तृतीय संशोधन और आवास विभाग के अतिरिक्त कार्यों की द्वितीय संशोधन (25 जून 2010) को एक आकलन माना गया क्योंकि यह गैर अनुसूचित आइट्मस पर पाँच प्रतिशत कटौती जारी करने पर किया गया था।

परिशिष्ट–11

(प्रस्तर सं 2.2.11 में संदर्भित)

ईए द्वारा अनुमोदित दरों के अनुपालन न करने के कारण ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

इकाई का नाम	अनुबंध		ठेकेदार का नाम	विवरण	निष्पादित मात्रा				ईए द्वारा अनुमोदित दर	अधिक भुगतान	वसूली	धनराशि जो वसूल की जानी है
	संख्या	दिनांक			मात्रा	इकाई	दर	धनराशि				
डब्लयूपीयू		2 अप्रैल 2009	टीपीएस इन्टरप्राईज़ेज	75 एमएम फर्श में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	290.71	घन फुट	1700	494207	1200	145355		145355
		15 जुलाई 2009	लखनऊ मार्बल्स	ग्रेनाइट बैन्च की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	483.68	घन फुट	6900	3337392	5200	822256		822256
		15 अक्टूबर 2008	राज कमल मार्बल्स	ड्रेन कवर में बंशी पहाड़पुर लाल की आपूर्ति व फिक्सिंग	580.70	घन फुट	2545	1477882	1925	360034		360034
		2 मार्च 2009	वैष्णव स्टोन प्रोडक्ट्स	मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति	4047.37	घन फुट	170	688053	150	80947		80947
इकाई-2ए		1 सितम्बर 2009	एसके मार्बल्स	गुलाबी मकराना संगमरमर पत्थर की आपर्ति एंव फिक्सिंग	362.10	घन फुट	16500	5974650	16300	72420		72420
		1 अप्रैल 2009	वैष्णव स्टोन प्रोडक्ट्स	मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति	4416.56	घन फुट	170	750815	150	88331		88331
इकाई - 15ए		3 जून 2009	एसके मार्बल्स	बेन्चों में आइवरी फैन्टेसी ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1060.60	घन फुट	7600	8060560	5200	2545440	742420	1803020
		24 फरवरी 2008	ए. कॉन्स्ट्रक्शन्स	वॉटर बॉडी की गोला गल्टा में ग्रेनाइट पत्थर की आपूर्ति एंव फिक्सिंग	136.03	घन फुट	7900	1074637	5600	312869		312869
भागीदारी भवन		9 अगस्त 2009	लखनऊ मार्बल्स	बेन्चों में आइवरी फैन्टेसी ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1096.27	घन फुट	7600	8331652	5200	2631048	767389	1863659
		3 अगस्त 2009	लखनऊ मार्बल्स	बेन्चों में आइवरी फैन्टेसी ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	315.35	घन फुट	6900	2175915	5200	536095		536095
		27 सितम्बर 2009	सुप्रीम बिल्डर्स	50 एमएम फ्लोरिंग में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	885.60	वर्ग मीटर	2150	1904040	1995	137268		137268
				850 एमएम ऊँचाई की जलेबी पैटर्न रेलिंग में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	233.90	रनिंग मीटर	15000	3508500	14250	175425		175425
				रेलिंग के आधार पत्थर में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1271.77	घन फुट	1700	2162009	1615	108100		108100
		25 सितम्बर 2009	कृष्णा इन्टरप्राईज़ेज	850 एमएम ऊँचाई की जलेबी पैटर्न रेलिंग में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	187.60	रनिंग मीटर	15000	2814000	14250	140700		140700
				रेलिंग के आधार पत्थर में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1059.98	घन फुट	1700	1801966	1615	90098		90098
		1 सितम्बर 2009	न्यू निर्माण कॉन्स्ट्रक्शन्स	क्लैडिंग में बंशी पहाड़पुर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	660.20	वर्ग मीटर	2100	1386420	1900	132040		132040
		21 अगस्त 2009	न्यू निर्माण कॉन्स्ट्रक्शन्स	क्लैडिंग में बंशी पहाड़पुर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	493.89	वर्ग मीटर	2100	1037169	1900	98778		98778
लेहिया इकाई–2		11 जुलाई 2008	एमएन एक्सप्रेस	गुलाबी बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर सामान्य नक्काशी की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	2393.76	घन फुट	3150	7540344	2545	1448225		1448225
	13बी/2008	18 जुलाई 2008	गायत्री ट्रेडर्स	एलिफेन्ट पेडेस्टल में अनुमोदित सेड की ग्रेनाइट पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	3007.00	घन फुट	7750	23304250	5500	6765750		6765750
	15ए/2008	3 दिसम्बर 2008	लखनऊ मार्बल्स इण्डस्ट्रीज	स्मारक के मुख्य गुम्बद और 25 मीटर ऊँचाई से अधिक के गुम्बद शिखर में क्लेडिंग के लिए बंशी पहाड़पुर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	2397.66	घन फुट	4950	11868417	4150	1918128		1918128
एमकेआरएसएस स्थल इकाई		28 नवम्बर 2008	गोयल सेनेट्री स्टोन	40 एमएम मोटी ग्रेनाइट फर्श की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	317.00	वर्ग मीटर	7300	2314100	6500	253600	65855	187745
एमकेआरएसएस (ईपी) इकाई		21 अगस्त 2008	गोयल मार्बो ग्रेनाइट	40 एमएम मोटी ग्रेनाइट फर्श की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1845.27	वर्ग मीटर	7300	13470471	6900	738108		738108
		11 नवम्बर 2008	विनायक माईन्स एण्ड मिनरल्स	40 एमएम मोटी ग्रेनाइट फर्श की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	10.00	वर्ग मीटर	7300	73000	6500	8000	4000	4000
		29 दिसम्बर 2008	सिंह एसोसिएट्स	क्लैडिंग में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की श्रम दर	413.88	घन फुट	1290	533905	1200	37249		37249
				कर्ब स्टोन में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की श्रम दर	182.25	घन फुट	1630	297068	1250	69255		69255
		13 मई 2009	प्रगति मार्बल्स	खम्भों में बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	122.89	घन फुट	3600	442404	2545	129649		129649
विद्युत इकाई–1		1 अप्रैल 2010	मोहम्मद खन्ना इन्टरप्राइजेज	अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी की आपूर्ति	6665.82	घन मीटर	240	1599797	195	299962		299962
		22 अगस्त 2009	मोहम्मद खन्ना इन्टरप्राइजेज	अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी की आपूर्ति	20362.29	घन मीटर	240	4886950	195	916303		916303
		8 अगस्त 2009	मोहम्मद खन्ना इन्टरप्राइजेज	अच्छी गुणवत्ता की मिट्टी की आपूर्ति	14660.46	घन मीटर	240	3518510	195	659721		659721
										21721154	**1579664**	**20141490**

परिशिष्ट-12

(प्रस्तर सं 2.2.11 में संदर्भित)

ठेकेदारों को दिए गए अनुचित लाभ के कारण अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

इकाई का नाम	अनुबंध		ठेकेदार का नाम	विवरण	वास्तविक निष्पादित की गई मात्रा	आवंटित दर	धनराशि	आवंटित की जाने वाली दर	अतिरिक्त भुगतान
	संख्या	दिनांक							
इकाई-2	40[5]	15 अक्टूबर 2008	इण्डिया स्टोन कम्पनी	मिर्जापुर बलुआ पत्थर के चहारदीवारी (गैर नक्कासी) के लिये श्रम दर	3179.60	1199.00	3812340.40	1050.00	473760.40
				मिर्जापुर बलुआ पत्थर के चहारदीवारी (नक्कासी) के लिये श्रम दर	3278.55	1739.00	5701398.45	1300.00	1439283.45
				मिर्जापुर बलुआ पत्थर कर्ब स्टोन के लिए श्रम दर	1721.91	1630.00	2806713.30	1250.00	654325.80
				मिर्जापुर बलुआ पत्थर फर्श के लिए श्रम दर	593.60	2250.00	1335600.00	1750.00	296800.00
	41	15 अक्टूबर 2008	चिनमय कॉन्स्ट्रक्शन्स	मिर्जापुर बलुआ पत्थर के चहारदीवारी (गैर नक्कासी) के लिये श्रम दर	1583.30	1199.00	1898376.70	1050.00	235911.70
	44	6 नवम्बर 2008	जेपी स्टोन इण्डस्ट्रीज	मिर्जापुर बलुआ पत्थर कर्ब स्टोन के लिए श्रम दर	807.63	1630.00	1316436.90	1250.00	306899.40
				मिर्जापुर बलुआ पत्थर फर्श के लिए श्रम दर	897.51	2250.00	2019397.50	1750.00	448755.00
				बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर फर्श की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1010.98	1950.00	1971411.00	1900.00	50549.00
	45	6 नवम्बर 2008	इण्डिया स्टोन कम्पनी	बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की क्लैडिंग की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	122.72	1925.00	236228.30	1900.00	3067.90
	46	6 नवम्बर 2008	इण्डिया स्टोन कम्पनी	मिर्जापुर बलुआ पत्थर कर्ब स्टोन के लिए श्रम दर	376.02	1630.00	612917.49	1250.00	142888.74
				मिर्जापुर बलुआ पत्थर फर्श के लिए श्रम दर	139.65	2250.00	314201.25	1750.00	69822.50
	48	28 नवम्बर 2008	जेपी स्टोन इण्डस्ट्रीज	बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर फर्श की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	373.23	1950.00	727798.50	1900.00	18661.50
				मिर्जापुर बलुआ पत्थर फर्श के लिए श्रम दर	600.63	2250.00	1351408.50	1750.00	300313.00
				मिर्जापुर बलुआ पत्थर कर्व स्टोन के लिए श्रम दर	94.01	1630.00	153229.78	1250.00	35722.28
	52	30 नवम्बर 2008	इण्डिया स्टोन कम्पनी	क्लैडिंग में बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	100.20	1925.00	192892.70	1900.00	2505.10
एसपीएलएम	3[6]	1 सितम्बर 2009	देवेश्वर इन्टरप्राईजेज	रेलिंग में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	595.00	15000.00	8925000.00	14250.00	446250.00
				आधार पत्थर में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	3358.65	1700.00	5709705.00	1615.00	285485.25
योग									**5211001.02**
घटाया : इण्डिया स्टोन कम्पनी के साथ दिनांक 15 अक्टूबर 2008 को किये गए अनुबन्ध संख्या 40 के विरूद्ध आंशिक रूप से वसूली गयी राशि।									**187249.00**
अधिक भुगतान									**5023752.00**

[5] इण्डिया स्टोन कम्पनी के साथ दिनांक 15 अक्टूबर 2008 को किये गए अनुबन्ध संख्या 40 में मिर्जापुर बलुआ पत्थर जाली के लिए श्रम दर ₹ 7,800 प्रति वर्ग मीटर दिया जाना था जो कि केवल ईए द्वारा 15 दिसम्बर 2008 को अनुमोदित किया गया था।

[6] न्यू निर्माण कॉन्स्ट्रक्शन्स के साथ दिनांक 1 सितम्बर 2009 को किए गए अनुबंध संख्या 2 में 850 एमएम ऊँची मिर्जापुर बलुआ पत्थर की रेलिंग की आपूर्ति एवं फिक्सिंग और रेलिंग के लिए मिर्जापुर बलुआ पत्थर के आधार पत्थर के लिए क्रमशः ₹ 14,250 प्रति रनिंग मीटर और ₹ 1,615 प्रति घन फुट दिया जाना था। ये दरें केवल ईए द्वारा 15 सितम्बर 2009 को अनुमोदित की गयी थी।

परिशिष्ट-13

(प्रस्तर सं 2.2.11 में संदर्भित)

पौधों की खरीद में दरों की भिन्नता के कारण किए गए अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

पौधों के नाम	आपूर्ति आदेश का दिनांक	मात्रा	दर	धनराशि	न्यूनतम दरें	न्यूनतम दर पर भुगतान का दिनांक	अधिक भुगतान
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	10 मई 2009	60	3000	180000	2200	06 अप्रैल 2009 से 8 अगस्त 2009	48000
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	07 जून 2009	110	3075	338250	2200	06 अप्रैल 2009 से 8 अगस्त 2009	96250
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	16 जून 2009	70	3935	275450	2200	06 अप्रैल 2009 से 8 अगस्त 2009	121450
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	17 जून 2009	130	3075	399750	2200	06 अप्रैल 2009 से 8 अगस्त 2009	113750
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	01 अगस्त 2009	600	3075	1845000	2200	06 अप्रैल 2009 से 8 अगस्त 2009	525000
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	04 अगस्त 2009	70	2640	184800	2200	06 अप्रैल 2009 से 8 अगस्त 2009	30800
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	19 दिसम्बर 2009	173	2640	456720	2500	20 नवम्बर 2009 से 24 जून 2010	24220
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	26 दिसम्बर 2009	10	2550	25500	2500	20 नवम्बर 2009 से 24 जून 2010	500
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	06 जनवरी 2010	56	2550	142800	2500	20 नवम्बर 2009 से 24 जून 2010	2800
बॉटल पाम (12 फुट से 15 फुट)	16 जनवरी 2010	30	2550	76500	2500	20 नवम्बर 2009 से 24 जून 2010	1500
साइकस रिवोल्यूटा (1.5 फुट से 2 फुट)	26 अप्रैल 2011	474	4850	2298900	3000	10 दिसम्बर 2010 से 30 अप्रैल 2011	876900
साइकस रिवोल्यूटा (1.5 फुट से 2 फुट)	26 अप्रैल 2011	696	5140	3577440	3000	10 दिसम्बर 2010 से 30 अप्रैल 2011	1489440
साइकस रिवोल्यूटा (1.5 फुट से 2 फुट)		670	5140	3443800	3000	10 दिसम्बर 2010 से 30 अप्रैल 2011	1433800
साइकस रिवोल्यूटा (1.5 फुट से 2 फुट)		206	4850	999100	3000	10 दिसम्बर 2010 से 30 अप्रैल 2011	381100
साइकस रिवोल्यूटा (1.5 फुट से 2 फुट)		78	4850	378300	3000	10 दिसम्बर 2010 से 30 अप्रैल 2011	144300
डेट पाल्म (6 फुट से 8 फुट)	01 मई 2011	226	9990	2257740	7000	01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011	675740
डेट पाल्म (6 फुट से 8 फुट)		47	9990	469530	7000	01 जनवरी 2011 से 30 जून 2011	140530
कुल अधिक व्यय जो वसूल किया जाना है							**6106080**
जोड़ा : लेखा परीक्षा के द्वारा बताये जाने पर ईए द्वारा वसूली गयी राशि							**2585080**
कुल अधिक व्यय							**8691160**

परिशिष्ट-14

(प्रस्तर सं 2.2.12 में संदर्भित)

अधिक वैट के भुगतान के विवरण को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

इकाई का नाम	बीजक का दिनांक	विवरण	मात्रा	दर	धनराशि	भुगतान किया गया वैट का दर	भुगतान किया गया वैट	जिस दर पर वैट का भुगतान किया जाना चाहिए	वैट का भुगतान किया जाना चाहिए	अधिक वैट का भुगतान किया गया
इकाई – 2	1 जून 2010	स्टेनलेस स्टील फ्लैट्स	101.36	450	45612	13.50	6157.62	5.00	2280.60	3877.02
	1 जून 2010	स्टेनलेस स्टील फ्लैट्स	49.83	450	22423.50	13.50	3027.17	5.00	1121.18	1906.00
	27 जुलाई 2010	स्टेनलेस स्टील फ्लैट्स	873.54	450	393093.00	13.50	53067.56	5.00	19654.65	33412.91
लेहिया इकाई -2	7 फरवरी 2009	स्टेनलेस स्टील एंगल्स एवं फ्लैट्स	103752.16	725	75220316.00	12.50	9402539.50	4.00	3008812.64	6393726.86
इकाई – 2ए	20 जनवरी 2009	आरसीसी पाईप एवं कॉलर्स			245269.00	12.50	30658.63	4.00	9810.76	20847.87
	26 अक्टूबर 2008	आरसीसी पाईप एवं कॉलर्स			348693.00	12.50	43586.63	4.00	13947.72	29638.91
	26 मार्च 2010	एसएस एंगल्स एवं फ्लैट्स	2623.50	300	787050.00	13.50	106251.75	5.00	39352.50	66899.25
	8 सितम्बर 2009	एमएस पाईप	2192.00	50	109600.00	13.50	14796.00	4.50	4932.00	9864.00
	4 नवम्बर 2008	एमएस पाईप			2680203.00	12.50	335025.38	4.00	107208.12	227817.26
	8 मार्च 2009	स्टेनलेस स्टील रॉड	55.50	250	13875.00	12.50	1734.38	4.00	555.00	1179.38
	8 मार्च 2009	स्टेनलेस स्टील फ्लैट	140.00	220	30800.00	12.50	3850.00	4.00	1232.00	2618.00
	8 मार्च 2009	स्टेनलेस स्टील रॉड	23.00	250	5750.00	12.50	718.75	4.00	230.00	488.75
प्रतापगढ़ इकाई	17 जनवरी 2009	पाईप्स			2012292.00	12.5	251536.50	4.00	80491.68	171044.82
		योग			**81914976.50**		**10252949.87**		**3289628.85**	**6963321.03**

परिशिष्ट-15

(प्रस्तर सं 2.2.13 और 2.2.14 में संदर्भित)

ईए द्वारा किये गये परामर्श सम्बन्धी अनुबन्ध एवं सहमत शुल्क और उसके अनुसार किये गये भुगतान को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	चयनित परामर्शदाता	चयन का आधार	अनुबंध का दिनांक	अनुबंधगत शुल्क	अब तक भुगतान किया गया परामर्श शुल्क	
						आर्किटेक्ट ब्यूरो	डिजाईन एसोसिएट्स
1.	**सामाजिक परिवर्तन स्थल**						
	क) डॉ भीमराव अम्बेडकर स्मारक और डॉ भीमराव अम्बेडकर पुस्तकालय और संग्रहालय	आर्किटेक्ट ब्यूरो	निविदा	9 सितम्बर 2007	₹ 1.85 करोड़	7.93	2.13
	ख) कला कार्य		निविदा सम्बन्धी औपचारिकताएं नहीं की गयीं	12 सितम्बर 2008	₹ 0.65 करोड़		
	ग) समतामूलक स्तूप संग्रहालय		तदैव	5 अक्टूबर 2007	कार्य की वास्तविक लागत का 1.5 प्रतिशत		
	घ) स्क्रीन वॉल		तदैव	27 अगस्त 2008			
	ङ) स्मारक स्थल विकास कार्य (12 अतिरिक्त कार्य)		तदैव	15 जुलाई 2008			
	च) 04 नये कार्य/7 नये कार्य/स्टेप कार्य		तदैव	कोई औपचारिक अनुबंध नहीं	कार्य[7] की वास्तविक लागत का 1.5 प्रतिशत		
2.	**स्मारक स्थल**						
	क. आवास विभाग द्वारा वित्त पोषित	आर्किटेक्ट ब्यूरो	तदैव	28 नवम्बर 2007	परियोजना की लागत का 1.5 प्रतिशत	4.67	1.27
	ख. लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्त पोषित	डिजाइन एसोसिएट्स	तदैव	4 जुलाई 2008		--	1.63
	ग. संस्कृति विभाग द्वारा वित्त पोषित	डिजाइन एसोसिएट्स	तदैव	21 जुलाई 2008		--	1.06
3.	**ईको गार्डन**	डिजाइन एसोसिएट्स	तदैव	17 सितम्बर 2009	परियोजना की लागत का 1.5 प्रतिशत	--	10.83
4.	**बौद्ध विहार**	आर्किटेक्ट ब्यूरो	तदैव	24 अप्रैल 2008	परियोजना की लागत का 1.5 प्रतिशत	2.73	1.61
5.	**प्रेरणा स्थल**		तदैव				
	क. बाउन्ड्रीवॉल	डिजाइन एसोसिएट्स	तदैव	4 जून 2008	परियोजना की लागत का 0.5 प्रतिशत	--	8.23
	ख. सेन्ट्रल पार्क प्लाजा		तदैव	12 नवम्बर 2008	परियोजना की लागत का 1.5 प्रतिशत		
	ग. आन्तरिक एवं वाह्य विद्युतीकरण		तदैव	26 नवम्बर 2008			
	घ. हाथी दीर्घा–II		तदैव	2 जनवरी 2009			
	ङ. कॉलम प्लाजा		तदैव	2 जनवरी 2009			
	च. अम्बेडकर मूर्ति		तदैव	20 जनवरी 2009			
	छ. फव्वारा, अशोकन कॉलम, पाथ वे और जन सुविधा भवन		तदैव	31 मई 2001			
	ज. नई हाथी दीर्घा, एचडीपीई, पाईप लाइन, हाथी दीर्घा, मिर्जापुर बलुआ पत्थर की फुटपाथ, बाहरी विकास कार्य, प्रवेश द्वार		तदैव	कोई औपचारिक अनुबंध नहीं	परियोजना की लागत[8] का 1.5 प्रतिशत		
	योग					**15.33**	**26.76**

[7] इन कार्यों के परामर्श सम्बन्धी सेवाओं के लिए परामर्शदाता से कोई अनुबन्ध नहीं किया गया; फिर भी कार्य की वास्तविक लागत के 1.5 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया।

[8] इन कार्यों के परामर्श सम्बन्धी सेवाओं के लिए परामर्शदाता से कोई अनुबंध नहीं किया गया; फिर भी परियोजना की वास्तविक लागत के 1.5 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया।

परिशिष्ट-16

(प्रस्तर सं 2.2.14 में संदर्भित)

पुनरावृत्तिक कार्य पर परामर्शदाता को किये गये अधिक भुगतान को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

स्मारक/कार्य का नाम	विवरण	कार्य की कुल लागत	पुनरावृत्तिक कार्य की लागत	परामर्शदाता शुल्क दिया जाना चाहिए	परामर्शदाता शुल्क दिया गया	अधिक भुगतान
सामाजिक परिवर्तन स्थल						
स्क्रीन वाल	स्क्रीन वाल	1258.32	1232.95	3.46	18.87	15.41
04 नये कार्य	अशोक कॉलम	272.80	255.75	0.90	4.09	3.19
	स्तम्भ पर कांस्य कैपिटल	113.60	106.50	0.37	1.70	1.33
	फव्वारे में विद्युत एवं प्लाम्बरिंग कार्य	105.47	98.88	0.35	1.58	1.23
12 अतिरिक्त कार्य	ग्रेनाइट कॉलम	191.01	167.13	0.78	2.87	2.09
	वाच टावर	40.00	30.00	0.23	0.60	0.37
	योग	**1981.20**	**1891.21**	**6.09**	**29.71**	**23.62**
स्मारक स्थल						
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा वित्तपोषित कार्य	अतिरिक्त कार्य	9019.47	597.83	127.82	135.29	7.47
लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तपोषित अतिरिक्त कार्य	क्रैश बैरियर	2396.21	2347.39	6.60	35.94	29.34
	क्रैश बैरियर के साथ बाहरी फुटपाथ	592.36	589.67	1.51	8.89	7.38
	बाउण्ड्री के साथ बाहरी फुटपाथ (₹ 1,557.31 लाख)	1557.31	1535.63	4.16	23.36	19.20
	वीआईपी रोड हरमिका रेलिंग	156.83	153.98	0.43	2.35	1.92
	क्रैश बैरियर के अन्दर स्टोन पेविंग	310.66	295.87	0.96	4.66	3.70
	ट्वायलेट ब्लॉक	115.30	57.65	1.01	1.73	0.72
संस्कृति विभाग द्वारा वित्तपोषित कार्य	ग्रेनाइट कॉलम की लागत (अशोक कॉलम)	337.20	236.04	2.11	5.06	2.95
	फाउण्टेन की लागत	1464.59	1084.07	8.42	21.97	13.55
	फाउण्टेन में विद्युत सम्बन्धी कार्य की लागत	107.99	80.99	0.61	1.62	1.01
	हाथी के पेडेस्टल की लागत	1009.45	975.80	2.94	15.14	12.20
	4 फाउण्टेन	803.12	602.34	4.52	12.05	7.53
	10 कांस्य की हाथी के कैपिटल	69.60	48.72	0.44	1.04	0.60
	15 फीट ऊँचे 30 मिर्जापुर बलुआ पत्थर हाथी	1740.00	1682.00	5.08	26.10	21.02
	7 फीट ऊँचे 2 मिर्जापुर बलुआ पत्थर हाथी	30.00	15.00	0.26	0.45	0.19
	7 फीट ऊँची 2 कांस्य की दीप माला	22.00	11.00	0.19	0.33	0.14
	योग	**19732.09**	**10313.98**	**167.06**	**295.98**	**128.92**
प्रेरणा स्थल						
नये हाथी दीर्घा	बंशी पहाड़पुर की आकृति	770.00	731.50	2.41	11.55	9.14
	पेडेस्ट्रल में ग्रेनाइट पत्थर का कार्य	228.33	216.91	0.71	3.42	2.71
अशोक कॉलम	ग्रेनाइट पत्थर फ्री स्टैण्डिंग कॉलम	397.31	382.03	1.18	5.96	4.78
	ग्रेनाइट का आधार पत्थर	71.99	69.22	0.21	1.08	0.87
	कांस्य कैपिटल	213.16	204.96	0.64	3.20	2.56
अम्बेडकर मूर्ति	ग्रेनाइट पत्थर फ्री स्टैण्डिंग कॉलम	61.13	45.85	0.34	0.92	0.58
	ग्रेनाइट का आधार पत्थर	11.07	8.30	0.06	0.17	0.11
	कांस्य कैपिटल	30.00	22.50	0.17	0.45	0.28
	योग	**1782.99**	**1681.27**	**5.72**	**26.75**	**21.03**
	महायोग	**23496.28**	**13886.46**	**178.87**	**352.44**	**173.57**

परिशिष्ट-17

(प्रस्तर सं 2.2.19 में संदर्भित)

ढाँचों के ध्वस्तीकरण और उन पर किये गये व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड में)

क्रम संख्या	विवरण	सामाजिक परिवर्तन स्थल	स्मारक स्थल	बौद्ध विहार	इको गार्डन	योग
1	ध्वस्त की गई ढाँचा	पुस्तकालय भवन और प्लाजा, कोलोनेड, ओपन एयर थिएटर, ओबेलिस्क, प्रशासनिक भवन, वाह्य स्थल विकास कार्य, सम्पत्ति संग्रहालय भवन, स्टेडियम	कार्यालय भवन, मंच द्वार पेडेस्ट्रल इत्यादि	परिकल्प नगर, लखनऊ	आदर्श कारागार, जिला जेल और नारी बन्दी निकेतन, लखनऊ	
2	ध्वस्त की गई ढाँचों की लागत (₹ करोड़ में)	55.86[9]	अभिलेखों में उपलब्ध नहीं	अभिलेखों में उपलब्ध नहीं	38.72	94.58
3	स्क्रैप से वसूल किया गया मूल्य (₹ करोड़ में)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.61	0.61
4	ध्वस्तीकरण कराने की अवधि	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	21 से 26 नवम्बर 2008	28 अगस्त से 30 नवम्बर 2009	
5	प्रशासनिक अनुमोदन से पहले ध्वस्तीकरण के लिये सरकारी आदेश का दिनांक	पृथक आदेश नहीं	पृथक आदेश नहीं	21 नवम्बर 2008[10]	28 अगस्त 2009[11]	
6	प्रशासनिक अनुमोदन का दिनांक	22 अप्रैल 2008	24 जून 2009	प्राप्त होना अभी बाकी है	प्राप्त होना अभी बाकी है	
7	वित्तीय स्वीकृति का दिनांक	16 मई 2008 और 17 सितम्बर 2008	12 फरवरी 2010	स्वीकृत नहीं	स्वीकृत नहीं	
8	स्वीकृत पीई/डीई की धनराशि दिनांक के साथ (₹ करोड़ में)	3.84 (27 मार्च 2008)	0.78 (15 मई 2009)	स्वीकृत नहीं (28 अप्रैल 2010)	₹ 12.49 करोड़ का पीई भेजा गया लेकिन अभी स्वीकृत नहीं हुआ	
9	टीएस का दिनांक	2 दिसम्बर 2009 और 14 मार्च 2012	31 जुलाई 2009	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	
10	ध्वस्तीकरण पर किये गये वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	3.17	0.39	1.08	5.68	10.32

[9] पुस्तकालय भवन, प्लाजा, कोलोनेड, ओपन एयर थिएटर और ओबेलिस्क– ₹ 17.19 करोड़; प्रशासनिक भवन और बाह्य स्थल विकास कार्य–₹ 8.20 करोड़; सम्पत्ति संग्रहालय और अतिरिक्त कार्य–₹ 17.24 करोड़; विद्युतीकरण का कार्य–₹ 13.24 करोड़।

[10] कार्यालय आदेश संख्या 3258 दिनांक 21नवम्बर 2008 को पत्र संख्या 3259/08-सत्ताईस 9144–भवन 08/टीसी उसी दिनांक के साथ पढ़ा जाय।

[11] 1625/22-4-09 48(70)/94 टीसी 05 दिनांक 28 अगस्त 2009

परिशिष्ट–18

(प्रस्तर संख्या 2.2.21 में संदर्भित)

ईए द्वारा किये गये दरों के विश्लेषण में पाई गई कमियों को दर्शाने वाली विवरणी

विवरण	दरों के विश्लेषण के लिए ली गयी दरें	दरें ली जानी चाहिए	लिये गये दरों के लिए आधार
कमियाँ जिनके परिणामस्वरूप विश्लेषित दरें बढ़ गयीं– बलुआ पत्थर एवं संगमरमर कार्य के क्षय के लिए सीपीडब्ल्यू मानदण्ड उपलब्ध हैं। फिर भी कार्यदायी संस्था द्वारा इससे बहुत ज्यादा क्षय प्रतिशत लिया गया।	मिर्जापुर बलुआ पत्थर कार्य के लिए 50 प्रतिशत, बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर के लिए 35 प्रतिशत और मकराना संगमरमर कार्य के लिए 40.33 प्रतिशत	बलुआ पत्थर कार्य (फ्लोरिंग एवं क्लैडिंग के अतिरिक्त)– 33.33 प्रतिशत; बलुआ पत्थर फ्लोरिंग– 10.00 प्रतिशत, बलुआ पत्थर क्लैडिंग– 25 प्रतिशत 20 प्रतिशत टूटे हुये किनारे को जोड़कर, बलुआ पत्थर कार्य (फ्लोरिंग छोड़कर)– 20 प्रतिशत बलुआ पत्थर फ्लोरिंग– 15 प्रतिशत	सीपीडब्ल्यूडी का दर विश्लेषण
मिर्जापुर में स्थापना की लागत, मिर्जापुर बलुआ पत्थर कार्यों के दरों के विश्लेषण के लिए सम्मिलित किया गया, खदान से सामग्री छंटनी के लिए और आवश्यकतानुसार ब्लाक बनाने की लागत सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए थी क्योंकि यह आपूर्तिकर्ता के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित हे जिन्हें अभीष्ट आकार के पत्थरों को ट्रक में लादना था।	₹ 20	शून्य	18 जुलाई 2007 की बैठक में ईए द्वारा निर्णय लिया गया कि पत्थरों की गुणवत्ता खनिज निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक रायल्टी थी • मकराना संगमरमर • बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर	 ₹ 500 प्रति एमटी ₹ 140 प्रति एमटी	 ₹ 400 प्रति एमटी ₹ 95 प्रति एमटी	राजस्थान सरकार द्वारा 6 सितम्बर 2007 को जारी की गयी अधिसूचना।
40 मिमी मोटी आईवरी फैंटेसी ग्रेनाइट स्लैब का आधार मूल्य अधिक था।	₹ 345 प्रति वर्ग फुट	₹117.10 प्रति वर्ग फुट	आपूर्तिकर्ता का उत्पाद शुल्क बीजक
थर्माकोल की लागत जिसकी लागत मिर्जापुर बलुआ पत्थर और बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर के लिए आवश्यक नहीं थी।	₹ 25 से ₹ 50 की सीमा में	शून्य	ईए के अनुवर्ती विश्लेषण
प्रथम गुणवत्ता के गुलाबी मकराना की क्लैडिंग में स्टैनलेस स्टील क्लैम्बस से जोड़ने की सामग्री की गणना में त्रुटि।	₹ 400 प्रति घन फुट	₹ 150 प्रति घन फुट	ईए की संगणना
बलुआ पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट के भाड़े की गणना के परिवर्तन गुणांक निर्धारित दर से अधिक दर पर लिए गये जिससे भाड़ा व्यय बढ़ गया। • बलुआ पत्थर • संगमरमर • ग्रेनाइट	 0.12/ 0.10 एमटी प्रति घन फुट 0.10 एमटी प्रति घन फुट 0.15/0.20 एमटी प्रति घन फुट	 0.068 एमटी प्रति घन फुट 0.077 एमटी प्रति घन फुट 0.085 एमटी प्रति घन फुट	राजस्थान सरकार द्वारा 6 सितम्बर 2007 को जारी की गयी अधिसूचना।
भाड़ा व्यय को वास्तविक वजन या आयतनिक वजन[12] में से जो भी अधिक हो पर भारित किया जाता है। पत्थर एक अधिक घनत्व की वस्तु है इसलिए वास्तविक भार हमेशा उसके आयतनिक भार से अधिक होगा। इसलिए भाड़ा हमेशा वास्तविक भार पर चुकाया जायेगा। फिर भी, कार्यदायी संस्था द्वारा इस तर्क के साथ भाड़ा व्यय को दुगुना बढ़ा दिया कि पैकेज्ड मैटेरियल का आयतनिक भार उसके वास्तविक भार से दुगना होता है। इसके परिणामस्वरूप दरों के विश्लेषण में भाड़ा व्यय अधिक लिया गया।	वास्तविक वजन के लिए भाड़ा व्यय को बढ़ा दिया गया।	भाड़ा व्यय के सामान्य दर	आयतनिक भार और वास्तविक भार की अवधारणा
मिर्जापुर बलुआ पत्थर के फर्श एवं क्लैडिंग के दरों के विश्लेषण में स्थानीय ढुलाई, नक्कासी। चाबी बनाने की कार्यशाला के व्यय का शामिल कर लिए गए थे जबकि ये सब उनके कार्यक्षेत्र में नहीं था।	₹ 20	शून्य	कार्य क्षेत्र में नहीं

[12] नौ भार के आयतनिक भार की गणना पैकेज के घनत्व को प्रदर्शित करती है। कम घनत्व वाली वस्तु सामान्यतः अपने वास्तविक भार की तुलना में अधिक स्थान आयतन घेरती है। नौ भार आयतनिक भार की वास्तविक भार की गणना तथा तुलना जो अधिक हो, प्रायः उच्च भार नौ भार की गणना में किया जाता है।

विवरण	दरों के विश्लेषण के लिए ली गयी दरें	दरें ली जानी चाहिए	लिये गये दरों के लिए आधार
बलुआ पत्थर के लिए स्थानीय ढुलाई (बयाना, राजस्थान) के लिए भिन्न दरें (बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर के कार्य के लिए 100 प्रति घन फुट और मिर्जापुर बलुआ पत्थर कार्य के लिए ₹ 20 प्रति घन फुट)	₹ 100 प्रति घन फुट	₹ 20 प्रति घन फुट	स्थानीय ढुलाई के लिए भिन्न दरें निर्धारित की गयीं।
बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर कार्य के लिए बयाना से लखनऊ के लिए भाड़े के लिए ₹ 700 प्रति एमटी जबकि मिर्जापुर बलुआ पत्थर कार्य के लिए ₹ 650 प्रति एमटी लिया गया।	₹ 700 प्रति एमटी	₹ 650 प्रति एमटी	स्थानीय भाड़े के लिए भिन्न दरें निर्धारित की गयीं।
स्मारको के कार्य पर सेवा कर देय नहीं है इस तथ्य के बावजूद सेवा कर शामिल किया गया।	सेवा कर 12.36 प्रतिशत की दर से	लागू नहीं	समय–समय पर संशोधित वित्त अधिनियम, 1994
बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर, मकराना संगमरमर और ग्रेनाइट के कार्यों पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की दर 2 प्रतिशत तक कम हो गयी जो कि 1 जून 2008 से प्रभावी थीं।	3 प्रतिशत	2 प्रतिशत	अधिसूचना संख्या 1/2008–सीएसटी –एफ संख्या 28/11/2007–ए सटी दिनांक 30 मई 2008
ग्रेनाइट पत्थर के कुछ कार्यों जैसे कर्ब स्टोन, स्टेप्स, चहारदीवारी और नक्कासी वाटर बॉडी के दरो के विश्लेषण में योग करने में लिपिकीय त्रुटियां।	लागत के अन्य तत्वों के पूरवर्ती प्रभाव को छोड़ते हुए ₹ 1227	वास्तविक योग	ईए की संगणना
कमियां जिनसे विश्लेषण दरें अवस्फीति हुई :– उत्तर प्रदेश वैट को शामिल करते हुए कुल लागत पर 8 प्रतिशत की दर से ठेकेदार के लाभ को लगाया गया जबकि इसे वैट को शामिल ना करते हुए सामग्री और श्रम की लागत पर 10 प्रतिशत की दर से लगाया जायेगा और उसके पश्चात वैट लगाया जाना चाहिए।	उत्तर प्रदेश वैट को शामिल करते हुए कुल लागत का 8 प्रतिशत	वैट को छोड़कर सामग्री एवं श्रम की लागत पर 10 प्रतिशत और उसके पश्चात वैट लगाया जाना चाहिए।	यूपीपीडब्ल्यूडी की मानदण्ड और यूपी वैट अधिनियम
1 प्रतिशत जल एवं बिजली व्यय के लिए नहीं लगाया गया	शून्य	1 प्रतिशत	सीपीडब्ल्यूडी दरों का विश्लेषण
ठेकेदारों के बिलों से सुरक्षा की राशि पर ब्याज काटा जाना था जो कि दोष के दायित्व अवधि के बाद मुक्त किया जाना था, को शामिल नहीं किया।	शून्य	दोष के दायित्व की अवधि की समान अवधि में प्रचलित ब्याज की सामान्य दर	ठेकेदारों को भुगतान करने के नियम एवं शर्तें
हमारे आंकलन में मलवा के समाशोधन के लिए लागत को शामिल नहीं किया गया है जैसा कि यह माना जा चुका है कि जिसको प्राप्त हुयी स्टोन डस्ट/पत्थर के टुकड़े के विक्रय से क्षतिपूर्ति की जा सकती थी।	–––––	(क्षतिपूरक प्रकृति का)	

परिशिष्ट–19

(प्रस्तर संख्या 2.2.21 में संदर्भित)

पत्थर सम्बन्धी कार्यों के विभिन्न मदों हेतु ईए द्वारा अनुमोदित साथ–ही–साथ लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित दरों को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	अनुमोदन की तिथि	ईए द्वारा अनुमोदित की गयीं दरें (₹ में)	इकाई	लेखा परीक्षा द्वारा विश्लेषित दरें (₹ में)	विचरण प्रतिशत
1.	मिर्जापुर बलुआ पत्थर चहारदीवारी (नक्कासीदार) के लिए श्रम दर	15–दिसम्बर–08	1300	घन फुट	1030	20.77
2.	मिर्जापुर बलुआ पत्थर चहारदीवारी (गैर नक्कासीदार) के लिए श्रम दर	15–दिसम्बर–08	1050	घन फुट	740	29.52
3.	मिर्जापुर बलुआ पत्थर कर्ब स्टोन के लिए श्रमदर	15–दिसम्बर–08	1250	घन फुट	890	28.80
4.	50 मिमी फर्श के लिए मिर्जापुर बलुआ पत्थर की श्रम दर	15–दिसम्बर–08	1750	वर्ग मीटर	1020	41.71
5.	रिटेनिंग वाल पर मिर्जापुर बलुआ पत्थर के क्लैडिंग की श्रमदर	15–दिसम्बर–08	1200	घन फुट	920	23.33
6.	मिर्जापुर बलुआ पत्थर के चहारदीवारी के (शारदा कैनाल) के लिए मजदूरी दर	9–जुलाई– 08	2190	घन फुट	1480	32.42
7.	मिर्जापुर बलुआ पत्थर चहारदीवारी (गैर नक्कासीदार) की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	15–सितम्बर–09	1350	घन फुट	890	34.07
8.	चहारदीवारी (नक्कासीदार) की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	10–दिसम्बर–09	1515	घन फुट	1180	22.11
9.	मिर्जापुर बलुआ पत्थर कर्ब स्टोन की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	10–दिसम्बर–09	1200	घन फुट	1040	13.33
10.	मिर्जापुर बलुआ पत्थर 50 एमएम फर्श के लिए आपूर्ति एवं फिक्सिंग	15–सितम्बर–09	1995	वर्ग मीटर	1400	29.82
11.	रिटेनिंग वाल पर मिर्जापुर बलुआ पत्थर के आफ सेट पैटर्न के क्लेडिंग की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	17–मार्च–09	2450	घन फुट	1150	53.06
12.	गुम्बदों में बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्तिएवं फिक्सिंग	9–जुलाई–08	2700	घन फुट	2110	21.85
13.	कोर्टयार्ड में बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	8–नवम्बर–07	2850	घन फुट	2140	24.91
14.	सीलिंग और बिम्स में बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	9–जुलाई–08	1900	घन फुट	1400	26.32
15.	नक्कासी के साथ स्तम्भों के क्लैडिंग के रूप में मोटा पत्थर में बंसी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	15–दिसम्बर–08	3890	घन फुट	3520	9.51
16.	यथोचित नक्कासीदार क्लैडिंग में प्रथम गुणवत्ता वाले गुलाबी मकराना बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	15–दिसम्बर–08	14950	घन फुट	12550	16.05
17.	सामान्य फर्श में प्रथम गुणवत्ता वाले गुलाबी मकराना बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	15–दिसम्बर–08	13500	घन फुट	10920	19.11
18.	इंट्रीकेट पैटर्न फर्श में प्रथम गुणवत्ता वाले गुलाबी मकराना बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1–अगस्त–09	16300	घन फुट	11950	26.69
19.	40 एमएम के वृतीय फर्श में आईवरी फैन्टसी ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	12–अगस्त–10	5450	घन फुट	3030	44.40
20.	40 एमएम फर्श में मल्टी रेड ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	12–अगस्त–10	5300	वर्ग मीटर	3030	42.83
21.	स्टेप्स और कर्ब स्टोन में ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	15–दिसम्बर–08	5150	घन फुट	2240	56.50
22.	चहारदीवारी में ग्रेनाइट पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	15–दिसम्बर–08	5050	घन फुट	2330	53.86
23.	फाउण्टेन के नक्कासी वाटर बॉडी में ग्रेनाइट पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	15–दिसम्बर–08	7600	घन फुट	4270	43.82

परिशिष्ट–20

(प्रस्तर संख्या 2.2.21 में संदर्भित)

उच्चतर दरों के अन्तिमीकरण के कारण आधिक्य व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	लखनऊ की परियोजनाएं					प्रेरणा स्थल नोएडा					कुल अधिक व्यय
		ईए द्वारा आवंटित दरें	इकाई	ईए के विश्लेषण के कमियों को दूर करने पश्चात् लेखा परीक्षा द्वारा ली गयी दरें	लखनऊ में निष्पादित करायी गयी कुल मात्रा	कार्य के उच्चतर दर के आवंटन के कारण अतिरिक्त व्यय	ईए द्वारा आवंटित दरें	इकाई	ईए के विश्लेषण के कमियों को दूर करने पश्चात् लेखा परीक्षा द्वारा ली गयी दरें	नोएडा में निष्पादित करायी गयी कुल मात्रा	कार्य के उच्चतर दर के आवंटन कारण अधिक व्यय	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	मिर्जापुर बलुआ पत्थर की चहारदीवारी (नक्कासीदार) के लिए श्रम दर	1890	घन फुट	1030	246921.44	212352438.40	1300	घन फुट	930	206838.40	76530208.00	288882646.40
		1739	घन फुट	1030	63413.76	44960355.84						44960355.84
		1300	घन फुट	1030	57260.70	15460389.00						15460389.00
2	मिर्जापुर बलुआ पत्थर की चहारदीवारी (गैर नक्कासीदार) के लिए श्रम दर	1199	घन फुट	740	29101.46	13357570.14						13357570.14
		1050	घन फुट	740	11118.59	3446762.90	1050	घन फुट	640	1353.98	555131.80	4001894.70
3	मिर्जापुर बलुआ पत्थर के कर्ब स्टोन के लिए श्रम दर	1750	घन फुट	890	84889.05	73004583.00						73004583.00
		1630	घन फुट	890	48266.83	35717454.20						35717454.20
		1250	घन फुट	890	28833.02	10379887.20						10379887.20
4	50 मिमी के फर्श के लिए मिर्जापुर बलुआ पत्थर की श्रम दर	2400	वर्ग मीटर	1020	40486.01	55870693.80						55870693.80
		2250	वर्ग मीटर	1020	34872.11	42892695.30						42892695.30
		1750	वर्ग मीटर	1020	37331.62	27252082.60						27252082.60
5	रिटेनिंग वाल पर मिर्जापुर बलुआ पत्थर के क्लैडिंग की श्रम दर	1400	घन फुट	920	25064.50	12030960.00						12030960.00
		1290	घन फुट	920	29051.41	10749021.70						10749021.70
		1200	घन फुट	920	11437.34	3202455.20						3202455.20
6	मिर्जापुर बलुआ पत्थर की चहारदीवारी (शारदा कैनाल) के लिए श्रम दर	2190	घन फुट	1480	83660.87	59399217.70						59399217.70
7	मिर्जापुर बलुआ पत्थर की चहारदीवारी (गैर नक्कासीदार) की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1350	घन फुट	890	1340.26	616519.60	1200	घन फुट	790	1738.76	712891.60	1329411.20

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	मिर्जापुर बलुआ पत्थर की चहारदीवारी (नक्कासीदार) की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1600	घन फुट	1180	2226.68	935205.60	1450	घन फुट	1080	5667.70	2097049.00	3032254.60
		1515	घन फुट	1180	258684.80	86659408.00						86659408.00
9	मिर्जापुर बलुआ पत्थर के कर्ब स्टोन की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1700	घन फुट	1040	105021.92	69314467.20	1700	घन फुट	940	5028.61	3821743.60	73136210.80
		1635	घन फुट	1040			1600	घन फुट	940	17114.77	11295748.20	11295748.20
		1200	घन फुट	1040	6740.29	1078446.40	1250	घन फुट	940	4135.38	1281967.80	2360414.20
10	50 मिमी के फर्श में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्त्ति एवं फिक्सिंग	2100	वर्ग मीटर	1400	122530.61	85771427.00	2000	वर्ग मीटर	1400	9116.74	5470044.00	91241471.00
		1995	वर्ग मीटर	1400	570.68	339554.60	1790	वर्ग मीटर	1400	1383.29	539483.10	879037.70
							1500		1400	1729.38	172938.00	172938.00
11	रिटेनिंग वाल पर मिर्जापुर बलुआ पत्थर के आफ सेट पैटर्न के क्लैडिंग की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	2450	घन फुट	1150	8073.20	10495160.00	1950	घन फुट	1050	864.86	778374.00	11273534.00
			घन फुट				1450	घन फुट	1050	10043.70	4017480.00	4017480.00
12	गुम्बदों में बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	2750	घन फुट	2110	4057.68	2596915.20						2596915.20
		2700	घन फुट	2110	14766.68	8712341.20						8712341.20
13	कोर्टयार्ड में बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	2850	घन फुट	2140	6504.41	4618131.10						4618131.10
14	सीलिंग और छतरी एवं कॉरिडोर की बीम बंशी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	2050	घन फुट	1400	18602.87	12091865.50						12091865.50
		1900	घन फुट	1400	22976.62	11488310.00						11488310.00
15	नक्कासी के साथ स्तम्भों के क्लैडिंग के रूप में मोटा पत्थर में बंसी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	4150	घन फुट	3520	81008.11	51035109.30						51035109.30
		3890	घन फुट	3520	9312.04	3445454.80						3445454.80
16	नक्कासी के साथ स्तम्भों के क्लैडिंग के रूप में मोटा पत्थर में बंसी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	16500	घन फुट	12550	15195.55	60022422.50						60022422.50
		16300	घन फुट	12550	33812.62	126797328.75						126797328.75
		14950	घन फुट	12550	366.82	880368.00						880368.00
17	50 एमएम के फर्श में गुलाबी मकराना बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	14950	घन फुट	10920	1198.37	4829431.10						4829431.10
		13500	घन फुट	10920	942.47	2431572.60						2431572.60
18	इंट्रीकेट पैटर्न फर्श में वाले गुलाबी मकराना बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	16500	घन फुट	11950	522.10	2375555.00						2375555.00
		16300	घन फुट	11950	4893.68	21287508.00						21287508.00
19	चहारदीवारी में ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	5490	घन फुट	2330	5422.62	17135479.20						17135479.20
		5600	घन फुट	2330	2129.77	6964347.90						6964347.90
		5050	घन फुट	2330	1487.38	4045673.60						4045673.60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	40 मिमी के फर्श में ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	7600	वर्ग मीटर	3030	83258.40	380490888.00						380490888.00
		6900	वर्ग मीटर	3030	24571.66	95092324.20						95092324.20
		6500	वर्ग मीटर	3030	17853.94	61953171.80						61953171.80
		5900	वर्ग मीटर	3030	3873.74	11117633.80						11117633.80
		5850	वर्ग मीटर	3030	245066.30	691086966.00	5850	वर्ग मीटर	3030	90760.97	255945935.40	947032901.40
		5450	वर्ग मीटर	3030	8661.64	20961168.80						20961168.80
21	40 मिमी के फर्श में ग्रेनाइट (मल्टी रेड) की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	5400	वर्ग मीटर	3030	46549.82	110323073.40						110323073.40
		5300	वर्ग मीटर	3030	2426.03	5507088.10						5507088.10
22	स्टेप्स और कर्ब स्टोन में ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	5600	घन फुट	2240	44752.75	150369240.00						150369240.00
		5500	घन फुट	2240	33535.04	109324230.40						109324230.40
		5150	घन फुट	2240	131791.13	383512188.30	5150	घन फुट	2240	88339.47	257067857.70	640580046.00
23	फाउन्टेन के नक्कासी वाटर बॉडी में ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	7900	घन फुट	4270	12498.94	45371152.20						45371152.20
		7750	घन फुट	4270	8424.92	29318707.68						29318707.68
		7600	घन फुट	4270	9745.40	32452182.00	7600	घन फुट	4270	4741.46	15789061.80	48241243.80
												3979000497.81

परिशिष्ट–21

(प्रस्तर संख्या 2.2.22 में संदर्भित)

विभेदित विशिष्टियों की दरों में अन्तर न करने के कारण किये गये अधिक भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

कार्य के मद	संयुक्त मदों में विभिन्न विशिष्टियों	संयुक्त दर		विभेदित दरें		संयुक्त दर पर निष्पादित की गयी मात्रा	अधिक व्यय
		प्रारम्भिक दर (दिनांक)	संशोधित दर (दिनांक)	प्रारम्भिक दर (दिनांक)	संशोधित दर (दिनांक)		
ग्रेनाइट कॉलम्स (घन फुट)	ग्लैक्सी व्हाईट ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ कॉलम साफ्ट	7730 (8 नवम्बर 2007)	7650 (9 जुलाई 2008)	7100 (15 दिसम्बर 2008)	-	-	-
	कॉफी ब्राउन ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ आधार			5150 (15 दिसम्बर 2008)	-	2201.80	0.47
मिर्जापुर बलुआ पत्थर चहारदीवारी, लखनऊ (घन फुट)	नक्कासीदार भाग	1890 (8 नवम्बर 2007)	-	1739 (9 जुलाई 2008)	1300 (15 दिसम्बर 2008)	-	-
	गैर नक्कासीदार भाग			1199 (9 जुलाई 2008)	1050 (15 दिसम्बर 2008)	171785.04	14.43
मिर्जापुर बलुआ पत्थर चहारदीवारी, नोएडा (घन फुट)	नक्कासीदार भाग	1300 (फरवरी 2008)	-	1300 (मार्च 2011)	-		-
	गैर नक्कासीदार भाग			1050 (मार्च 2011)	-	183804.40	3.40
बंसी पहाड़पुर बलुआ पत्थर कार्य (घन फुट)	गुलाबी बलुआ पत्थर	गुलाबी बलुआ पत्थर कार्य के समान लाल बलुआ पत्थर कार्य की दर (8 नवम्बर 2007)	-	-	-		-
	लाल बलुआ पत्थर			गुलाबी बलुआ पत्थर की दर से 2 प्रतिशत कम (15 दिसम्बर 2008)	-	21732.13	0.11
योग							**18.41**

परिशिष्ट–22

(प्रस्तर संख्या 2.2.31 में संदर्भित)

ईए द्वारा अनुमोदित दर से अधिक दर पर बीपीआरआईपी को भुगतान करने के कारण किये गये अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

विवरण	निविदा के अनुसार मात्रा	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि	अनुमोदन की तिथि	ईए द्वारा अनुमोदित दरें	धनराशि	अतिरिक्त व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
खोदी गयी मिट्टी का 50 मीटर तक निपटान एवं 1.5 मीटर ऊचाई तक उठाने तथा मिट्टी के निपटान के कार्य को सम्मिलित करते हुए यांत्रिक तरीकों से नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य	38000	310170	घन मीटर	100	31017000	1 अगस्त 2009	49	15198330	15818670
वाटरिंग, रैमिंग, कंसोलिडेशन और ड्रेसिंग को सम्मिलित करते हुए प्लिन्थ में फर्श के नीचे बालू की आपूर्ति एवं भराई	35000	129576	घन मीटर	710	91998960	1 अगस्त 2009	658	85261008	6737952
भरने योग्य मिट्टी से भराई जिसमें मिट्टी की लागत उसके निर्धारित आकार में एवं 95 प्रतिशत प्रोक्टर घनत्व के साथ 20 सेमी मोटाई वाली प्रत्येक परत के समेकन की लागतें शामिल हैं।	808500	1009067	घन मीटर	190	191722730	1 अगस्त 2009	187.9	189603689.3	2119041
एम–20 ग्रेड आरएमसी की आपूर्ति और बिछानी	13600	7061	घन मीटर	6000	42366000	18 अगस्त 2009	5250	37070250	5295750
50 मिमी के फर्श में गुलाबी/लाल बंसी पहाड़पुर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	175000	26581	वर्ग मीटर	2100	55820100	15 सितम्बर 2009	2042	54278402	1541698
सॉलिड कर्ब स्टोन में गुलाबी/लाल बंसी पहाड़पुर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	3300	631	घन मीटर	64000	40384000	15 सितम्बर 2009	63734.55	40216501.05	167499
एम–25 ग्रेड आरएमसी की आपूर्ति और बिछाना	45500	44418	घन मीटर	6200	275391600	3 सितम्बर 2009	5500	244299000	31092600
एम–35 ग्रेड आरएमसी की आपूर्ति और बिछाना	850	1750	घन मीटर	6400	11200000	18 अगस्त 2009	5850	10237500	962500
मजबूती प्रदान करने, काटने, झुकाने, उचित स्थिति में रखने और टीएमटी छड़ों के बांधने के कार्य को सम्मिलित करते हुए आरसीसी सुदृढ़ीकरण का कार्य	3950	833	मीट्रिक टन	40000	33320000	23 जनवरी 2010/ 1 अगस्त 2009	38756.5	32284164.5	1035835
जेल में बंसी पहाड़पुर गुलाबी की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1100	1051	घन मीटर	120000	126120000	2 फरवरी 2010	103662	108949167	17170833
यूपीपीडब्ल्यूडी की विशिष्टियों के अनुसार डब्ल्यूएमएम	510	8433	घन मीटर	2500	21082500	10 फरवरी 2009	2200	18552600	2529900
पाइपों और प्लेटों में 316 ग्रेड का एसएस कार्य	31500	82322	किग्रा	450	37044900	1 मार्च 2009	366	30129852	6915048
19 मिमी की फर्श में सोलाकुण्डा ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	69650	50561	वर्ग मीटर	3735	188845335	1 सितम्बर 2009	3600	182019600	6825735
40 मिमी की फर्श में आईवरी फैन्टसी/सोलाकुण्डा ग्रेनाइट की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	7300	118646	वर्ग मीटर	6000	711876000	16 फरवरी 2009	5850	694079100	17796900
50 मिमी मोटी ड्राई क्लैडिंग में गुलाबी/लाल बंसी पहाड़पुर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	28000	9074	वर्ग मीटर	2800	25407200	15 सितम्बर 2009	1900	17240600	8166600
गुम्बदों/छतरी/हाथी विशिष्टियाँ/चैत्या प्रकार में बंसी पहाड़पुर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	650	1017	घन मीटर	120000	122040000	15 सितम्बर 2009	117405.75	119401647.8	2638352
12 मिमी के कठोर ग्लास की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	500	136	वर्ग मीटर	7500	1020000	25 अगस्त 2009	4250.2	578027.2	441973
50 मिमी फर्श में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	10400	1283	वर्ग मीटर	2000	2566000	15 सितम्बर 2009	1995	2559585	6415
304 ग्रेड के यथोचित फैब्रिकेटेड एसएस स्टेयर केस और गेट्स की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	1400	259537	किग्रा	510	132363870	10 अगस्त 2009	410	106410170	25953700
75/100 मिमी मोटी क्लैडिंग में मिर्जापुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	100	26	घन मीटर	60000	1560000	17 मार्च 2009	86509.5	2249247	
घास लगाना		468800	वर्ग मीटर	200	93760000		135	63288000	30472000
					2988039895				**183689001**

परिशिष्ट–23

(प्रस्तर संख्या 2.2.31 में संदर्भित)

कार्य को निम्न दरों पर न कराने के परिणामस्वरूप किये गए अधिक व्यय को प्रदर्शित करने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मद का नाम	ईए की दर पर अन्य ठेकेदारों द्वारा कराये गए कार्य	ईए द्वारा अनुमोदित दर जिस पर भुगतान किया गया (₹ प्रति घन मीटर/किग्रा)	बीपीआरआईपी द्वारा निविदा की गई दर (₹ प्रति घन मीटर/किग्रा)	अधिक व्यय (₹ करोड़ में)
1.	अ. ग्रेनाइट फ्री स्टैण्डिंग कॉलम्स साफ्ट (घन मीटर) की आपूर्ति एवं फिक्सिंग ब. ग्रेनाइट फ्री स्टैण्डिंग कॉलम्स बेस (घन मीटर) की आपूर्ति एवं फिक्सिंग	85.65 21.32	243639 181847	172000 200000	0.57
2.	कांस्य द्वार की आपूर्ति एवं फिक्सिंग (किग्रा)	76790	1089.60	900	1.46
3.	एम–10 ग्रेड आरएमसी की आपूर्ति एवं बिछाना (घन मीटर)	11431.43	4750	4400	0.40
4.	कॉलम्स, मोल्डिंग्स और कार्निस में बंसी पहाड़पुर बलुआ पत्थर की आपूर्ति एवं फिक्सिंग (घन मीटर)	159.96	82166	80000	0.03
				योग	**2.46**

परिशिष्ट–24

(प्रस्तर संख्या 2.2.33 में संदर्भित)

कुछ पौधों के मूल्यों में भिन्नता प्रदर्शित करने वाली विवरणी

क्रम संख्या	पौधे/पेड़ का नाम	क्रय किये गए पौधों की संख्या	न्यूनतम दर			अधिकतम दर			विस्तार प्रतिशत में	वन विभाग की दरें	वन विभाग की दरों से न्यूनतम दरों के आधिक्य का प्रतिशत
			दरें	ऊँचाई	अवधि	दरें	ऊँचाई	अवधि			
1.	बॉटल पॉम	6619	₹450	10 फुट	फरवरी 2008	₹ 3935	12 फुट से 15 फुट	सितम्बर 2008 से जून 2009	774	--	-
2.	पीपल	589	₹175	8 फुट से 10 फुट	जून 2009	₹ 1200	8 फुट से 10 फुट	फरवरी से जुलाई 2011	586	₹ 14	1150
3.	इमली	916	₹ 200	4 फुट से 6 फुट	अप्रैल से सितम्बर 2010	₹ 600	--	फरवरी 2011	200	₹ 14	1329
4.	थुजा (मोरपंखी)	3229	₹ 270	3 फुट से 4 फुट	अगस्त 2009	₹ 1850	-	-	585	--	-
5.	मौलश्री	690	₹ 180	8 फुट से 10 फुट	नवम्बर 2010	₹ 500	8 फुट से 10 फुट	फरवरी 2011	178	₹ 28	543

परिशिष्ट–25

(प्रस्तर संख्या 2.2.40 में संदर्भित)

पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए बनायी गयी समितियों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

विभाग का नाम	पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए बनायी गयी समिति	समिति के कार्य का संक्षिप्त विवरण	लेखा परीक्षा में पायी गयी कमियां
आवास विभाग	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में समिति का गठन (18 मई 2007)	परियोजनाओं का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा	हमने पाया कि इस समिति ने कोई कार्य नहीं किया। आवास विभाग ने बताया (दिसम्बर 2013) कि समिति स्थल पर ही नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा बैठक करती थी; मिनट्स नहीं बनाये गये; बल्कि स्थल पर ही सम्बन्धित को निर्देश दे दिये जाते थे। निर्गत निर्देशों के लिखित अभिलेखों के अभाव में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इतने वृहत वित्तीय प्रभाव के लिए मौखिक निर्देश नहीं दिए जा सकते। निर्गत निर्देशों, जैसा कि बताया गया, के अनुपालन सम्बन्धी अभिलेख भी नहीं थे।
	उपाध्यक्ष, एलडीए की अध्यक्षता में समिति का गठन (21 जनवरी 2010)	उच्चतर विशिष्टिओं की गुणवत्ता, स्वीकृत मदों के आधार पर कार्यों का सम्पादन एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता की सुनिश्चितता करना।	हमने पाया कि ईको गार्डन के प्रकरण में समिति ने स्वयं को ईए द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच रिपोर्ट के परीक्षण तक सीमित कर दिया था। इसने सामाजिक परिवर्तन स्थल (एलडीए द्वारा किये गये वाह्य विकास कार्यों के अतिरिक्त) एवं स्मारक स्थल के कार्य का पर्यवेक्षण कभी नहीं किया।
संस्कृति विभाग	निदेशक, अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में गठित (10 सितम्बर 2007) कार्य अनुश्रवण एवं प्रमाणन समिति (डब्ल्यूएमवीसी),	कलाकृतियों, मूर्तियों की प्रकृति, निर्माण सामग्री का चुनाव एवं कला कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।	हमने पाया कि समिति कार्यशील थी लेकिन कुछ निश्चित गुणवत्ता जाँच को ही देख रही थी। कमेटी ने अपने मिनट में लिखा है कि उसने ईए को स्थल निरीक्षण से सम्बन्धित निर्देश ; पत्थरों की गुणवत्ता ; कार्य की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण करने के लिए दिये थे लेकिन ईए ने पालन नहीं किया तथा अपने स्वयं से कार्यों का निष्पादन करवाया। यह स्पष्ट दर्शाता है कि प्रभावी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण नही था, ईए द्वारा पालन नहीं किया जाना कभी भी आदेश में ईए को पालन करने हेतु उजागर नहीं किया गया इस तथ्य के बावजूद कि महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव निहित था।
	निदेशक, अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की अध्यक्षता में गठित (6 नवम्बर 2007) मूल्य निर्धारण समिति (पीडीसी),	कलाकृतियों आदि के मूल्य निर्धारण के लिए	पीडीसी मूल्य निर्धारण मे सम्मिलित नहीं थी। यह अभिलेखित किया गया (12 जुलाई 2011) कि ये मूल्य निर्धारण के लिए जिम्मेदार नहीं थी क्योंकि इसका निष्पादन ईए द्वारा स्वयं किया गया था। यह स्पष्ट दर्शाता है कि पीडीसी ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया।
सिचांई विभाग	विभाग के उच्चाधिकारी	संदर्भ का नियम स्पष्ट नहीं	कोई कमेटी नहीं बनायी गयी। सिंचाई विभाग ने बताया (नवम्बर 2013) कि यद्यपि कमेटी नहीं बनायी गयी फिर भी उच्चाधिकारियों ने कार्यों का अनुश्रवण किया था। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि तीन निरीक्षण टिप्पणियों के अतिरिक्त उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की अभिलेख लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

परिशिष्ट -26

(प्रस्तर 3.1 में सन्दर्भित)

2005–06 से 2007–08 की अवधि के दौरान अभिवहन शुल्क की कम वसूली को दर्शाती विवरणी

(लाख ₹ में)

क्रम संख्या	जिले का नाम	मात्रा टनों में								अभिवहन शुल्क		
		बालू	मौरंग	स्टोन ग्रिट (बालू पत्थर)	स्टोन बैलास्ट (बालू पत्थर)	बॉल्डर/स्लैब (बालू पत्थर)	ग्रेनाइट (डायमेन्शनल स्टोन	कोयला	कुल	वसूली योग्य ₹ 38 प्रति टन की दर से (कॉलम 10 x ₹ 38)	वास्तविक वसूली	कम वसूली (कॉलम 11–कॉलम 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बाँदा	12483663	--	--	--	--	--	--	12483663	4743.79	--	4743.79
2	चन्दौली	243409	--	--	--	--	--	--	243409	92.50	--	92.50
3	मुजफ्फर नगर	203000	--	--	--	--	--	--	203000	77.14	50.53	26.61
4	सोनभद्र	11507200	--	--	31292750	--	--	12129445	54929395	20873.16	29.01	20844.15
5	बलरामपुर	5673134	--	2261986	--	--	--	--	7935120	3015.34	--	3015.34
6	कुशीनगर	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	बस्ती	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	सहारनपुर	14554976	--	--	--	--	--	--	14554976	5530.88	776.31	4754.57
9	इलाहाबाद	3733222	--	22964216	1537000	--	--	--	28234438	10729.09	--	10729.09
10	बाराबंकी	1073100	--	--	--	--	--	--	1073100	407.77	--	407.77
11	फैजाबाद	350600	--	--	--	--	--	--	350600	133.23	--	133.23
12	गोरखपुर	312066	--	--	--	--	--	--	312066	118.59	--	118.59
13	हमीरपुर	30736900	--	--	--	--	--	--	30736900	11680.02	3246.35	8433.67
14	जालौन	6166890	--	--	--	--	--	--	6166890	2343.41	696.97	1646.44
15	कौशाम्बी	6961800	--	--	--	--	--	--	6961800	2645.49	0.11	2645.38
16	लखीमपुर	42300	--	--	--	--	--	--	42300	16.07	2.29	13.78
17	ललितपुर	88994	22372	2483924	--	2129850	519247	--	5244388	1992.87	110.73	1882.14
18	लखनऊ	341030	--	--	--	--	--	--	341030	129.59	--	129.59
19	महोबा	--	--	18676944	--	--	--	--	18676944	7097.23	2871.36	4225.87
20	मथुरा	155400	--	--	--	--	--	--	155400	59.05	--	59.05
21	मेरठ	198034	--	--	--	--	--	--	198034	75.25	--	75.25
	योग	**94825718**	**22372**	**46387070**	**32829750**	**2129850**	**519247**	**12129445**	**188843453**	**71760.47**	**7783.66**	**63976.81**

परिशिष्ट -27

(प्रस्तर 3.3 में सन्दर्भित)

यूकेलिप्टस वृक्षों पर रायल्टी की कम वसूली को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	प्रभाग का नाम	वर्ष	वृक्षों का व्यास (सेमी में)	यूपीएफसी द्वारा काटे गये वृक्षों की संख्या	वृक्षों का आयतन				रायल्टी की मौजूदा दर (₹/घन मीटर)	रायल्टी का अल्प प्रभारण (₹ में) (9x10)
					दिसम्बर 2008 में निर्धारित मानकों के अनुसार		विभाग द्वारा लिया गया वास्तविक आयतन (घन मी0 में)	आयतन में अन्तर (घन मी0 में) (7-8)		
					आयतन गणना हेतु लागू गुणांक	आयतन (घन मी0 में) (5x6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	डीएफसी, शिवालिक, सहारनपुर	2004-05	45-50	145	1.2299	178.336	140.215	38.121	827	31526
				145		**178.336**	**140.215**	**38.121**		**31526**
		2005-06	45-50	10	1.2299	12.299	9.670	2.629	868	2282
				10		**12.299**	**9.670**	**2.629**		**2282**
		2007-08	45-50	458	1.2299	563.294	442.886	120.408	1161	139794
			50-55	937	1.5242	1428.175	906.079	522.096	1161	606153
				1395		**1991.469**	**1348.965**	**642.504**		**745947**
		2008-09	45-50	116	1.2299	142.668	112.172	30.496	1326	40438
				116		**142.668**	**112.172**	**30.496**		**40438**
	उप योग			**1666**		**2324.772**	**1611.022**	**713.750**		**820193**
2	डीएफओ, अम्बेडकर नगर,	2005-06	45-50	25	1.2299	30.748	23.530	7.218	838	6048
			50-55	12	1.5242	18.290	11.604	6.686	838	5603
			55-60	7	1.8502	12.951	6.769	6.182	838	5181
			60-65	3	2.2076	6.623	2.900	3.723	838	3120
			65-70	1	2.5966	2.597	0.967	1.630	838	1366
				48		**71.209**	**45.771**	**25.438**		**21318**
		2006-07	45-50	68	1.2299	83.633	65.756	17.877	930	16626
			50-55	27	1.5242	41.153	26.109	15.044	930	13991
			55-60	19	1.8502	35.154	18.373	16.781	930	15606
			60-65	11	2.2076	24.284	10.637	13.647	930	12692
			65-70	2	2.5966	5.193	1.934	3.259	930	3031
			70-75	3	3.0170	9.051	2.901	6.150	930	5719
				130		**198.468**	**125.709**	**72.759**		**67665**
		2007-08	45-50	42	1.2299	51.656	40.614	11.042	1135	12533
			50-55	25	1.5242	38.105	24.175	13.930	1135	15811
			55-60	2	1.8502	3.700	1.934	1.766	1135	2004
			60-65	1	2.2076	2.208	0.967	1.241	1135	1409
			65-70	1	2.5966	2.597	0.967	1.630	1135	1850
				71		**98.266**	**68.657**	**29.609**		**33607**
		2008-09	45-50	256	1.2299	314.854	247.552	67.302	1336	89916
			50-55	7	1.5242	10.669	6.769	3.900	1336	5210
				263		**325.523**	**254.321**	**71.202**		**95126**
	उप योग			**512**		**693.466**	**494.458**	**199.008**		**217716**
3	डीडी, बाराबंकी	2004-05	45-50	230	1.2299	282.877	222.410	60.467	749	45290
			50-55	26	1.5242	39.629	25.142	14.487	749	10851
			55-60	3	1.8502	5.551	2.901	2.650	749	1985
			60-65	1	2.2076	2.208	0.967	1.241	749	930
				260		**330.265**	**251.420**	**78.845**		**59056**
		2005-06	45-50	128	1.2299	157.427	125.226	32.201	838	26984
				128		**157.427**	**125.226**	**32.201**		**26984**
		2006-07	45-50	4	1.2299	4.920	4.593	0.327	930	304
			55-60	2	1.8502	3.700	2.659	1.041	930	968
				6		**8.620**	**7.252**	**1.368**		**1272**
		2007-08	45-50	9	1.2299	11.069	9.428	1.641	1135	1863
				9		**11.069**	**9.428**	**1.641**		**1863**
		2008-09	45-50	10	1.2299	12.299	9.670	2.629	1336	3512
			50-55	11	1.5242	16.766	10.637	6.129	1336	8188
			55-60	3	1.8502	5.551	2.901	2.650	1336	3540
			60-65	1	2.2076	2.208	0.967	1.241	1336	1658
				25		**36.824**	**24.175**	**12.649**		**16898**
	उप योग			**428**		**544.205**	**417.501**	**126.704**		**106073**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	डीडी, सुल्तानपुर	2004-05	45-50	1448	1.2299	1780.895	1400.216	380.679	749	285129
			50-55	246	1.5242	374.953	237.882	137.071	749	102666
			55-60	202	1.8502	373.740	195.334	178.406	749	133626
			60-65	33	2.2076	72.851	31.911	40.940	749	30664
			65-70	6	2.5966	15.580	5.802	9.778	749	7324
			70-75	5	3.0170	15.085	4.835	10.250	749	7677
				1940		**2633.104**	**1875.980**	**757.124**		**567086**
		2005-06	45-50	46	1.2299	56.575	44.482	12.093	838	10134
				46		**56.575**	**44.482**	**12.093**		**10134**
		2006-07	45-50	229	1.2299	281.647	221.443	60.204	930	55990
				229		**281.647**	**221.443**	**60.204**		**55990**
		2008-09	45-50	688	1.2299	846.171	658.849	187.322	1336	250262
			50-55	138	1.5242	210.340	132.963	77.377	1336	103376
			55-60	161	1.8502	297.882	153.510	144.372	1336	192881
			60-65	30	2.2076	66.228	29.010	37.218	1336	49723
			65-70	14	2.5966	36.352	13.538	22.814	1336	30480
			70-75	6	3.0170	18.102	5.802	12.300	1336	16433
			75-80	2	3.4693	6.939	1.934	5.005	1336	6687
			80-85	1	3.9529	3.953	0.967	2.986	1336	3989
				1040		**1485.967**	**996.573**	**489.394**		**653831**
	उप योग			**3255**		**4457.293**	**3138.478**	**1318.815**		**1287041**
5	डीडी, बस्ती	2004-05	45-50	43	1.2299	52.886	41.580	11.306	749	8468
			50-55	2	1.5242	3.048	1.935	1.113	749	834
				45		**55.934**	**43.515**	**12.419**		**9302**
		2005-06	45-50	51	1.2299	62.725	49.317	13.408	838	11236
				51		**62.725**	**49.317**	**13.408**		**11236**
		2006-07	45-50	1	1.2299	1.230	0.967	0.263	930	245
			50-55	22	1.5242	33.532	21.274	12.258	930	11400
				23		**34.762**	**22.241**	**12.521**		**11645**
		2007-08	45-50	142	1.2299	174.646	137.314	37.332	1135	42372
			50-55	2	1.5242	3.048	1.934	1.114	1135	1264
				144		**177.694**	**139.248**	**38.446**		**43636**
		2008-09	45-50	13	1.2299	15.989	6.290	9.699	1336	12958
				13		**15.989**	**6.290**	**9.699**		**12958**
	उप योग			**276**		**347.104**	**260.611**	**86.493**		**88777**
6	डीएफओ, सामाजिक वानिकी, देवरिया	2006-07	45-50	125	1.2299	153.738	120.875	32.863	930	30563
			50-55	48	1.5242	73.162	46.416	26.746	930	24874
			55-60	17	1.8502	31.453	16.439	15.014	930	13963
			60-65	2	2.2076	4.415	1.934	2.481	930	2307
			65-70	3	2.5966	7.790	2.901	4.889	930	4547
				195		**270.558**	**188.565**	**81.993**		**76254**
		2007-08	45-50	217	1.2299	266.888	209.839	57.049	1135	64751
			50-55	49	1.5242	74.686	47.383	27.303	1135	30989
			55-60	22	1.8502	40.704	21.274	19.430	1135	22053
			60-65	4	2.2076	8.830	3.868	4.962	1135	5632
			65-70	1	2.5966	2.597	0.967	1.630	1135	1850
				293		**393.705**	**283.331**	**110.374**		**125275**
		2008-09	45-50	9	1.2299	11.069	8.703	2.366	1336	3161
			50-55	4	1.5242	6.097	3.868	2.229	1336	2978
			55-60	7	1.8502	12.951	6.769	6.182	1336	8259
			60-65	1	2.2076	2.208	0.967	1.241	1336	1658
				21		**32.325**	**20.307**	**12.018**		**16056**
	उप योग			**509**		**696.588**	**492.203**	**204.385**		**217585**
	महा योग			**6646**		**9063.428**	**6414.273**	**2649.155**		**2737385**

परिशिष्ट–28

(प्रस्तर 3.5 में सन्दर्भित)

ठेकेदारों के बिलों से काटे जाने वाले सेस को दर्शाने वाली विवरणी

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या एवं दिनांक	ठेकेदार का नाम	भुगतान की गयी राशि (₹ में)	काटे जाने योग्य सेस (कॉलम 5 x 1 प्रतिशत)	सेस काटा गया	सेस की कम कटौती (कॉलम 6 – कॉलम 7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण							
1.	मधुबन बापूधाम योजना में 384 घरों का निमार्ण	697/एफसी/इइ-I/09 दिनांक 15.05.2009	नरेश अग्रवाल इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	122174727.00	1221747.27	--	1221747.27
2.	मधुबन बापूधाम योजना में 384 घरों का निमार्ण	648/एफसी/इइ-I/09 दिनांक 04.06.2009	राजकुमार त्यागी	121236436.00	1212364.36	--	1212364.36
3.	मधुबन बापूधाम योजना में 384 घरों का निमार्ण	694/एफसी/इइ I/09 दिनांक 12.05.2009	अशोक कुमार एण्ड कम्पनी	124980392.00	1249803.92	--	1249803.92
4.	मधुबन बापूधाम योजना में 384 घरों का निमार्ण	647/एफसी/इइ-I/09 दिनांक 20.04.2009	राजकुमार त्यागी	121294138.00	1212941.38	--	1212941.38
5.	सेक्टर बी, मधुबन बापूधाम योजना में विकास कार्य	994/एफसी/इइ-I/10 दिनांक 22.06.2010	विभोर वैभव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लिमिटेड	345450369.00	3454503.69	--	3454503.69
6.	नूर नगर में ट्रन्क एवं सीवर लाइन बिछाने का कार्य	1029/एफसी/डब्ल्यूएस /10 दिनांक 04.08.2010	एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	100954869.00	1009548.69	--	1009548.69
7.	दुदहरा में 56 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स का निर्माण	570/एफसी/डब्ल्यूएस /09 दिनांक 21.03.2009	एनकेजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	603035066.00	6030350.66	--	6030350.66
8.	इन्दिरापुरम में 56 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स का निर्माण	581/एफसी/डब्ल्यूएस /09 दिनांक 26.03.2009	अल्ट्राटेक	624460947.00	6244609.47	--	6244609.47
9.	गेविंदपुरम में 56 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स का निर्माण	557/एफसी/इइ/ डब्ल्यूएस/09 दिनांक 20.3.2009	विभोर वैभव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लिमिटेड	567526379.00	5675263.79	--	5675263.79
10.	बापू धाम में 56 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स का निर्माण	795/एफसी/इइ/ डब्ल्यूएस/09 दिनांक 15.12.2009	विभोर वैभव इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा लिमिटेड	548022496.00	5480224.96	--	5480224.96
	योग			**3279135819.00**	**32791358.19**	**--**	**32791358.19**
कानपुर विकास प्राधिकरण							
1.	पॉकेट–जी, हाइवे सिटी आवासीय योजना में विकास कार्य	डी -473/इइ(3बी)/ 08-09 दिनांक 18.03.2009	आर्यश बिन्ड कॉन	15250252.36	152502.52	152556.00	--
2.	हाइवे सिटी योजना में 24 मीटर चौड़ी सड़क पर सीवर ड्रेन का निर्माण	डी-112/इइ-5/काविप्रा/10-11 दिनांक 08.04.2010	कृष्णा इन्फ्रास्ट्रक्चर	14311831.66	143118.32	143118.00	--
3.	कल्याण पुर रेलवे कासिंग से पनकी तक झॉसी रोड का सुदृढ़ीकरण	36/इइ-2/08-09 दिनांक 26.02.2009	वीएस बिल्डकॉन	38063570.53	380635.71	--	380635.71
4.	कल्याण पुर रेलवे कासिंग से पनकी (पार्ट–डी)तक झॉसी रोड का सुदृढ़ीकरण	37/इइ-2/08-09 दिनांक 26.02.2009	वीएस बिल्डकॉन	30190687.04	301906.87	--	301906.87
5.	ईदगॉह पार्क में राइजिंग मेन एवं पम्प हाऊस का निर्माण	डी/108/इइ(1)/ काविप्रा/10-11 दिनांक 04.06.2010	रायल एण्ड कम्पनी	3382319.01	33823.19	33824.00	--
	योग			**101198660.60**	**1011986.61**	**329498.00**	**682542.58**

संक्षेपण की शब्दावली

संक्षेपण	विस्तारित रूप
एडीए	आगरा विकास प्राधिकरण
एपीओ	वार्षिक प्रचालन योजना
बौद्ध विहार	बौद्ध विहार शान्ति उपवन एवं ईको पार्क, लखनऊ
बीओक्यू	बिल ऑफ क्वान्टिटी
बीपीआरआईपी	बीपीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड परमिथा (संयुक्त उद्यम), हैदराबाद
सीएण्डएजी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सीएएफ	क्षतिपूरक वनीकरण निधि
कैम्पा	क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
सीपीडब्ल्यूडी	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
डीए	विकास प्राधिकरण
डीडी	प्रभागीय निदेशक
डीई	विस्तृत आगणन
डीएफओ	प्रभागीय वनाधिकारी
डीएमओ	जिला खनन अधिकारी
डीओसी	संस्कृति विभाग
डीओआई	सिंचाई विभाग
डीपीसी एक्ट	नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीएसआर	दिल्ली दर अनुसूची
ईए	कार्यदायी संस्था
ईसी	पर्यावरणीय समाशोधन
ईको गार्डेन	मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन (ईको) गार्डेन, लखनऊ
ईडीसी	आर्थिक विकास समिति
ईएफसी	व्यय वित्त समिति
ईआईए	पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण
ईपीपीएल	एडीसन प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड
जीडीए	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
जीओआई	भारत सरकार
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
आवास विकास	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
आईआईडीडी	औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास विभाग
आईआर	निरीक्षण प्रतिवेदन
आईआरआर	आन्तरिक प्रतिलाभ की दर
जेआईएल	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली
जेएमएससी	संयुक्त बाजार सर्वे समिति
जेवीसी	संयुक्त उद्यम कम्पनी
केडीए	कानपुर विकास प्राधिकरण
एलडीए/लविप्रा	लखनऊ विकास प्राधिकरण
एलओआई	आशय पत्र
एलएसआई	लाइट साउन्ड इमेज सिस्टम (इ) प्राइवेट लिमिटेड
एचएलएमसी	उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति
एमआईपीपीएल	मैगलिन्क इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स (प्रा) लिमिटेड
मनरेगा	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम
एमओईएफ	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
नेडा	गैर–पारम्परिक ऊर्जा विकास अभिकरण
एनएचएआई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचडीपी	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण–पत्र
नोएडा	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
एनपीवी	निवल वर्तमान मूल्य
पीसीसीएफ	प्रमुख मुख्य वन संरक्षक
पीडीसी	मूल्य निर्धारण समिति

पीई	प्रारम्भिक आकणन
पीएफएडी	परियोजना निरूपण एवं मूल्यांकन समिति
पीपीपी	सार्वजनिक निजी सहभागिता
प्रेरणा स्थल	राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन, नोएडा
पीडब्ल्यूडी	लोक निर्माण विभाग
आरसीसी	रेनफोर्सड् सीमेन्ट कन्क्रीट
आरएमसी	तैयार मिश्रित कन्क्रीट
आरओई	समता पर प्रतिलाभ
आरएसएफएएल	राम सुतार फाइन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
सामाजिक परिवर्तन स्थल	डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ
एसईआईएए	राज्य पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण
स्मारक स्थल	मान्यवर श्री काशीराम जी स्मारक स्थल, लखनऊ
एसओआर	दर अनुसूची
एसपीवी	स्पेशल परपज व्हीकल
एसएसपीयूपीएसएएस	स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थानों, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति
स्टेट कैम्पा	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
टीसी	तकनीकी समिति
टीईए	ताज एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
टीईएफआर	तकनीकी–आर्थिक सम्भाव्यता रिपोर्ट
यूसी	उपयोगिता प्रमाण–पत्र
यूपी स्टेट कैम्पा	उत्तर प्रदेश क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
यूपीएफसी	उत्तर प्रदेश वन निगम
यूपीपीसीवी	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
यूपीपीडब्ल्यूडी	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग
यूपीआरएनएन	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
डब्ल्यूएमवीसी	कार्य अनुश्रवण एवं सत्यापन समिति
येडा	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण